Wednesday, 22 November, 1967

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

4th Lok Sabha

[तीसरा सत्र / Third Session]

Preservation Unit
6-7-92
Fumigated
On 9.1.84
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 9 में अंक 1 से 10 तक हैं / Vol. IX contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 7—बुधवार, 22 नवम्बर, 1967/1 अग्रहायण 1889 (शक)

No. 7, Wednesday, November 22, 1967/Agrahayana 1, 1889 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्रश्न संख्या

S.Q. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
182. कृषि के संबंध में प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्ययन दल	A. R. C. Study Team on Agriculture	891-89
183. राकेट परीक्षण	Rocket Experiment	892-893
184. सभा में उठाये गये भ्रष्टाचार के मामले	Matters relating to Corruption raised in the House	894-899
186. विदेशी प्रतिष्ठान	Foreign Foundations	899-902
190. सरकारी कर्मचारियों के पूर्व इतिहास की पुलिस द्वारा जाँच	Police verification of the antecedents of Government Employees	902-904
191. विमान निगमों को हुई हानियाँ	Loss suffered by Air Corporation	904-906
अल्प-सूचना प्रश्न संख्या **Short Notice Question No.**		
2	Strike Notice by the employees of the Government of India Presses, Delhi and Faridabad	907-909

प्रश्नों के लिखित उत्तर WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्रश्न संख्या

S.Q. Nos.

181. घेरावों के बारे में कलकत्ता उच्च न्यायालय का निर्णय	Calcutta High Court Judgment on Gheraos	910
187. कांडला बन्दरगाह पर जहाजों को घाट तक पहुँचाने की समस्याएँ	Berthing Problems at Kandla	910-911

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by by him.

ता० प्रश्न संख्या

S.Q. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
189. चौथी योजना में शिक्षा के लिए धन का नियतन	Plan allocation for Education in Fourth Plan	911
192. राज्यों के बीच सीमा संबंधी विवाद	Border Disputes between States	911
193. अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन वर्ष	International Tourist Year	912
194. हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में डिग्री कालेजों के अध्यापकों द्वारा हड़ताल	Strike by Teachers of Degree Colleges in Himachal Pradesh, Haryana and Punjab	912-913
195. विदेशों में प्रशिक्षित वैज्ञानिकों में बेरोजगारी	Unemployment among Scientists Trained abroad	913
196. नागा विद्रोही	Naga Hostiles	913-914
197. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	University Grants Commission	914
198. विशाल हरियाणा	Vishal Haryana	914
199. एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के लिए काम मूल्यांकन समिति	Job Evaluation Committee for Air India and I. A. C.	914-915
200. छोटी सदरी स्वर्ण काण्ड	Chhoti Sadri Gold Case	915-916
201. पारादीप पत्तन पर सामान्य माल कक्ष की व्यवस्था	General Cargo Berth at Paradeep Port	916
202. कोचीन बन्दरगाह	Cochin Port	916-917
203. एयर इंडिया द्वारा जम्बो जेड विमानों की खरीद	Purchase of Jumbo Jets by Air-India	917
204. कैसीनो	Casinos	918
205. दिल्ली उड्डयन क्लब के विमान का दुर्घटनाग्रस्त हो जाना	Crash of Delhi Flying Club Aircraft	918
206. भारतीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम	Medium of Instruction in the Indian Universities	919
207. रूस से प्राप्त पुस्तकें	Books from USSR	919
208. दिल्ली में अपराध	Crimes in Delhi	919-920
209. माल भाड़ा की दरें	Freight Charges	920
210. साम्प्रदायिक एकता	Communal Harmony	920-921

अता० प्रश्न संख्या

U.Q. Nos.

	विषय	Subject	पृष्ठ/Page
1259.	दिल्ली पुलिस का ट्रेंड कुत्तों का दस्ता	Trained Dogs squad of Delhi Police	921
1260.	चतुर्थ श्रेणी के मैट्रिक से कम पढ़े-लिखे कर्मचारियों की पदोन्नति	Promotion of Non-matric Class IV Employees	921
1261.	केन्द्रीय असैनिक सेवाएँ	Central Civil Services	921-922
1262.	भारतीय असैनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी	Retired ICS Officers	922
1263.	पारादीप बन्दरगाह	Paradeep Port	922-923
1264.	केरल में जनगणना विभाग	Kerala Census Department	923
1265.	गुजरात से केन्द्रीय सरकार में प्रतिनियुक्ति पर भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी	I.A.S. and I.P.S. Officers from Gujarat on deputation at Centre	923
1266.	गुजरात के विद्यार्थियों को विदेश में अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियाँ	Scholarships to Gujarat Students for Studies abroad	924
1267.	मध्य प्रदेश में पुरातत्व विभाग द्वारा लिये गये प्राचीन स्थान	Ancient Places taken over in Madhya Pradesh	924-925
1268.	अनुसूचित जातियाँ तथा अनुसूचित आदिम जातियाँ	Scheduled castes and Scheduled Tribes	925-926
1269.	मंत्रियों के विदेशों के दौरे	Ministers on Tour Abroad	926
1270.	मंत्रियों के विदेशों के दौरे	Ministers' Visits Abroad	926
1271.	भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर वारदातें	Border incidents between India and Pakistan	927
1272.	हुगली नदी पर दूसरा पुल	Second Bridge over River Hoogly	927
1273.	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के प्रतिनिधान के सम्बन्ध में समिति	Committee on Representation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes	927-928
1274.	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी स्टोर्स, नई दिल्ली में हड़ताल	Strike in Central Government Employees Stores, New Delhi	928
1275.	अगस्त, 1967 में दिल्ली में पश्चिम बंगाल के मंत्रियों द्वारा प्रस्तावित धरना	Proposed Dharna by West Bengal Ministers in Delhi in August, 1967	928

अता० प्रश्न संख्या

U.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
1276.	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद्	National Council of Educational Research and Training	928-929
1277.	केरल में पुलिस आवास योजना के लिए ऋण	Loan for Police Housing Scheme in Kerala	929
1278.	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की ऋणग्रस्तता	Indebtedness among Central Government Employees	929
1279.	नेपाल को चारी छिपे मोटर-गाड़ियों का ले जाया जाना	Smuggling of Vehicles to Nepal	929-930
1280.	सेतु समुद्रम नहर परियोजना	Sethu Samudram Canal Project	930
1281.	बिहार और उड़ीसा में तूफान	Cyclone in Bihar and Orissa	930
1282.	दिल्ली प्रशासन के लिये धन	Funds for Delhi Administrations	931
1283.	मंत्रियों की विदेश यात्रायें	Visits of Ministers to Foreign Countries	931
1284.	लड़ाई बन्दी क्षेत्र में से मणिपुर को निकालना	Exclusion of Manipur from ceasefire Area	931-932
1285.	भारतीय राज्य क्षेत्र में पाकिस्तानियों की घुसपैठ	Pakistani Intrusion into Indian Territory	932
1286.	कच्छ क्षेत्र में पाकिस्तानी नावों का देखा जाना	Pakistani Boats seen in Kutch Area	932
1287.	चूड़ा चाँदपुर में विद्रोही लोगों की गतिविधियाँ	Activities of Mizo Hostiles in Chaurachandpur	932-933
1288.	पयास्ती गाँव पर पूर्वी पाकिस्तान की सेना द्वारा आक्रमण	East Pak. Forces Attack on Payasti Village	933
1289.	आसाम पुनर्गठन योजना	Assam Reorganisation Scheme	933
1290.	राजस्थान के सीमा क्षेत्रों में सड़कें	Roads on border Areas of Rajasthan	934
1291.	ओशनोग्राफर जहाज द्वारा खोज	Investigation by Oceanographer	934
1292.	केरल राज्य परिवहन निगम	Kerala State Transport Corporation	934-935
1293.	भारतीय संग्रहालय द्वारा निकाले गये प्रकाशन	Publications Brought out by Indian Museums	935
1294.	वर्षा के कारण टूटी सड़कों और राजपथों की मरम्मत	Repairs to Roads and Highways Damaged by Rains	935

अता० प्रश्न संख्या

U.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
1295.	सालार जंग संग्राहलय के कर्मचारी	Salar Jung Museum Employees	935-936
1296.	राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड	National Shipping Board	936
1297.	केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम	Central Road Transport Corporation	937
1298.	कलकत्ता पत्तन आयुक्त	Calcutta Port Commissioner	937
1300.	व्यापारी बेड़ा प्रशिक्षण अकादमी	Merchant Navy Training Academy	937-938
1302.	वार्निश पीने से हुई मृत्यु की जाँच	Enquiry into Deaths due to drinking of Varnish	938
1303.	इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की विमान की उड़ान के दौरान यात्रियों द्वारा दुर्व्यवहार	Misbehaviour by Passengers in I.A.C. Flight	938-939
1304.	इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमानों की उड़ानों में शराब का प्रयोग	Consuming of liquor in IAC Flights	939
1305.	होटल विकास निधि	Hotel Development Fund	939-940
1306.	शिक्षा आयोग की सिफारिशें	Education Commission Recommendations	940
1307.	मद्रास में तमिल साहित्य सम्बन्धी गोष्ठी	Seminar on Tamil Studies in Madras	940
1308.	तकनीकी शिक्षा का पुनर्गठन	Re-organisation of Technical Education	940-941
1309.	मंत्रि का ब्रिटेन का दौरा	Minister's Tour to UK	941
1310.	अमरीका से वापस लौटने वाले भारतीय जहाज के लिये माल	Cargo for Indian Ships returning from USA	941
1311.	दिल्ली श्रीनगर कैरेवैल विमान उड़ान	Delhi Srinagar Caravelle Flight	942
1312.	नव नालंदा महाविहार तथा व्हेनसाँग स्मारक	Nav Nalanda Maha Vihar and Huen Tsang Memorial	942
1313.	विमान दुर्घटनाओं में हताहत व्यक्तियों के लिये प्रतिकर	Compensation for Air Crash Victims	942
1314.	पुरातत्व विभाग की वस्तुएँ	Articles belonging to Archaeological Department	942-943

अता० प्रश्न संख्या

U.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
1315.	भारत में राजनयिक मिशन	Diplomatic Missions in India	943
1316.	पश्चिम बंगाल में स्कूलों की इमारतों का गिरना	Collapse of School Buildings in West Bengal	944
1317.	विदेशी पर्यटकों के आकर्षण के लिये कलकत्ते का विकास	Development of Calcutta to Attract Foreign Tourists	944
1318.	साम्प्रदायिक दंगे	Communal Violence	945
1319.	प्रान्तीयता की भावना	Parochialism	945-946
1320.	तूफान से पारादीप पत्तन को क्षति	Damage to Paradeep Port by Cyclone	946
1321.	दिल्ली में असैनिक दंडाधीश	Honorary Magistrates in Delhi	946-947
1322.	दिल्ली पुलिस	Delhi Police	947
1323.	रिवर्ज स्टीम नैवीगेशन कम्पनी	Rivers Steam Navigation Company	947-948
1324.	दिल्ली में वर्षा के कारण क्षति	Damage due to Rains in Delhi	948
1325.	बुंगधागाँव, उखरूल में आग लगना	Fire in Bungdha Village Ukhrul	948-949
1326.	विद्रोही मिजो लोगों के साथ मुठभेड़	Encounter with Mizo Hostiles	949
1327.	मध्य प्रदेश के डाकुओं वाले क्षेत्र में पाकिस्तानी हथियार	Pakistani arms in Dacoit infested areas of M. P.	949
1328.	राजधानी में लक्की गेम्स	Lucky Games in Capital	949
1329.	पारादीप पत्तन के संबध में केन्द्रीय जाँच विभाग का प्रतिवेदन	C. B. I. Reports on Paradeep Port	950
1330.	पिलानी में इलेक्ट्रानिक्स की शिक्षा	Training in Electronics at Pilani	950
1331.	आदिवासी तथा हरिजन बच्चों की शिक्षा	Education of Harjan and Adivasi Children	950-951
1332.	मंत्रियों के निजी कर्मचारी	Personnel Staff of Ministers	951
1333.	दिल्ली में सड़कें	Roads in Delhi	951-952
1334.	हिन्दुस्तान शिपयार्ड विशाखापत्तनम	Hindustan Shipyard, Visakhapatnam	952

अता० प्रश्न संख्या

U.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
1335.	पाकिस्तान द्वारा बंकरों का निर्माण	Construction of Bunkers by Pakistan	952-953
1336.	चंडीगढ़ में राज भवन तथा अतिथि भवन	Raj Bhawan and Guest House in Chandigarh	953
1337.	परियोजनाएँ बनाने और उनकी क्रियान्विति के बीच का समय	Time lag in formulation and implementation of projects	953-954
1338.	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् के अधीन नई संस्थाओं की स्थापना	Opening of New Institutions under C. S. I. R.	954
1339.	परिवहन विनियोजन कार्यक्रम	Transport Investment Programme	954
1340.	दिल्ली नगर निगम	Delhi Municipal Corporation	954-955
1341.	विक्टोरिया स्मारक हाल संग्रहालय कलकत्ता में पाण्डुलिपियाँ	Manuscripts of Victoria Memorial Hall Museum, Calcutta	955
1342.	उपकुलपतियों का सम्मेलन	Conference of Vice-Chancellors	955-956
1343.	संग्रहालयों में विकास कार्य	Development Works in Museums	956
1344.	चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की तृतीय श्रेणी में पदोन्नति	Class III for IV Class Employees	956-957
1346.	अखिल भारतीय शिक्षा सेवा	All India Education Service	957
1347.	देश में साक्षरता	Literacy in the country	957
1348.	केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय में मुख्य सम्पादक का पद	Chief Editor in Central Hindi Directorate	958
1349.	वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावलि आयोग में स्थायी पद	Permanent posts in Scientific and Technical Terminology Commission	958
1350.	दिल्ली के स्कूलों के अध्यापकों का जलूस	Procession by Delhi Schoo' Teachers	958-959
1351.	करारोपण जाँच समिति	Taxtion Enquiry Committee	959
1352.	पर्यटक होटल	Tourist Hotels	959
1353.	विमान भाड़ों में वृद्धि	Increase in Air Fares	960
1354.	नक्सलबाड़ी	Naxalbari	960
1355.	पुरावशेषों का निर्यात	Export of Antiques	961
1357.	मैसूर में पर्यटन केन्द्र	TouristCentres in Mysore	961

2

अता० प्रश्न संख्या

U.Q. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
1358. कारों के तस्कर व्यापारी	Car Smugglers	961
1359. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश	Judges of High Courts	962
1360. देवली शिविर में हिरासत में लिये गये लोग	Internees in Deoli Camp	962
1361. केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग का विकेन्द्रीकरण	Decentralisation of Central Secretariat Service Cadre	962-963
1362. दिल्ली के इंजिनियरिंग कालेज में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थी	S.C. & S. T. Students in Delhi Engineering College	963
1363. भारतीय कलाकारों की अफगानिस्तान की यात्रा	Indian Artistes visit to Afghanistan	964
1364. विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये दिल्ली का विकास	Development of Delhi to Attract Foreign Tourists	964
1365. गुजरात में पाकिस्तान घुसपठ	Pak. Intrusion in Gujarat	964
1366. दिल्ली विश्वविद्यालय की एम० ए० डिग्री में तीसरी डिवीजन का पुनः दिया जाना	Revival of 3rd Division in M. A. Degree of the Delhi University	964-965
1367. उच्च पदों पर नियुक्त हरियाना के लोग	High Position held by Haryana People	965
1368. गारो जिले में एक गाँव पर पाकिस्तानियों द्वारा हमला	Raid by Pakistani on a village in Garo District	965
1369. मिजो विद्रोहियों के साथ मुठभेड़	Clash with Mizo Hostiles	966
1370. राजस्थान में पाकिस्तानी गुप्तचर	Pak Spies in Rajasthan	966
1371. राष्ट्रीय राजपथ	National Highways	966
1372. केन्द्र में उच्च अधिकारी स्तर पर प्रशासन की कार्यक्षमता बढ़ाना	Toning up of Administration at Top levels at the Centre	967
1373. राष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसन्धान प्रयोगशालाओं में अपव्यय	Waste in National Scientific Reserach Laboratories	967

अता० प्रश्न संख्या

U.Q. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
1374. वैज्ञानिकों का पूल	Scientists Pool	968
1375. वैज्ञानिकों तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् में छंटनी	Retrenchment in C.S.I.R.	968
1376. मुर्शिदाबाद जिले में पाये गये लाखों वर्ष पुराने फासल (जीवश्मि) के अंश	Million year old Fossil Fragments found in Murshidabad District	968
1377. शिक्षा संस्थाओं का सम्प्रदायों के आधार पर नामकरण	Denominational names of Educational Institutions	968-969
1378. दिल्ली के स्कूलों में नैतिक शिक्षा	Moral education in Delhi Schools	969
1379. भारतीय विदेश प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा	I.F.A.S. and I.A.S.	969
1380. इम्फाल हवाई अड्डा	Imphal Aerodrome	970
1381. केन्द्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों के विदेशों के दौरे	Foreign Tours of Union Cabinet Ministers	970
1383. विश्वविद्यालय विद्यार्थी संघों की मांगें	Demands of University Students Unions	971
1384. देश से योग्य व्यक्तियों का चला जाना	Brain Drain from the country	971-972
1385. पर्यटन विकास परिषद्	Tourist Development Council	972
1386. अगस्त, 1967 में गिरफ्तार किये गये मिजो विद्रोही	Mizo Rebels arrested in August, 1967	972
1387. छात्रों में जातिगत भेदभाव की भावना	Caste discriminations among students	973
1388. दिल्ली सशस्त्र पुलिस बल	Delhi Armed Police Force	973
1389. खोन पाई सीमा चौकी पर विद्रोही नागाओं का आक्रमण	Naga Hostiles Attack on Khaunpol outpost	973
1390. हिन्द महासागर से आर्थिक लाभ उठाना	Economic Exploitation of Indian Ocean	973-974
1391. न उठाया गया माल बम्बई पत्तन न्यास द्वारा बेचा जाना	Disposal of Uncleared Cargo by Bombay Port Trust	974

अता० प्रश्न संख्या
U.Q. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
1392. पार्क होटल कलकत्ता	Park Hotel, Calcutta	974-975
1393. भारत सुरक्षा नियम	Defence of India Rules	975
1394. हिन्दुस्तान शिप यार्ड	Hindustan Shipyard	975-976
1395. केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा दौरे	Tour by Union Ministers	976
1396. अकादमियों में कार्य कुशलता	Efficiency in Academies	976
1397. आसाम सचिवालय में विस्फोट	Explosion in Assam Secretariat	976-977
1398. बुल्गारिया से जहाजों की खरीद	Purchase of Ships from Bulgaria	977
1399. अमरीकी 'हिप्पी' पर्यटक	American Tourists called Hippies	977-978
1400. अजन्ता की चित्रकारी को क्षति	Damage to Ajanta Painting	978
1401. कृषि प्रधान शिक्षा	Agriculture Biased Education	978
1402. पिछड़े वर्ग	Backward Classes	978-979
1403. इन्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन	Indian Airlines Corporation	979
1404. चौथी योजना में नौवहन का लक्ष्य	Shipping Target in Fourth Plan	979-980
1405. तूतीकोरिन पत्तन	Tuticorin Port	980
1406. असैनिक उड्डयन विभाग	Civil Aviation Department	980-981
1407. भारतीय नौवहन टन भार	Indian Shippping Tonnage	981
1408. राष्ट्रीय राजपथ संख्या 12	National Highways No. 12	981-982
1409. राष्ट्रीय राजपथ संख्या 26	National Highway No. 26	982
1410. चौरागाड किले की देखभाल	Upkeep of Chauragad Fort	982
1411. पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच अवशिष्ट विवादों का निपटारा	Settlement of outstanding issues among Punjab, Haryana and Himachal Pradesh States	982-983
1412. वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् का पुनर्गठन	Reorganisation of C.S.I.R.	983-984
1413. ऊपरी आसाम में उत्तर लखीमपुर कमालबाड़ी सड़क को राष्ट्रीय राजपथ का रूप दिया जाना	North Lakhimpur Kamalabari Road in Upper Assam as National Highway	984

अता० प्रश्न संख्या
U.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
1414.	आसाम में स्मारक	Monuments in Assam	984
1415.	मनीपुर में सहायता प्राप्त कालेजों के अध्यापकों के वेतन मान	Pay Scales of Aided College Teachers in Manipur	984-985
1416.	मनीपुर में भूमि का अलाटमेंट	Allotment of land in Manipur	985
1417.	मनीपुर में गाँवों में चौकीदार	Village Chowkidars in Manipur	985-986
1418.	राष्ट्रीय राजपथ सं० 39	National Highway No. 39	986
1419.	नागरिकों के प्रशिक्षण के लिये विमान	Aircraft for Civilian Training	986-987
1420.	मिजो पहाड़ियों में नागा विद्रोही	Naga Rebels in Mizo Hills	987
1421.	भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों द्वारा गैर सरकारी नौकरी करना	Retired I.A.S. & I.P.S. Officers taking up Private Employment	987
1422.	सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों का नियन्त्रण अपने हाथ में लेना	Taking over of Universities	987
1423.	सागर में पालिटैक्निक	Polytechnic at Saugar	988
1424.	भारतीय प्रशासनिक सेवा में अनुसूचित जातियों के अधिकारी	Scheduled Castes IAS Officers	988
1425.	मध्य प्रदेश के भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी	I.A.S. and I.P.S. Officers of M. P.	988
1426.	षडयंत्र के मामले	Conspiracy cases	988-989
1427.	बम्बई पत्तन	Bombay Port	989
1429.	रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट जोरहाट	Regional Research Institute, Jorhat	989
1430.	राजस्थान के राज्यपाल का सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा	Visit by Rajasthan Governor to the Border Areas	990

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos. विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
1431. उड़ीसा में सड़कों के लिये धन	Funds for Development of Roads in Orissa	990
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	990-992
कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त द्वारा दिया गया कथित वक्तव्य	Reported Statement by the Indian Commissioner in Canada	
श्री रा० की० अमीन	Shri R. K. Amin	
श्री ब० रा० भगत	Shri B. R. Bhagat	
अविश्वास के प्रस्ताव के बारे में	Re. Motion of No-Confidence	992
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	992
गर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members' Bill and Resolutions	994
चौदहवां प्रतिवेदन	Fourteenth Report	
समिति के लिये निर्वाचन	Election to Committee	994
लोक लेखा समिति	Committee on Public Accounts	
शिक्षा आयोग के तथा शिक्षा सम्बन्धी संसद सदस्योंके प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव	Motion Re. Report of Education Commission and Report of Committee of Members of Parliament on Education	997
श्री जे० मुहम्मद इमाम	Shri J. Mohamamed Imam	
डा० मैत्रेयी बसु	Dr. Maitreyee Basu	
मंत्रिपरिषद् में अविश्वास प्रस्ताव	Motion of No-Confidence in the Council of Ministers	999-1014
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	
श्री शशि रंजन	Shri Shashi Ranjan	
श्री रंगा	Shri Ranga	
श्री विक्रम चन्द महाजन	Shri Vikram Chand Mahajan	
श्री जगन्नाथ राव जोशी	Shri Jagannath Rao Joshi	
श्री भोलानाथ	Shri Bhola Nath	
श्री श्री० डांगे	Shri S. A. Dange	
श्री हनुमन्तैया	Shri Hanumanthaiya	

लोक-सभा

LOK SABHA

बुधवार, 22 नवम्बर, 1967/1 अग्रहायण, 1889 (शक)

Wednesday, November 22, 1967/ Agrahayana 1, 1889 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

कृषि के संबंध में प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्ययन दल

*182. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** **श्री पार्थसारथी :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा कृषि के संबंध में नियुक्त किये गये अध्ययन दल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी सिफारिश क्या है और ये सरकार द्वारा अपनाई जा रही नीतियों से किस बारे में भिन्न हैं; और

(ग) इन सिफारिशों के संबंध में कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) (क) अध्ययन-दल ने प्रशासनिक सुधार आयोग को अपना प्रतिवेदन दे दिया है।

(ख) और (ग) उसकी सिफारिशें अध्ययन-दल के प्रतिवेदन में शामिल हैं जिसकी एक प्रति संसद के पुस्तकालय में रख दी गई है। अध्ययन-दल द्वारा की गई सिफारिशों पर प्रशासनिक सुधार आयोग को विचार करना है। आयोग को अभी इस विषय पर अपनी सिफारिशें सरकार को देनी हैं। इस स्थिति पर सरकार द्वारा कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : सिफारिशों के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए आयोग के अन्तिम प्रतिवेदन की प्रतीक्षा किये बिना, जिसमें काफी समय लगेगा, इन सिफारिशों पर विचार करना आरम्भ करना क्या सरकार के लिये उचित नहीं होगा ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : इस सम्मानित सभा को मालूम है कि ये अध्ययन दल प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा अपने कार्य और विचार-विमर्श की सुविधा के लिये नियुक्त किया है। सरकार और यह सम्मानित सभा तो मुख्यतः आयोग की स्वयं की सिफारिशों और अन्तिम विचारधारा पर विचार करेगी, जिसमें सुविख्यात व्यक्ति हैं, जो अधिकांशतः संसद सदस्य हैं। हमें मालूम नहीं है कि आयोग उनकी सिफारिशों अथवा विचारों को स्वीकार करेगा अथवा उनमें परिवर्तन करेगा। मैं समझता हूँ कि जब तक प्रशासनिक सुधार आयोग अपने विचारों को अन्तिम रूप नहीं देता, तब तक अध्ययन दलों की सिफारिशों पर कोई कार्यवाही करना निरर्थक प्रयास होगा।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : क्योंकि प्रतिवेदन सर्वसम्मत है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण सिफारिश यह है कि सहकारी खेती को समाप्त कर देना चाहिए, जहाँ कहीं संभव तथा वांछनीय हो अधिक भूमि वाले व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूहों द्वारा खेती की अनुमति देनी चाहिए, तो क्या अन्तिम प्रतिवेदन की प्रतीक्षा किये बिना सहकारी खेती के लिये और धन देना बन्द करना तथा इसके बारे में कुछ कार्यवाही करना सरकार के लिये उचित नहीं होगा ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : जैसा में बता चुका हूँ कि हम इस बारे में आयोग द्वारा सिफारिश किये जाने तक प्रतीक्षा करना पसन्द करेंगे।

राकेट परीक्षण

183. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय भू-भौतिकीय प्रयोगशाला, नई दिल्ली ने एन० ए० एस० ए० के सहयोग से अमरीकी तट के समीप वैलप्स द्वीपसमूह से हाल में राकेट परीक्षण किया था;

(ख) यदि हाँ, तो इस परीक्षण का प्रयोजन क्या था ;

(ग) उस पर कितना व्यय हुआ ; और

(घ) इसके क्या परिणाम निकले ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी, हाँ।

(ख) प्रयोग का संबंध रियोमीटर तकनीक द्वारा आयनमंडलीय अवशोषण को मापने से था। इसकी रूपरेखा ऐसी बनाई गई है कि यह अन्य प्रयोगों के साथ इलैक्ट्रान घनत्व की वितरण ऊँचाई और आयनमंडलीय डी० रीजन में इलेक्ट्रानों की संघट्टन आवृत्ति के आँकड़े भी प्रस्तुत कर सके।

(ग) नेशनल फिजीकल लोबोरेटरी, नई दिल्ली द्वारा निर्माण और भारयोग (पेलोड) के संघटक प्राप्त करने पर खर्च की गई राशि लगभग 1,200 रु० थी।

(घ) प्रयोगों से प्राप्त टेलीमीटरी संकेतों की एक प्रति ने० फि० ले० में आ चुकी है और उसका विश्लेषण किया जा रहा है।

श्री क० प्र० सिंह देव : क्या यह अकेला परीक्षण है अथवा इनकी कोई श्रृंखला चलेगी अथवा यह थुम्बा परीक्षण से भी सम्बन्धित है ?

डा० त्रिगुण सेन : मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, कि इस कार्य का राकेट टैकनॉलॉजी से कोई सम्बन्ध नहीं है। राष्ट्रीय भूभौतिकीय प्रयोगशाला में काम करने वाले हमारे एक वैज्ञानिक को अमरीका में नेशनल एयरोनॉटिकल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने के लिये एक छात्रवृत्ति मिली थी। वह वहाँ राष्ट्रीय भूभौतिकीय प्रयोगशाला में काम कर रहा था और थुम्बा केन्द्र में रॅकिटों में

प्रयोग किये जाने वाले कुछ यंत्र तैयार कर रहा था। वह राष्ट्रीय भूभौतिकीय प्रयोगशाला में मुख्यतः आयनमंडल सम्बन्धी अध्ययन के लिये काम कर रहा था। चूंकि यह वैज्ञानिक अमरीका में कार्य कर रहा था, उसने यंत्रों का वहाँ पर भी परीक्षण करने के लिये इस अवसर का उपयोग किया। संभवतः उसने परीक्षणों के परिणामस्वरूप कुछ परिवर्तन किये। यह सब काम अन्तरिक्ष अनुसंधान सम्बन्धी भारतीय राष्ट्रीय समिति के सहयोग से किया गया है। जैसा मैं बता चुका हूँ कि इस कार्य का रॉकेट टैकनॉलॉजी से कोई सम्बन्ध नहीं है बल्कि इसका प्रयोजन आयनमंडल का वैज्ञानिक अध्ययन करना है।

श्री क० प्र० सिंह देव : क्या प्रयोग किया गया प्रणोदक (प्रोपैलैन्ट) तरल था अथवा ठोस का अथवा क्या यह देसी था अथवा आयातित था तथा प्रणोदक की धातु मिश्रित इस्पात की केसिंग भी देसी थी अथवा आयातित थी ?

डा० त्रिगुण सेन : वह अमरीकी यंत्रों, पुर्जों से काम कर रहा था, जो भी वहाँ पर थे।

श्री रा० बरुआ : यदि विदेशी सहयोग से ऐसे परीक्षण भविष्य में भी किये गये, तो इससे राजनैतिक गलतफहमी पैदा होने की संभावना है। क्या सरकार ने स्थिति पर इस दृष्टि से विचार किया है ?

डा० त्रिगुण सेन : मैं स्पष्ट कर चुका हूँ कि यह तो आयनमंडल का वैज्ञानिक अध्ययम मात्र है। इसका रॉकिट टैकनॉलॉजी से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री म० ला० सोंधी : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि क्या हम इस कथन को स्वीकार करें कि उनके मंत्रालय को मार्गदर्शी सिद्धान्तों के भाग के रूप में इसका रॉकिट टैक्नॉलॉजी से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय सूत्रों, कागजात से मुझे पता चला है कि इस अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को गंभीर समझा जाता है, उदाहरण के लिये पाकिस्तान नेशनल एयरनॉटिकल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करता रहा है और वे रॉकेट छोड़ता रहा है और साथ ही यह दावा करता रहा है कि बहुत कम धन खर्च करके काफी अच्छे परिणाम निकले हैं। मेरी समझ में इस विषय में मार्गदर्शी सिद्धान्तों पर अविलम्ब विचार करना आवश्यक है। हमें पाकिस्तान तथा अन्य देशों से प्रतियोगिता करनी है।

डा० त्रिगुण सेन : हम जानते हैं कि मंत्रिपरिषद् की वैज्ञानिक सलाहकार समिति की सिफारिश पर भारत सरकार ने अन्तरिक्ष अनुसंधान सम्बन्धी एक भारतीय राष्ट्रीय समिति स्थापित की है। वे परीक्षण कर रहे हैं, जिनके परिणाम विश्लेषण किये जाने के बाद पता लगेंगे।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या थुम्बा से छोड़े गये राकेटों और इस प्रश्न में उल्लिखित राकेटों में कोई समानता है ?

श्री त्रिगुण सेन : जैसा मैं कह चुका हूँ, कुछ यंत्र राष्ट्रीय भूभौतिकीय प्रयोगशाला में बनाये गये थे। इन मंत्रों से परीक्षण किये गये थे। जैसा मैं उल्लेख कर चुका हूँ। वही वैज्ञानिक एक छात्र वृत्ति पर अमरीका गया था और उसने उस यंत्र में परिवर्तन करने का प्रयास किया। इसलिये स्वाभाविक है कि इसका उससे कुछ सम्बन्ध है।

Matters relating to Corruption raised in the House.

184. **Shri Arjun Singh Bhadoria** :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether any procedure has been laid down by Government to process the matters raised by the Members in Parliament alleging nepotism and corruption in the administration; and

(b) if so, the broad details thereof ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) and (b) Whether it is about nepotism or corruption, or about any other matter, the Minister concerned takes careful note of all matters raised by Hon'ble Members in Parliament. As Hon'ble Members are aware, if the Minister gives any assurance in this House, its fulfilment is followed up by the Committee on Assurances. A copy of paragraphs 152 and 153 of the Central Secretariat manual of office Procedure is placed on the table of the House. Government are anxious to take all measures for eradicating nepotism and corruption.

Shri Arjun Singh Bhadoria : Mr. Speaker, Sir, I would like to submit that relevant information on such questions should be laid on the Table of the House and supplied to Members so that supplementaries thereto may be put ?

Mr. Speaker: It is not a very long one but a very short reply. You may ask question.

Shri Arjun Singh Bhadoria : May I know the number of senior leaders at the Centre and the Cabinet Ministers who recommended that charges against these corrupt officers now being pursued, may be dropped ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : ऐसा कोई प्रश्न नहीं है कि सरकार की ओर से कोई सिफारिश करे कि किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाये। हमने ऐसा कभी नहीं किया है। यदि किसी विशेष आरोप की ओर मेरा ध्यान दिलाया जाये, तो मैं निश्चित रूप से न केवल कार्यवाही करूँगा बल्कि की गई कार्यवाही के बारे में सभा में भी स्पष्टीकरण दूंगा।

Shri Arjun Singh Bhadoria : Apart from employees or officers, is any action being contemplated against the corrupt Ministers ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह आरोप पर निर्भर करता है; किसके विरुद्ध आरोप लगाये जाते हैं।

Shri Ram Charan : May I know if there is any machinery to look into the cases of nepotism and corruption indulged in by the personal staff of Ministers by issuing notes "Minister desired" ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यदि कोई आरोप लगायें जाये, तो हम अवश्य जाँच कर सकते हैं परन्तु जब कोई आरोप नहीं हों, तो मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ।

Shri Kameshwar Singh : When any cases in respect of sons of some Cabinet Ministers and high government officers employed in big business houses comes up, an attempt is made to protect him, which hinders the progress of the investigations or Enquiry Committee. Will the Hon. Minister try to remove it ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस प्रकार के अस्पष्ट प्रश्न अथवा सुझाव का उत्तर देना मेरे लिये बहुत कठिन है।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : क्या यह सच है कि भ्रष्टाचार के मामलों में न्यायिक कार्यवाही असामान्य रूप से लम्बी होती है और कानूनी तकनीकी बातों के कारण अत्यधिक समय लगता है

तथा कुछ मामलों में साक्ष्य न होने के कारण बहुत से अपराधी बच जाते हैं ? क्या माननीय मंत्री ने किसी अन्य वैकल्पिक प्रक्रिया पर विचार किया है जिससे ऐसे मामलों को शीघ्रता से निपटाया जा सके तथा अच्छे प्रशासन के हित में कारगर कार्यवाही की जा सके ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : कुछ विलम्ब के मामले मेरे ध्यान में अवश्य लाये गये हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि मैं इस बारे में क्या कर सकता हूँ। न्यायिक कार्यवाही में विलम्ब है क्योंकि जिस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है, उसके अधिकारों का भी प्रश्न है तथा कभी-कभी उन्हें अनेक दस्तावेजों आदि की प्रतियों की आवश्यकता होती है और निश्चय ही इसमें समय लगता है। मुझे मालूम है कि इस प्रकार के कुछ मामले हैं। लेकिन हम समय-समय पर इनको शीघ्र निपटाने के लिये कार्यवाही करते हैं।

Shri Kanwar Lal Gupta : Mr. Speaker, Sir, U. P. Government and some other State Governments have framed a plan regarding corruption amongst Ministers under which any person can directly, report such cases to the Governor with his affidavit, who will appoint a High Court Judge to look into it. Similarly some Governments have laid down some code etc. that Ministers with not accept donations or collect funds for the party. May I know whether the Central Government have also evolved any such foolproof procedure which free from Government interference? Have you also laid down a code of conduct for Ministers about collection of funds for the party or about some other form of corruption of this type ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अध्यादेश जारी करके इस सम्बन्ध में एक नई किस्म की संस्था की स्थापना की है, और कुछ प्रक्रियाएँ निर्धारित की हैं और उस पर भारत सरकार भी विचार कर रही है। लेकिन मैं यह कह सकता हूँ कि लोकपाल तथा लोक आयुक्त के सम्बन्ध में, प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की है, विचार किया जा रहा है, प्रशासनिक सुधार आयोग की इन सिफारिशों को सरकार ने सिद्धान्ततः मान लिया है। किन्तु हम इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों के साथ परामर्श कर रहे हैं और उनकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह समूचा मामला इस समय मन्त्रिमंडल के विचाराधीन है।

श्री कंवर लाल गुप्त : मेरे प्रश्न का दूसरा भाग मंत्रियों के लिये आचरण संहिता के बारे में था।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : आचार संहिता बनाई गई थी और उसे सभा-पटल पर रखा गया था, माननीय सदस्य को इस बात का पता है।

Shri Madhu Limaye : The Hon. Minister has just now stated that it was very difficult for him to answer any vague questions of that type and that he could tell something about, those which really involved serious and sound allegations. In the List of Questions for oral answers for today, there is my question No. 200 relating to the Chhoti Sadri Gold Affair. Sir, as you are aware that last year several M. Ps and also M.L.As. from Rajasthan had submitted a memorandum levelling serious charges against the Chief Minister of Rajasthan, Shri Sukhadia and it was urged upon the Government to undertake investigation into the Chhoti Sadri Gold Scandal. I would like to know whether the Hon. Minister is prepared to order an enquiry into the matter by appointing a public inquiry commission under the Public Enquiries Act?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस मामले के सम्बन्ध में सार्वजनिक जाँच आयोग नियुक्त करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। इस प्रश्न पर कई बार सभा में चर्चा हो चुकी है। सभा को दी गई सूचना में यह कहा गया है कि श्री सुखाड़िया के विरुद्ध ऐसी कोई बात नहीं है जिसे सिद्ध किया जा सके।

लेकिन जहाँ तक इस मामले में केन्द्रीय गुप्तचर विभाग द्वारा कुछ और आगे की गई जाँच का सम्बन्ध है, मैंने कहा था कि ऐसी जाँच कुछ प्रमाण के आधार पर की जा सकती है क्योंकि इस बारे में केन्द्रीय गुप्तचर विभाग ने कुछ जाँच की थी जिसमें श्री सुखाडिया को दोषी नहीं पाया गया।

श्री रंगा : हमें इसके बारे में कभी नहीं बताया गया। यह पहली बार ऐसा वक्तव्य दे रहे हैं।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : हमने इस मामले पर पिछली बार यहाँ चर्चा की थी। लेकिन कुछ और आगे जाँच की जरूरत है, परन्तु वह जाँच हो नहीं सकती क्योंकि सारा मामला अदालत में है। जब वह मामला उठेगा, तो मैं उस विशेष प्रश्न का उत्तर दूंगा।

श्री लोबो प्रभु : क्या मंत्री महोदय को पता है कि आवास बोर्ड और बिजली बोर्ड जैसे संविधिक निगम, जो कि सतर्कता आयुक्त के क्षेत्राधिकार में नहीं आते, साधारण सरकारी कर्मचारियों की अपेक्षा अधिक भ्रष्ट हैं? क्या वह इन संस्थाओं को सतर्कता आयुक्त के क्षेत्राधिकार में लाने के सुझाव पर विचार करेंगे?

श्री यशवन्तराव चव्हाण: यह एक अच्छा सुझाव है। मैं इस विचार पर विचार करूँगा।

श्री हेम बरुआ : उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्य मंत्री, श्री बीजू पटनायक के खिलाफ इस सभा में भ्रष्टाचार के कुछ गंभीर आरोप लगाये गये थे। क्या सरकार ने उन आरोपों की जाँच कर ली है?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस विषय पर सभा में कई बार चर्चा हो चुकी है और उत्तर दिये जा चुके हैं।

श्री ही० ना० मुकर्जी : श्री सुखाडिया जैसे उच्च-स्थिति के व्यक्ति के विरुद्ध लगाये गये आरोपों में बहुत लम्बे समय से जाँच नहीं हो पाई है और जब तक ऐसी उच्च-स्थिति के व्यक्तियों के विरुद्ध जिन पर काफी अरसे से निरन्तर आरोप लगाये जा रहे हैं, ठोस कदम नहीं उठाये जाते, देश में भ्रष्टाचार फैलता जायेगा। यदि वह इस बात को महसूस करते हैं, तो उनका ऐसे निन्दनीय मामले के सम्बन्ध में विशेषतः सुखाडिया मामले में, जो कि प्रथम दृष्टि में प्रतीत साक्ष्य से बहुत ही गंभीर लगता है, शीघ्र निर्णय लिये जाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है? इस मामले में वह लगातार विलम्ब क्यों कर रहे हैं जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : श्री सुखाडिया के खिलाफ प्रथम दृष्टि में प्रतीत मामला कोई नहीं है।

Shri Madhu Limaye : There is a *prima facie* case against him. We are prepared to prove it if you constitute a parliamentary Committee to go into this matter.

श्री रंगा : गृह-कार्य मंत्री ने स्वयं यह कहा है कि यह मामला कई बार इस सभा में पहले उठ चुका है। किन्तु सरकार ने किसी भी अवसर पर सन्तोषजनक जवाब नहीं दिया कि उसे किसी निष्पक्ष न्यायाधिकरण को सौंप दिया गया है, अथवा उसकी जाँच की जा रही है और प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखा जायेगा। उन्होंने अभी कहा कि केन्द्रीय गुप्तचर विभाग ने इसकी जाँच की थी और इससे आगे कुछ नहीं। सभा तो केवल इतना ही जानती है कि ये आरोप जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा उचित ढंग से लगाये गये हैं और उन्हें राष्ट्रपति तथा गृह-कार्य मंत्री जी के सामने रखा गया था। लेकिन सरकार ने संसद तथा देश के सामने यह सिद्ध करने के लिये कि प्रथम दृष्टि में प्रतीत मामला कोई नहीं है, अभी तक संसद तथा देश को यह नहीं बताया कि उसने क्या ठोस कार्यवाही की है; और यदि उनके विरुद्ध ऐसा कोई मामला नहीं है, तो किन कारणों से, और यदि केन्द्रीय गुप्तचर

विभाग अथवा गृह-कार्य मंत्री ने ऐसा कोई मामला समझा है, तो देश को यह विश्वास दिलाने के लिये कि इस प्रश्न पर और आगे जाँच करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने क्या कार्यवाही की है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैंने यह कहा है कि हमें जो कुछ भी सामग्री उपलब्ध हुई है, उसके आधार पर स्पष्टतः प्रथम दृष्टि में प्रतीत मामला कोई नहीं है।

Shri Madhu Limaye : This is what you have decided.

श्री यशवन्तराव चव्हाण: इसके कुछ और पहलू हैं जिनके बारे में आगे जाँच करना जरूरी है, किन्तु मामला अदालत में होने के कारण ऐसा किया नहीं जा सका।

Shri Madhu Limaye : Sir, a Parliamentary Committee may be constituted for the purpose. There are allegations against him but the Home Minister says that there is no *prima facie* case against him. He is himself sitting in the judgement.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या सन्थानम समिति ने यह सिफारिश की है कि जब कभी दस विधायकों द्वारा—चाहे वे विधान सभा के हों अथवा संसद के हों, शिकायतें की जाती हैं, तो उन आरोपों के बारे में प्रथम दृष्टि में प्रतीत जाँच की जायेगी, क्या भारत सरकार ने इस सिफारिश को माना है अथवा नहीं और क्या इस विशेष मामले में, जब सरकार ने यह तय किया कि प्रथम दृष्टि में प्रतीत कोई मामला नहीं है, उन्होंने यह जानने के लिये प्रथम दृष्टि में प्रतीत मामला है अथवा नहीं, उसे किसी कानूनी प्राधिकार को सौंपा था अथवा क्या यह भारत सरकार का दृष्टिकोण है कि चूंकि उसने लोकपाल सम्बन्धी सिफारिश स्वीकार कर ली है इसलिये वह इस सिफारिश को नहीं मानेगी ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण: लोकपाल तो एक संस्था है जिसे अभी कायम होना है। मैं उसके बारे में कैसे कह सकता हूँ ? लेकिन इस समय जो कुछ भी सामग्री हमें मिली है, उससे स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टि में मामला कुछ भी नहीं है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : मंत्री ने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया।

श्री रंगा : उन तथ्यों को आप देश तथा संसद के सामने रखें।

अध्यक्ष महोदय : क्या सरकार ने यह मामला किसी को सौंपा था या उसने ही यह निर्णय किया है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : सौंपने का कोई भी प्रश्न नहीं है। सवाल तो केवल यह पैदा होता है कि क्या प्रथम दृष्टि में प्रतीत कोई मामला है ।

Shri Madhu Limaye: Sir, the question has not been answered. The question is who is the authority to decide whether it was a *prima facie* case or not.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या उन्होंने इसे किसी को सौंपा था या खुद ही यह निर्णय लिया है। उन्होंने स्पष्टतः यह कहा है कि इसे किसी व्यक्ति को सौंपने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता, मंत्री जी ने खुद ही तय किया है। सदस्य इस उत्तर से सहमत हों अथवा नहीं, लेकिन उत्तर पूरा है।

श्री नाथ पाई : गृह-कार्य मंत्री शुरू से ही यह कह रहे हैं कि प्रथम दृष्टि में प्रतीत मामला कोई नहीं है और फिर वह आगे यह कहते हैं कि मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ। पहले तो हमें इस बात की जाँच करनी है कि हुआ क्या है। सन्थानम समिति की सिफारिश के अन्तर्गत—इस विशेष धारा का जो बहुत साफ है, प्रारूप तैयार करने में मेरा योगदान है—गृह-कार्य मंत्री जब कि उनका

एक साथी अन्तर्ग्रस्त है, फैसला नहीं दे सकते। इसलिये हमने उसके इस पहलू पर विचार किया और स्पष्टतः सिफारिश की कि राज्य के किसी मंत्री के मामले में जब 10 विधायक और केन्द्र के मंत्री के मामले में 10 संसद सदस्य किसी मंत्री के विरुद्ध आरोप लगाते हैं तो यह मामला—राज्य के मंत्री के मामले में उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को और केन्द्रीय मंत्री के मामले में उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश के सुपुर्द किया जायेगा और उनकी उपपत्तियाँ यह निश्चय करेगी कि आया प्रथम दृष्टि में प्रतीत मामला है अथवा नहीं। चूंकि श्री चव्हाण ने इस किस्म की कोई कार्यवाही नहीं की है, इसलिये क्या हमें इस नतीजे पर नहीं पहुँचना पड़ा है कि यह दोषी व्यक्ति को संरक्षण देने का मामला है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : बिलकुल नहीं, इस मामले में किसी को संरक्षण देने का कोई सवाल नहीं है। मैंने निश्चित रूप से उपलब्ध साक्ष्य अथवा सामग्री की केन्द्रीय गुप्तचर विभाग के निदेशक द्वारा जाँच के लिये कहा था और उन्होंने मुझे सलाह दी है कि प्रथम दृष्टि में प्रतीत मामला कोई नहीं है।

श्री नाथ पाई : गृह-कार्य मंत्री को शायद यह मालूम नहीं है कि जब मैंने सन्थानम समिति की सदस्यता ग्रहण की, स्वर्गीय श्री शास्त्री जी ने मुझसे उस समय जब कि मैं बीमार था, मेरे बिस्तरे पर कहा था "आप जो कुछ भी सिफारिश करें, हम उसे स्वीकार करेंगे।" मैंने यह बात कभी नहीं बताई, इस विश्वास पर हम कुछ लोग इस समिति में काम करने के लिये सहमत हुए थे। आमतौर पर हम किसी सरकारी समिति की सहायता ग्रहण नहीं करते। प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर करते समय उन्होंने हमें फिर से यह पुनीत विश्वास दिलाया। क्या वर्तमान सरकार ने उस प्रतिवेदन को कबाड़-खाने में फेंक दिया है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जी नहीं, वह प्रतिवेदन का तथा उसके बाद जो कुछ हुआ गलत अर्थ बता रहे हैं। **(अन्तर्बाधाएँ)**।

Shri Madhu Limaye : Sir, some way-out must be evolved ; either a Parliamentary Committee may be constituted or the advice of the Attorney General may be sought in the matter.

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। श्री चिन्तामणि पाणिग्रही। यह पहला अवसर है जबकि मैं इस प्रश्न के दौरान इस ओर से एक सदस्य को प्रश्न पूछने का मौका दे रहा हूँ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : ऐसा सुझाव दिया गया है कि जब किसी पदासीन मंत्री के विरुद्ध निश्चित संख्या में कुछ विधायक अथवा संसद सदस्य कुछ आरोप लगाते हैं, तो वह मामला किन्हीं समितियों को सौंपा जाना चाहिए। मैं गृह कार्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जब पिछले छः—सात महीने से उड़ीसा के विधायकों तथा वहाँ के संसद सदस्यों द्वारा लगाये आरोप उन के पास पड़े हैं, तो वह आखिर उन पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे हैं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस मामले में भी, भारत सरकार को जाँच करने का कोई हक नहीं था, जब राज्यों के मुख्य मंत्रियों के विरुद्ध आरोप हैं. तो हमने जाँच नहीं की है कि उनके विरुद्ध प्रथम दृष्टि में प्रतीत मामला है अथवा नहीं। मैंने उस ज्ञापन को, जिसमें आरोप लगाये गये हैं, उनके पास भेज दिया है और उन्हें सलाह दी है कि यदि वह जानना चाहें कि प्रथम दृष्टि में प्रतीत मामला है अथवा नहीं, तो वह उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को एतदर्थ नियुक्त कर सकते हैं।

श्री जे० एच० पटेल : इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि हमारे सामने भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी समस्या है। क्या भारत सरकार भ्रष्टाचार की समस्या की जाँच करने के लिये एक जाँच आयोग स्थापित करेगी ? भ्रष्टाचार है क्या ? इसकी परिभाषा होनी चाहिये, भ्रष्टाचार सर्वत्र विद्यमान है। जहाँ देखिये वहीं भ्रष्टाचार का बोल-बाला है। क्या भ्रष्टाचार की परिभाषा देने के लिये सरकार एक आयोग की नियुक्ति करेगी ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जी, नहीं। इस हेतु कोई आयोग नियुक्त करने का विचार नहीं है।

Shri Lakhan Lal Kapoor : I want to know whether it is a fact that a German citizen had come to India on a temporary visa for some period which expired some time back ; and he applied for its renewal which was not acceded to. But as a result of the recommendation made by the Khandewala Tube Company of Nagpur, the visa was renewed by the Government and the man has been absorbed by the Company itself ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण: यदि माननीय सदस्य मुझे इस मामले का ब्यौरा दें—चाहे वह मेरे विरुद्ध एक आरोप है, तो मैं निश्चित रूप से उन्हें सारे मामले का स्पष्टीकरण दूंगा।

श्री स० मो० बनर्जी : सरकार ने सन्थानम समिति का सभी सिफारिशें स्वीकार नहीं की है, विशेषकर वे जिनका सम्बन्ध मंत्रियों तथा अन्य व्यक्तियों से है। क्या सरकार का विचार भूतपूर्व मुख्य मंत्रियों तथा अन्य व्यक्तियों के, चाहे वे भूतपूर्व मंत्री हों अथवा पदासीन मंत्री, आचारण के बारे में तथा विभिन्न आरोपों की जाँच करने के लिये, जैसा कि उड़ीसा की वर्तमान सरकार चाहती हैं, एक आयोग नियुक्त करने का है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : हमारा विचार लोकपाल तथा लोक आयुक्त नियुक्त करने का है। मैंने कहा है कि हमने वह सिफारिश सिद्धान्त रूप में मान ली है और इस सम्बन्ध में हम सभा के समक्ष विधेयक लायेंगे।

श्री नन्दकुमार सोमानी : यदि मुझे ठीक याद है, तो जून के महीने में जब इस सभा में भ्रष्टाचार-उन्मूलन विधेयक पर चर्चा चल रहा थी, सरकार ने विश्वास दिलाया था कि भ्रष्टाचार तथा ऐसे अन्य मामलों के विरुद्ध शिकायतों के बारे में मंत्रियों को सरकारी नौकरों की भाँति ही समझा जायेगा। मैं जानना चाहता हूँ कि इस मामले में कितनी प्रगति हुई है और क्या सरकार ने उस पहलू पर कोई अन्तिम निर्णय लिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : विधेयक संसद द्वारा पारित किया गया है। यदि कुछ मामले सामने आये हैं और न्यायालय में दायर किये गये हैं, तो उनके सम्बन्ध में संसद द्वारा स्वीकृत कानून के अनुसार निर्णय लिया जायेगा।

विदेशी प्रतिष्ठान

*186. **श्री वासुदेव ननायर** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में अब कितने तथा कौन-कौन से विदेशी प्रतिष्ठान कार्य कर रहे हैं;

(ख) इन में से प्रत्येक प्रतिष्ठान में कार्य कर रहे विदेशी तथा भारतीय कर्मचारियों की संख्या कितनी-कितनी है;

(ग) अमरीकी समाचार-पत्रों में इस रहस्योद्घाटन के पश्चात् कि इनमें से कुछ प्रतिष्ठान भारत में सी० आई० ए० के एजेंटों को संरक्षण देने का काम करते हैं; क्या सरकार ने इन प्रतिष्ठानों की गतिविधियों की कोई जाँच की है ;

(घ) यदि हाँ, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :

(क) तीन विदेशी निजी प्रतिष्ठान ऐसे हैं जिनके भारत में कार्यालय हैं। वे फोर्ड फाउण्डेशन, रोकफेलर फाउण्डेशन और एशिया फाउण्डेशन हैं।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी।

(ग) और (घ) अमरीकी समाचार-पत्रों में फोर्ड फाउण्डेशन और रोकफैलर फाउण्डेशन के बारे में कुछ नहीं था। हाँ, एशिया फाउण्डेशन के ऐसे निजी प्रतिष्ठानों तथा न्यासों से चन्दे प्राप्त करने का पता चला है जिन्होंने सी० आई० ए० से धन-राशियाँ प्राप्त की थीं।

(ङ) एशिया फाउण्डेशन ने आश्वासन दिया था कि भविष्य में इन श्रोतों से कोई राशियाँ प्राप्त नहीं की जायेंगी। फिर भी वर्तमान अथवा भावी भुगतानों के बारे में एशिया फाउण्डेशन द्वारा दिये गये प्रस्ताव भी तब तक के लिए रोक दिये गये हैं जब तक कि उसके भारत में अपनी गतिविधियाँ जारी रखने के औचित्य पर पूरी तरह विचार न कर लिया जाय।

श्री वासुदेवन नायर : क्या यह सच है कि फोर्ड प्रतिष्ठान के विमान इस देश में चलते हैं और वे युद्ध क्षेत्रों के फोटो लेते हैं; यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस मामले की जाँच की है?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह एक ऐसा मामला है जिसकी विस्तृत रूप से जाँच करनी पड़ेगी।

श्री वासुदेवन नायर : तो क्या मैं यह समझूं कि सरकार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : सरकार के पास जानकारी अवश्य होगी, परन्तु वह मेरे पास इस समय नहीं है।

श्री वासुदेवन नायर : इस प्रश्न की सूचना काफी पहले दी गई थी। मंत्री महोदय को सभी अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर देने के लिये तैयार हो कर आना चाहिये।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि अमरीकी गुप्तचर विभाग के भूतपूर्व अधिकारी श्री जान स्मिथ द्वारा किये गये रहस्योद्घाटन के संदर्भ में आज भी अखबारों में ये समाचार आ रहे हैं कि एक भूतपूर्व कैबिनेट मंत्री भी अमरीकी गुप्तचर विभाग से वेतन लेते थे और विदेशी सरकार और अभिकरण के आदेशानुसार वह दूसरे कैबिनेट मंत्री की निन्दा करते थे। सरकार इन सभी समाचारों पर सोती रही है क्योंकि वह राज्य सरकारों को हटाने में व्यस्त थी—और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि डैविड हैनरी ढली जो कि श्री जॉन स्मिथ के साथ काफी पहले काम कर रहे थे वह अब भी भारत में काम कर रहे हैं, क्या सरकार को इस व्यक्ति के बारे में कुछ जानकारी है?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जिस नाम का उन्होंने उल्लेख किया मुझे बताया जाता है कि वह अब भी यहाँ अमरीकी राजदूतावास में है।

श्री श्रद्धाकर सुपाकर : क्या इनमें से कुछ प्रतिष्ठानों की सहायता के साथ यह शर्त लगाई गई है कि सहायता के साथ-साथ एक निश्चित संख्या में शाँति सेना के स्वयंसेवक नियुक्त किये जायें?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : शांति सेना के स्वयं सेवकों, उनकी शर्तों आदि के बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। इस प्रश्न का सम्बन्ध अमरीकी गुप्तचर विभाग की निधियों और भारत में करने वाले प्रतिष्ठानों से है।

Shri Rabi Rai : Do Government propose to appoint a Parliamentary Committee to look into the affairs of the three foundations and to ascertain the extent to which the C.I.A. men have intruded into the internal affairs of the Country ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : किसी को रोकने का कोई प्रस्ताव नहीं है, परन्तु जो व्यक्ति अमरीकी गुप्तचर विभाग से पैसा लेते हुए पाये जायेंगे उनके विरुद्ध निश्चय ही कार्यवाही की जायेगी। स्वभावत: इन मामलों की जाँच की जायेगी और निश्चय ही इसके बारे में कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। परन्तु हम कोई सामान्य रोक नहीं लगा सकते हैं।

श्री शशि रंजन : क्या सरकार ने शान्ति सेना के स्वयंसेवकों पर नागालैंड और मिज़ो पहाड़ियों जैसे स्थानों पर जाने पर रोक लगा रखी है?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : स्वभावतः उनको ऐसे क्षेत्रों में जाने की अनुमति नहीं है। शाँति सेना के बारे में मैं सभी विस्तृत प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता हूँ।

Shrimati Savitri Shyam : Have Government received complaints about the conversion activities carried on by the foreign foundations?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं नहीं समझता कि प्रतिष्ठान यह कार्य कर रहे हैं। कुछ आरोप लगाए गए थे, परन्तु वे विदेशी धर्म प्रचारकों के बारे में थे; प्रतिष्ठानों के साथ इनका कोई सम्बन्ध नहीं था।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : क्या सरकार ने कोई सामान्य शर्त रखी है जिसके अन्तर्गत ये प्रतिष्ठान इस देश में काम कर सकते हैं?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : उनको चाहे जैसे काम करने की अनुमित देने का कोई प्रश्न नहीं है। वे कुछ हालतों के अन्दर ही यहाँ काम कर सकती हैं। उनके कुछ विशिष्ट काम हैं। एशिया प्रतिष्ठान के बारे में यह पाया गया कि उसने कुछ पैसा लिया था इसलिए मैंने कहा कि सारा मामला कैबिनेट के विचाराधीन है।

श्री हेम बरुआ : क्या अमरीकी गुप्तचर विभाग और प्रतिष्ठानों के बीच सभी वित्तीय सम्पर्कों को तोड़ने के लिए सरकार ने कोई व्यवस्था निकाली है?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : स्वभावतः हमें सभी आवश्यक कदम उठाने होंगे और इसीलिए मैंने कहा कि सारा मामला विचाराधीन है।

श्री समर गुह : भारत में अमरीका द्वारा वित्तपोषित कई प्रतिष्ठान हैं जिनके बारे में रहस्योदघाटन किए गए हैं, जैसे कि अमरीकी गुप्तचर विभाग। परन्तु भारत में अनेक मित्रता प्रतिष्ठान हैं। जिनका रूस, ब्रिटेन और चीन और पाकिस्तान जैसे विभिन्न देशों से सम्बन्ध है। ये संस्थाएं कोई जासूसी या राष्ट्रविरोधी काम तो नहीं करतीं हैं, क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जहाँ तक मुझे पता है इन देशों का कोई प्रतिष्ठान नहीं है। परन्तु सरकारी स्तर पर उन देशों की कुछ छात्रवृत्ति योजनाएँ हैं।

श्री समर गुह : कुछ मित्रता संगठन हैं। वे भारत के हितों के विरुद्ध तो काम नहीं करती हैं क्या इस सम्बन्ध में कोई जाँच की गई है?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह प्रश्न विदेशी प्रतिष्ठानों से सम्बन्धित था। यदि अन्य देशों के सहयोग से कोई मित्रता संगठन काम कर रहे हैं तो यह एक पृथक मामला है। इन मामलों में

हम उनकी कार्यवाहियों को देखते हैं और उचित कदम उठाते हैं। परन्तु यदि मैं आपको उन कदमों के बारे में बताने लगा तो उन कदमों का सारा प्रभाव खराब हो जायेगा।

श्री नाथ पाई : कार्यवाही न करने पर इस भय से परदा नहीं डाला जाना चाहिये कि शत्रु को पता लग जायेगा। हमें इस पर शक है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह ठीक है। इसलिए आपको वह प्रश्न पूछना चाहिये। परन्तु मैं समझता हूँ मेरे उत्तर से आप संतुष्ट हो जायेंगे।

श्री हेम बरुआ : उनका उत्तर हमें संतुष्ट नहीं करता।

श्री स० मो० बनर्जी : जब से नई संसद बैठी है, सभी सदस्य यह माँग कर रहे हैं कि अमरीकी गुप्तचर विभाग से भारत में जो धन आ रहा है उसकी आयोग द्वारा जाँच होनी चाहिए। आज के अखबारों में भी यह आया है कि उन्होंने यह माना है कि एयर इन्डिया का विमान "काश्मीर प्रिन्सैस" जासूसी के कारण दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। उन्होंने यह भी कहा है कि कुछ कैबिनेट मंत्री भी इसमें अन्तर्गस्त थे। मैं जानना चाहता हूँ कि भूतपूर्व वैदेशिक-कार्य मंत्री श्री चागला द्वारा जो आश्वासन दिया गया था कि वह आयोग की नियुक्ति के लिए इस सभा की भावनाएँ मंत्रिमण्डल के सामने रखेंगे, क्या गृह-कार्य मंत्री इस सारे मामले की जाँच करने के लिए एक आयोग नियुक्त करने जा रहे हैं?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई आयोग नियुक्त करने का विचार था। मैंने उनसे जो सुना था वह इस मामले में किसी प्रकार की जाँच कराना था। इस बारे में प्रश्नों के उत्तर दे चुका हूँ कि एक जाँच की गई थी और मामला विचाराधीन है।

अध्यक्ष महोदय : यदि वह अमरीका के साथ मिल जाता है तो बहुत सारे और लोगों के विरुद्ध आरोप लगायेगा। अतः अपको सावधान भी रहना चाहिये।

Shri Ramavtar Shastri : May I know the names of those foundations which are getting P. L. 480 funds ?

श्री यशवन्राव चव्हाण : मुख्य प्रश्न यह था कि क्या वे वास्तव में अमरीकी गुप्तचर विभाग से धन प्राप्त कर रहे थे। तीन प्रतिष्ठानों में से रॉकफैलर और फोर्ड प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कोई आरोप नहीं है। तीसरे प्रतिष्ठान, अर्थात् एशिया प्रतिष्ठान से प्रतीत होता है, अमरीकी गुप्तचर विभाग से धन प्राप्त किया है और उसके बारे में हम जो कुछ कर रहे हैं वह मैंने आपको बता दिया है।

सरकारी कर्मचारियों के पूर्व इतिहास की पुलिस द्वारा जांच

190. **श्री श्रीधरन :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि सरकारी नौकरी में आने वाले उम्मीदवारों के पूर्व इतिहास की पुलिस द्वारा की जाने वाली जाँच के बारे में नीति और उसके आधार के बारे में वह पुनर्विचार करे; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) केरल सरकार का अनुरोध प्राप्त होने से पहले ही सम्बन्धित अनुदेशों पर पुन-विचार शुरू कर दिया गया था। इन अनुदेशों को अब विस्तार से वर्णन कर दिया गया है ताकि जिस प्रकार की भ्रांतियों अथवा आशंकाओं का उल्लेख केरल सरकार ने किया था, उस प्रकार की भ्रांतियों अथवा आशंकाओं का निराकरण किया जा सके। ये विस्तारित अनुदेश केरल सहित सभी राज्य सरकारों को परिपत्रित किए गये हैं ।

श्री श्रीधरन: पुलिस द्वारा जाँच करते समय किन-किन बातों की जाँच की जाती है; क्या केवल उनकी सामाजिक, नैतिक और आर्थिक कार्यवाहियों की ही जाँच की जाती है या राजनीतिक कार्यवाहियों की भी जाँच की जाती है?

श्री विद्याचरण शुक्ल: बुनियादी तौर पर हम दो बातों की जाँच करते हैं। एक तो यह कि क्या किसी व्यक्ति को नैतिक अपराध के सिलसिले में दण्ड दिया गया है। दूसरे हमने 1947 में स्पष्ट रूप से यह कहा है कि किसी भी व्यक्ति को केवल उसके राजनीतिक विचारों के कारण नियुक्ति के लिये अनुपयुक्त नहीं समझा जाना चाहिये। परन्तु इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिये कि ऐसे व्यक्ति नियुक्त न किए जायें जिनके निष्ठाहीन होने की संभावना हैं। बुनियादी तौर पर हमारी स्थिति वही है। कुछ आशंकाएँ थी जैसा कि माननीय सदस्य ने उल्लेख किया कि पूर्व इतिहास की जाँच करते समय कुछ राजनीतिक विचार आ गए थे। ऐसी शंकाओं को दूर करने के लिये हमने हाल ही में उन बुनियादी हिदायतों को बड़ा रूप दिया है और सभी राज्य सरकारों को परिचालित किया है। वे राज्य सरकारों के विचाराधीन हैं। अधिकांश राज्य सरकारों से हमें उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री श्रीधरन: माननीय मंत्री ने अभी बताया कि किसी आवेदक या कर्मचारी की निष्ठा को ध्यान में रखा जाता है। निष्ठा का पता लगाने के लिये क्या मापदण्ड रखा गया है?

श्री विद्याचरण शुक्ल: यह सर्वविदित है कि निष्ठा का अर्थ है भारत के संविधान के प्रति निष्ठा।

श्री श्रीधरन: उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। किसी आवेदक या कर्मचारी की निष्ठा सुनिश्चित करने के लिये सरकार द्वारा क्या कसौटी अपनाई जाती है ? **(व्यवधान)**

श्री विद्याचरण शुक्ल: सामान्यतः हम ऐसा राज्य सरकारों और जिला मैजिस्ट्रेटों के द्वारा करते हैं। अबजो कसौटी सुझाई गई है वह जिला मैजिस्ट्रेटों और राज्य सरकारों के लिए मार्गदर्शन सिद्धान्तों का काम करेंगे कि किसी व्यक्ति की संविधान के प्रति निष्ठा है या नहीं। **(व्यवधान)**।

श्री नम्बियार: क्या यह सच है कि राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने के लिये कहा गया था कि क्या आवेदक साम्यवादी दल या द्रविड़ मुनेत्र कषगम दल या अन्य किसी दल से सम्बन्ध रखता है और सरकार ने यह जानकारी प्राप्त करने पर आग्रह किया कि क्या आवेदक किसी विशिष्ट कार्मिक संघ से सम्बन्ध रखता है और यदि हाँ, तो क्या आवेदक के पूर्व इतिहास की जाँच करने से पहले यह सब व्यौरा इकट्ठा किया गया था ?

श्री विद्याचरण शुक्ल: जहाँ तक पूर्व इतिहास के सम्बन्ध में सरकार की हिदायतों का सम्बन्ध है, हमने ऐसी कोई जानकारी नहीं मांगी थी।

Shri Kameshwar Singh : Will the Hon. Minister take action to reinstate a person who has been dismissed from service for giving cooperation to some political party ?

Shri Vidya Charan Shukla : This question does not arise in view of the fact that antecedents are verified before appointment and after appointment.

श्री नायनार : क्या सरकार को पता है कि राजनीतिक मतभेद के कारण कई व्यक्तियों को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में नौकरी के लिये रद्द कर दिया जाता है और यदि हाँ, तो क्या सरकार उन प्रबन्धकों को भविष्य में ऐसा न करने के लिये हिदायतें देगी ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं पहले बता चुका हूँ कि हमने ऐसी कोई हिदायतें जारी नहीं की हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री वाजपेयी !

Shri A. B. Vajpayee : Mr. Speaker, whether any definite information has been given by Central Government in this regard? If a definite and final information has been given, will the Hon. Minister be pleased to place that information on the Table of the House ? Investigations are made by the State Governments through District Magistrates and the District Magistrate on his part get that enquiry made through a sub-inspector of Police or a junior officer of C.I.D. If so, whether the Hon. Minister is aware that authority is being ill used in this regard and whether Government have any proposal that such investigations are made of higher level ?

Shri Vidya Charan Shukla : Mr. Speaker, so far as the question of character verification or the question of verification of antecedents is concerned, I have already stated that we have never given any such instruction that a person belonging to a particular political party should not be taken in service. We have given much thought to the second question raised by the Hon. Member. Some complaints were also received in this regard and then in 1954 an order was issued to discontinue to spot enquiries, which were being made by junior employees. After that after elapsing a period of seven or eight years some questions were raised and it was seen that nothing could be known about those persons whose antecedents were in doubt, so the District Magistrate was authorised to conduct a field enquiry in a case, in which he deems it necessary. But field enquiries are not made as a general rule.

Shri A. B. Vajpayee. I have asked whether the information will be laid on the Table of the House ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : हमने राज्य सरकारों को जिस पुनरीक्षित मानदण्ड का सुझाव दिया है उसकी प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी।

विमान निगमों को हुई हानियाँ

*191. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन और एयर इंडिया को उनमें तकनीशियनों और कर्मचारियों द्वारा की गई हड़ताल के दौरान स्थगित हवाई सेवाओं के परिणामस्वरूप कितनी-कितनी हानि हुई ; और

(ख) इन दो विमान निगमों के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को बढ़ा हुआ मंहगाई भत्ता और दूसरी उपलब्धियों को देने के लिये कितनी धन-राशि की आवश्यकता है और वेतन सहित कार्य संचालन व्यय को हटाकर यह राशि वार्षिक आय की कितने प्रतिशत है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती जहाँ आरा जयपाल सिंह) :

(क) हड़तालों के कारण इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को 1967 में 20 लाख रुपए की हानि हुई। और एयर इंडिया को अक्तूबर तक 14.75 लाख रुपए की हानि हुई। 6 नवम्बर, 1967 से एयर इंडिया एयरक्राफ्ट मेंटिनेंस इंजीनियरों की मौजूदा हड़ताल के कारण प्रतिदिन 4 लाख रुपए की हानि होने का अनुमान लगाया गया है।

(ख) 1966–67 के दौरान आई० ए० सी० के वेतन-मानों तथा भत्तों के पिछले पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप 'वेज-बिल' में लगभग 150 लाख रुपए की वृद्धि हुई। उस वर्ष कार्पोरेशन को वर्ष के अंत तक कुल 4.32 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। 1965–66 के दौरान वेतन-मानों के पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप एयर इंडिया के वेज-बिल में लगभग 80.82 लाख रुपए की शुद्ध वृद्धि हुई; जबकि कारपोरेशन को 163.56 लाख रुपये का शुद्ध लाभ हुआ।

श्री स० चं० सामन्त : प्रश्न के भाग (क) के सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूँ कि भविष्य में हड़तालों तथा अन्य किन्हीं कारणों से ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर उसका मुकाबला करने के लिये क्या कोई वैकल्पिक प्रबन्ध किया गया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : उड्डयन संगठन में विमान चालकों (पाइलटों) तथा अन्य आवश्यक कर्मचारियों के स्थान पर अन्य व्यक्तियों को रखना सरल कार्य नहीं है, क्योंकि ये व्यक्ति तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त किये हुए होते हैं। वैकल्पिक प्रबन्ध का हम हमेशा प्रयत्न करते हैं, परन्तु हमारे लिये यह कहना कठिन है कि हमने पक्का वैकल्पिक प्रबन्ध कर लिया है।

श्री स० चं० सामन्त : क्या इन दो निगमों को हड़तालों के अतिरिक्त किन्हीं अन्य कारणों से भी हानि हुई और यदि हाँ तो, किन-किन कारणों से हानि हुई तथा तीसरी पंचवर्षीय योजना में कितनी हानि हुई ?

डा० कर्ण सिंह : वर्तमान प्रश्न हड़तालों के परिणामस्वरूप हुई हानि से सम्बन्धित है। वास्तव में कुछ और भी कारण हैं, जिनके परिणामस्वरूप इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को हानि हुई। उदाहरण के तौर पर वर्ष 1966 में एयर एण्डिया कारपोरेशन को कैरावेल विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने के परिणामस्वरूप हानि हुई और इसके अतिरिक्त एन० आई० टी० पंचाट की क्रियान्विति तथा अन्य कारणों से भी अधिक खर्च करना पड़ा। गत वर्ष एयर एण्डिया ने मुनाफा कमाया है।

Shri Prakash Vir Shastri : Sir, I do not want to know anything about Indian Air Lines Corporation, but I want to know about Air India, because Air India has been able to achieve third place in the International Air Companies and such actions lead to have detrimental effect on the fame of Air India. So I want to know whether in order to ensure that Air India not only retains its present place, but also enhances it, whether Government have taken some measures that such things may not occur in future ?

Dr. Karan Singh : As the Hon. Member has stated we are really proud of the fact that Air India has achieved a high place in international aviation, but at the same time we are much distressed to see the workers going on strike like this, because it degrades our prestige. So what we can do is that we can only hope that the employees of Air India will not go on strike and they will cooperate with us in enhancing the status of Air India.

श्री नम्बियार : क्या सरकार इण्डियन एयरलाइस कारपोरेशन के इंजीनियरों की वर्तमान हड़ताल को खत्म कराने के लिये सक्रिय कार्यवाही कर रही है तथा क्या सरकार उन महत्वपूर्ण

व्यक्तियों की मुअत्तली तथा बर्खास्तगी के आदेशों को वापस लेगी जिन का यूनियन पर नियंत्रण है तथा ऐसी कार्यवाही करेगी जिससे शान्तिपूर्ण हल सुनिश्चित हो सके ?

डा० कर्ण सिंह : हड़ताल इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन में नहीं है, बल्कि एयर इण्डिया में है। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूँ शांतिपूर्ण समझौता करने के लिये बहुत सक्रिय कार्यवाही की जा रही है। गत तीन अथवा चार दिनों में मैं स्वयं वार्ता में भाग लेता रहा हूँ। मैं केवल यही कह सकता हूँ कि मुझे आशा है, आज हड़ताल वापस ले ली जायेगी। मैं केवल यही कह सकता हूँ, इससे अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता।

श्री कुण्डू : यह एक बात है कि कर्मचारियों की हड़ताल के परिणामस्वरूप कुछ हानि हुई है। परन्तु क्या माननीय मंत्री को पता है कि इन दो कारपोरेशनों पर लाखों रुपये खर्च किये गये हैं तथा नियत राशि से अधिक व्यय अथवा फजूलखर्ची तथा विलास की वस्तुओं पर किये गये व्यय के कारण भी बहुत रुपया बर्बाद किया गया है ? उदाहरण के तौर पर दिल्ली में इण्डियन एयर लाइन्स का दफ्तर खोलते समय लाखों रुपये खर्च किये गये थे और एक बहुत बड़ी पार्टी दी गई थी, जिसमें अतिथियों को शराब पेश की गई थी ? ऐसे फजूलखर्च को रोकने के लिये मंत्री महोदय क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

डा० कर्ण सिंह : मैं नहीं समझता कि यह कहना सही है कि विमान कंपनी में फजूल तथा अनावश्यक खर्च किया जा रहा है। जैसा कि माननीय सदस्य को पता है एयर लाइन्स कारपोरेशन एक ऐसी संस्था है जिसे दूसरी अन्तर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियों से समन्वय स्थापित करके तथा उनके सहयोग से काम करना होता है और इसलिये उन्हें कुछ स्तर रखना पड़ता है तथा कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं अन्यथा अन्य विमान सेवाओं के साथ प्रतियोगिता करनी कठिन हो जायेगी।

श्री दामानी : तकनीशियनों को सब उपलब्धियाँ मिला कर औसतन कितना मासिक धन दिया जाता है ?

डा० कर्ण सिंह : इस समय मेरे पास आँकड़े नहीं हैं।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : इस बात को देखते हुए कि ऐसी हड़तालों से राष्ट्र को हानि होती है तथा राष्ट्र का सम्मान भी गिरता है, क्या यह संभव नहीं है कि एयर इण्डिया के कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी करारों में कुछ खंड जोड़कर ऐसी हड़तालों को रोका जाये ? क्या हम अन्य अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं की तुलना में एयर इण्डिया के कर्मचारियों को कम वेतन देते हैं अथवा उनके बराबर वेतन दिया जाता है ?

डा० कर्ण सिंह : इस समय मेरे पास तुलनात्मक आँकड़े नहीं है। परन्तु मैं यह कह सकता हूँ कि जहाँ तक एयर इण्डिया के कर्मचारियों के वेतन का सम्बन्ध है, उन्हें बहुत अधिक वेतन मिलता है, क्योंकि इसे न केवल विदेशी विमान कम्पनियों के सम्तुल्य अपितु देश के सामान्य मजूरी ढाँचे के सम्तुल्य रखना पड़ता है।

जहाँ तक माननीय सदस्य के प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है, हम अवश्य इस बात का प्रयत्न करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि सेवा नियमों के अन्तर्गत ऐसी हड़तालें करना अधिक से अधिक कठिन हो जाये, परन्तु मैं यह नहीं कह सकता कि इन नियमों में एकतरफा संशोधन किया जा सकता है अथवा नहीं। हमें इस मामले पर विचार करना होगा।

अल्प सूचना प्रश्न

Short Notice Questions

Strike Notice by the Employees of the Government of India Presses, Delhi & Faridabad.

S.N.Q. 2 Shri Raghuvir Singh Shastri.

Will the **Minister of Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the employees of the Government of India Presses at Delhi and Faridabad have decided to go on strike from the 22nd November, 1967 ;

(b) if so, the nature of their demands ; and

(c) the action taken by Government to meet them ?

निर्माण आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

कुल 45 माँगों में से 34 माँगें वेतनमान की उन्नति के संबंध में हैं, 3 का संबंध सेवा की भर्ती में सुधार से है, 7 पदोन्नति के पदों (प्रमोशनल पोस्ट्स) को और अधिक बनाने के संबंध में है। तथा एक 1961 के बाद भर्ती हुए लोगों की छुट्टी में उदारता के सम्बन्ध में है।

(1957 के वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार) 1964 में भारत सरकार के द्वारा स्थापित केटोगराईजेशन कमेटी की सिफारिशों के अनुसार 1966 में भारत सरकार के मुद्रणालयों के औद्योगिक कर्मचारियों के पचास से अधिक वेतन मानों को पुनरीक्षित किया जा चुका है। वर्तमान माँगों में से अधिकाँश माँगें उपर्युक्त कमेटी की सिफारिशों की परिधि से बाहर है तथा वेतनमान को बढ़ाये जाने पर सामान्य रोक, तथा अन्य औद्योगिक स्थापनाओं पर व्यापक प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए इन्हें स्वीकार करना संभव नहीं है। फिर भी, कमेटी की कुछ सिफारिशें जो कि सरकार के द्वारा पूरी तरह स्वीकार नहीं थीं, उनकी पुनः समीक्षा की जा सकती है।

वेतन के पुनः निर्धारण में उदारता करने, व्यवसायिक परीक्षा (ट्रेड ट्रेस्ट) को समाप्त करने तथा उत्पादन (आउट टर्न) में उदारता करने की तीन माँगों में से केवल अन्तिम माँग विचाराधीन है। अन्य दो स्वीकार नहीं की जा सकतीं।

7 माँगें अतिरिक्त पदों के बनाये जाने तथा उनके भरे जाने की पद्धति से संबंधित हैं। अतिरिक्त पदों का बनाया जाना सामान्यतः कार्यभार के अनुसार होता है। फिर भी, कुछ माँगों की पुनः समीक्षा की जा सकती है। रिक्त स्थानों को भरने के प्रश्न पर कार्यवाही आरंभ की जा चुकी है तथा कुछ मामलों में यह पूरी भी हो चुकी है।

1961 में ये आदेश जारी हुए थे कि 17-11-1961 के बाद भर्ती हुए भारत सरकार के मुद्रणालयों के औद्योगिक कर्मचारियों को फैक्ट्री कर्मचारियों को दी जा सकने वाली छुट्टी दी जायेगी। 1961 के बाद तथा 1961 के पूर्व हुई भर्ती का अन्तर समाप्त करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

Shri Raghuvir Singh Shastri : May I know whether it is fact that the employees of Faridabad Press went on strike on 17 October, which was later on postponed till 21st November as a result of an assurance given by the Minister of Works, Housing and Supply, but even then their demand regarding compensatory allowance had been rejected ?

Shri Iqbal Singh : Yes Sir, it is a fact that at the first instance they went on strike for one day and later on it was withdrawn. So far as the question of compensatory allowance is concerned, they were told that a reference would be made to the Ministry of Finance again and that reference had been made.

Shri Raghuvir Singh Shastri : The Strike of Government Press employees is the biggest and most comprehensive. Is it a fact that Government encourage the policy of voluntary arbitration in respect of industrial disputes and if, so, why Government is hesitating in taking recourse to voluntary arbitration in the case of their own industrial establishment and especially employees.

Shri Iqbal Singh : In this matter so far as the Press workers are concerned there is no question of any hesitation. They have their unions and the view points of the unions are carefully considered. Therefore the question of voluntary arbitration does not come here.

श्री काशी नाथ पाण्डेय : क्या यह सच है कि हड़ताल होने से पहले इण्डिया नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस से सम्बद्ध कार्मिक संघ के प्रधान ने मंत्री महोदय को पत्र लिखा था कि उनके प्रतिनिधि को वार्ता के लिये बुलाया जाये, ताकि हड़ताल को टाला जा सके और यदि हाँ, तो उस पत्र पर क्या कार्यवाही की गई थी तथा इस समय इस बारे में उनका क्या रवैया है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : यह सच है कि कार्मिक संघ के प्रधान मुझ से मिले थे तथा माननीय सदस्य भी उस समय उपस्थित थे। उन्होंने जो माँगें पेश की थी, वे विचाराधीन है तथा मुझे आशा है कि इस सम्बन्ध में कुछ न कुछ किया जायेगा।

श्री म० ला० सोंधी : क्या यह सच है कि श्रमिकों में यह भावना व्याप्त है कि अधिकार प्राप्त व्यक्ति अपने सम्बन्धियों को महत्वपूर्ण पदों पर रख लेते हैं तथा वास्तव में इस पद्धति जिसे भ्रष्टाचार्य की संज्ञा दी जानी चाहिये, के विरुद्ध धारणा दिया गया था और व्यापक असंतोष प्रकट किया गया था तथा श्रमिकों का केटोगराईज़ेशन कमेटी में बिल्कुल विश्वास नहीं है ? अतः दमन चक्र चलाने की बजाये सरकार उनका सहयोग प्राप्त क्यों नहीं करती, जिससे मुद्रणालयों के प्रशासन में एक नया अध्याय जोड़ा जा सके ?

श्री इकबाल सिंह : जहाँ तक सहयोग प्राप्त करने का सम्बन्ध है, हम इसके लिये तैयार हैं। हमने उन्हें बुलाया था तथा कुछ सुझावों की जाँच की जा रही है और उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा रहा है।

जहाँ तक केटोग्राइज़ेशन कमेटी का सम्बन्ध है, मैंने सभा पटल पर एक विवरण रखा है, जिसमें उन सिफारिशों का ब्यौरा दिया गया है, जिन्हें स्वीकार कर लिया गया है। केटोग्राईज़ेशन समिति कोई वेतन आयोग अथवा वेतन पुनरीक्षण आयोग नहीं था।

श्री मा० र० कावडे : क्या यह सच है नासिक प्रेस के कर्मचारी भी हड़ताल में शामिल हैं और यदि हाँ, तो कितने ?

श्री इकबाल सिंह : इस बारे में मुझे कोई जनकारी नहीं है।

श्री स० मो० बनर्जी : श्री पी० के० मेन की अध्यक्षता में केटोग्राईज़ेशन कमेटी इसलिये बनाई गई थी क्योंकि वेतन आयोग में मुद्रणालय कर्मचारियों को उचित-प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ था।

केटोग्राईजेश कमेटी ने बहुत दिन पहले अपना प्रतिवेदन पेश किया था। उसके बाद हमने सरकार के प्रतिनिधियों तथा मंत्री महोदय से कई बार वार्ता की तथा हमें आश्वासन दिया गया था कि विचार विमर्श के बाद उन सिफारिशों को सहमति प्राप्त करने के लिये वित्त मंत्रालय में भेज दिया जायेगा। क्या यह सुनिश्चित करने के लिये कि वित्त मंत्रालय केटग्राईजेशन कमेटी की सिफारिशों को सहमति प्रदान करे. ताकि कर्मचारियों को पूर्णतया संतुष्ट किया जा सके, कोई निर्णय किया गया है ?

श्री इकबाल सिंह : जहाँ तक वेतन कॅटोग्राईजेशन कमेटी की सिफारिशों का सम्बन्ध है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि श्रमिकों के प्रतिनिधियों तथा सरकारी अधिकारियों के बीच बहुत सी बैठकें हुई थी तथा हमने अपनी सिफारिश वित्त मंत्रालय को भेज दी हैं, क्योंकि वित्त मंत्रालय भी उससे सम्बन्धित हैं। हम अपनी इन सब सिफारिशों को अन्तिम रूप दे रहे हैं तथा एक अथवा दो दिन में उन्हें सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

Shri Randhir Singh. I want to know the reasons as to why they have to resort to strike and their demands, when they are right demands are not accepted in the first instance?

Shri Iqbal Singh : So far as the question of demands is concerned, those demands are accepted which are considered as right demands, but we cannot accept those demands, which are not right. So far as the question of pressure is concerned, it is not correct to say that we yield to pressure. It is a Categorisations Committee and not a Pay Commission. So we have accepted those demands, which could be accepted.

Shri Prakash Vir Shastri : The Statement laid on the Table of the House by the Hon. Minister states—Some recommendations of the Committee which were not wholly accepted by Government can be reviewed. Secondly it says that seven demands can be reviewed, which are regarding extra posts. Thirdly it states that the question of abolitions of distinctions between post—1961 entrants and pre—1961 entrants is being examined. May I know whether this half-hearted action on the part of Government is responsible for strikes in such an importance Press. It has been notified in today's Lok Sabha Bulletin that papers are not being printed due to strike in the Press. It means that strike is affecting the business of Lok Sabha, which is very important. Government should decide once for all that this facility will be given and this facility will not be given. It is not proper to say that the matter is under consideration. I want to know by what time Government will have this Press closed by saying so ?

Shri Iqbal Singh : It is correct that there is strike in the Parliamentary wing of the Press. But so far as the question of accepting the demands is concerned, we have accepted all those demands without exceptions which were considered reasonable and a statement showing the details of those demands which had been accepted, will be laid on the Table of the House in a day or two. The demands, which were considered unreasonable and which were beyond the scope of Categorisations Committee had not been accepted .

Shri Sheo Narain : The Hon. Minister has just stated that a report has been sent by him to the Minister of Finance. I would like to know the details thereof.

Shri Iqbal Singh. I have stated that a reference was made to Finance and we have accepted those demands which have been accepted by Finance.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

घेरावों के बारे में कलकता उच्च न्यायालय का निर्णय

*181. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान घेराव आन्दोलन तथा कारखानों के प्रबन्धकों एवं तकनीशनों को तंग करने की अवैधता के बारे में कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उपर्युक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुए स्थिति को ठीक करने तथा देश के औद्योगिक क्षेत्र में शांति और व्यवस्था की स्थिति को बिगड़ने न देने के लिये सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :

(क) पश्चिमी बंगाल की सरकार ने हमें सूचित किया है कि इस विषय से सम्बन्धित उनके दो परिपत्र कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा कानून की दृष्टि से बुरे और संविधान की मान्यताओं के विरुद्ध बताये जा कर रद्द कर दिये गये हैं। निर्णय की प्रामाणिक प्रतियाँ प्राप्त होने की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) राज्य सरकार ने सभी सम्बन्धित अधिकरियों को हिदायतें दी हैं कि वे उनके उच्च न्यायालय द्वारा रद्द किये गये 27 मार्च 1967 और 12 जून 1967 के परिपत्रों में दी गई हिदायतों के अनुसार कोई कार्यवाही न करें।

कांडला बन्दरगाह पर जहाजों को घाट तक पहुंचने की समस्याएं

*187. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काँडला बन्दरगाह पर जहाज को घाट तक पहुँचने के लिये 10 दिन से अधिक समय तक समुद्र के बीच प्रतीक्षा करनी पड़ती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि जहाज के घाट तक पहुँचने के बाद कांडला बन्दरगाह अधिकारी जहाज से माल उतारने में 20 दिन तक का समय लगा देते हैं ;

(ग) यदि हाँ, तो काँडला में जहाजों को घाट तक पहुँचाने में इतना समय लगने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या यह भी सच है कि वहाँ क्रेनों और बजरों जैसी बन्दरगाह संबंधी 50 प्रतिशत से अधिक सुविधाओं की स्थिति अच्छी नहीं है; और

(ङ) यदि हाँ, तो कान्डला बन्दरगाह के कार्य स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वि० के० आर० वि० राव) :

(क) जी नहीं। गत 6 मास में इस पत्तन पर आने वाले 14 पोतों में से 7 पोतों को स्वेज-नहर संकट के कारण जहाजों के एक साथ बड़े पत्तनों पर आने के कारण प्रतीक्षा करनी पड़ी। एक जून से 8 नवम्बर तक प्रति जहाज प्रतीक्षा करने का औसत समय 2.8 दिन आता है।

(ख) जून 1967 से जो जहाज पत्तन पर आये उनमें से किसी को भी अपना माल उतारने में 20 दिन नहीं लगे। माल उतारने में लगा औसत समय 6 दिन आता है।

(ग) सामान्यतः जहाज बर्थों की बगल से माल उतारना पसन्द करते हैं चाहे उन्हें कुछ दिन प्रतीक्षा करनी पड़े बजाय इसके कि वह लाइटरों में माल उतारें।

(घ) जी नहीं।

(ङ.) प्रश्न नहीं उठता है। फिर भी पत्तन के कारबार में सुधार करने के उपाय किये जा रहे हैं।

चौथी योजना में शिक्षा के लिए धन का नियतन

*189. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चतुर्थ योजनावधि में शिक्षा के लिये अधिक राशि रखी जायेगी;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस निर्णय को क्रियान्वित करने के लिये कोई विस्तृत योजना बनाई गई है; और

(ग) क्या इस संबंध में योजना आयोग को परामर्श देने के लिये विशेषज्ञों का एक दल नियुक्त किया जायेगा ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) से (ग) : चौथी पंचवर्षीय योजना का समूचा प्रश्न अब योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद् के विचाराधीन है।

राज्यों के बीच सीमा संबंधी विवाद

*192. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों के बीच के सीमा सम्बन्धी झगड़ों को निबटाने के लिए कोई नया सूत्र तैयार किया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उस सूत्र की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या राज्यों ने उसे स्वीकार कर लिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) राज्यों के बीच सीमा विवाद सामान्यतः आपसी बात-चीत और समझौते द्वारा तय किये जाने चाहिए। सीमा विवादों से सम्बन्धित मामलों पर विचार-विमर्श करने और सिफारिश करने के लिये क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों का भी उपयोग किया जा सकता है। अब तक जब कभी भी विशेष अन्तर्राज्य विवादों को निपटाने की जरूरत पड़ी है तब प्रत्येक सम्बन्धित मामले की प्रकृति और आवश्यकताओं को देखते हुए आयोग अथवा समितियाँ नियुक्त की गई हैं। राज्यों के बीच सीमा विवादों को हल करने के लिये कोई नया सूत्र तैयार नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उ ते।

अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन वर्ष

*193. **श्री जगन्नाथ राव जोशी :** **श्री श्रीचन्द गोयल :**
श्री चेंगलराया नायडू : **श्री श्रद्धानन्द :**
श्री अटल बिहारी बाजपेयी : **श्री मरंडी :**
श्री ना० स्व० शर्मा : **श्री म० सुदर्शनम :**
श्री कंवर लाल गुप्त : **श्री बी० चं० शर्मा :**

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन वर्ष के दौरान भारत में पर्यटकों की संख्या उत्साहजनक नहीं रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक वर्ष में कुल कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है ; और

(ख) सरकार ने क्या कदम उठाये हैं जिससे भारत में पर्यटक अधिक संख्या में आयें ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :

(क) जी नहीं। अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन वर्ष के पहले छः मास में भारत आने वाले पर्यटकों की कुल संख्या 80,685 है जो कि पिछले वर्ष इसी अवधि में भारत आने वाले 71,559 पर्यटकों की संख्या का 12.7 प्रतिशत अधिक है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 1967 के पहले अर्ध-भाग में पिछले वर्ष की इसी अवधि में हुई 10.14 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की आय के मुकाबले 11.33 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की आय होने का अनुमान है।

(घ) : भारत को पर्यटक यातायात की वृद्धि करने के लिए उठाए गये अथवा उठाये जाने वाले कदमों में पर्यटकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्यटन के अंगभूत उपादानों का निर्माण तथा हमारे विदेशों में पर्यटन वृद्धि के कार्य क्रमों का और अधिक विस्तार सम्मिलित है।

हिमाचल प्रदेश, हरियाना और पंजाब में डिग्री कालिजों के अध्यापकों द्वारा हड़ताल

*194. **श्री अ० क० गोपालन:** **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री प० गोपालन: **श्री चक्रपाणि :**
श्री विश्वनाथ मेनन : **श्री नम्बियार :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश, हरियाना और पंजाब में डिग्री कालेजों के अध्यापकों ने 20 नवम्बर, 1967 से हड़ताल करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं; और

(ग) इस विवाद को निपटाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) :

(क) केवल पंजाब सरकार के निजी डिग्री कालिजों के अध्यापकों द्वारा 20 नवम्बर 1967 से हड़ताल करने का नोटिस मिला है।

(ख) निजी कालिजों के अध्यापकों ने माँग की है कि विश्वविद्यालयों अनुदान आयोग द्वारा सिफारिश किए गए संशोधित वेतनमानों की योजना को कार्यान्वित किया जाए।

(ग) राज्य सरकार निजी कालिजों के अध्यापकों के लिए 1 नवम्बर 1966 से लागू होने वाले संशोधित वेतन मानों का निर्देश करते हुए आवश्यक आदेश राज्य सरकार जारी कर चुकी है। कुछ कालिजों से अपेक्षित कतिपय विवरण अभी प्राप्त न होने के कारण योजना को कार्यान्वित करने का कार्य रुक गया है।

विदेशों में प्रशिक्षित वैज्ञानिकों में बेरोजगारी

*195. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों में प्रशिक्षित 1,000 भारतीय वैज्ञानिक प्रतिवर्ष भारत लौटते हैं परन्तु उनके लिये काम ढूंढ़ना कठिन है क्योंकि वैज्ञानिक अनुसन्धान की भारतीय परिषद् के लिये नियतन में भारी कमी कर दी गई है जिसके फलस्वरूप अनुसन्धान कार्य में ढील आ गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि पुराने लोगों ने वैज्ञानिक अनुसंधान की सभी शासी निकायों पर एकाधिकार कर रखा है और वैज्ञानिकों की वर्तमान पीढ़ी के लिये दरवाजे बन्द हैं जैसा कि भूतपूर्व महानिदेशक डा० सैयद हुसेन जहीर ने 28 अगस्त, 1967 को बताया था; और

(ग) वैज्ञानिक अनुसंधान में आई इस शिथिलता को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुणसेन) : (क) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के राष्ट्रीय रजिस्टर के अनुसार प्रतिवर्ष औसतन लगभग 650 भारतीय कर्मचारी जिन्हें विदेश में प्रशिक्षण दिया गया था, भारत लौटे। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद उन्हें सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में नौकरी दिलवाने में यथासंभव सहायता करती है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् में सुयोग्य भारतीय वैज्ञानिकों और औद्योगिकीविज्ञों का एक 'पूल' है जिसमें उन्हें अस्थायी रूप से काम दिया जाता है और स्पेशल रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा सिफारिश किए गए सभी लोगों को 'पूल' में नियुक्ति दी जाती है। इस कार्य के लिए पूरी वित्तीय व्यवस्था है।

(क) और (ग) : जी नहीं। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के दो मुख्य निकायों-है। शासी निकाय और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान मंडल——में चोटी के वैज्ञानिकों, औद्योगिकी विज्ञों और विज्ञान तथा औद्योगिकी के विविध क्षेत्रों के विशेषज्ञों का संतुलित प्रतिनिधान है और उनके संविधान की नियतकालिक समीक्षा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की नियमावली और उपनियमों के अनुकूल की जाती है। इसी प्रकार राष्ट्रीय रसायनशालाओं / संस्थानों की विविध कार्यकारी परिषदों के संविधानों की प्रतिवर्ष समीक्षा की जाती है और नवीन रक्त संचार की यह सतत क्रिया चलती रहती है।

नागा विद्रोही

*196. **श्री चेंगल राया नायडू** : **श्री निहाल सिंह** :
श्री यशपाल सिंह : **श्री सरयू पाण्डेय** :
श्री मरंडी : **श्री कामेश्वर सिंह** :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : **श्री जि० ब० सिंह** :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर, 1967 में मनीपुर के सभी उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों में नागा विद्रोहियों का भारी जमाव था ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह सच है कि स्वचालित शस्त्रों तथा मार्टर गोलों से सुसज्जित दो विद्रोही नागे मनीपुर के उखरूल सब-डिविजन में घुस आये जहाँ कि युद्ध विराम लागू है ;

(ग) क्या उन्होंने उन क्षेत्रों में आतंक फैला रखा था और धन तथा खाद्यान्न जबर्दस्ती वसूल कर रहे थे; और

(घ) यदि हाँ, तो इस धमकी का सामना करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :

(क) सूचना मिली है कि भूमिगत नागाओं ने मणिपुर के माओ और उखरूल सब-डिवीजनों में अपनी शक्ति जमा कर रखी है।

(ख) ऐसी कोई स्पष्ट सूचना नहीं है।

(ग) सूचनाएँ मिली हैं कि विद्रोहियों ने जबरदस्ती धन तथा खाद्यान्न वसूल किये हैं ;

(घ) सम्बन्धित सुरक्षा-चौकियों को सतर्क और सशक्त करके "युद्ध-विराम समझौते" की शर्तों की सीमा में रहते हुए आवश्यक कार्यवाही करने का आदेश दिया गया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

*197. **श्री कृष्णमूर्ति** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष तथा कुलपतियों ने हाल के एक सम्मेलन में यह सुझाव दिया था कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाये और उसके सदस्यों को नियुक्त करने की पद्धति में भी परिवर्तन किया जाये; और

(ख) क्या उसका क्षेत्राधिकार कृषि, चिकित्सा तथा टेक्नोलाजी के क्षेत्रों तक बढ़ाने का कोई सुझाव दिया गया था और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हाँ।

(ख) जी हाँ; उपकुलपतियों के सम्मेलन ने यह सिफारिश की थी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अधिकार क्षेत्र देश में उच्चतर शिक्षा के सभी प्रकारों और स्तरों तक होना चाहिए, सरकार ने इस सिफारिश पर कोई निर्णय नहीं लिया है।

विशाल हरियाणा

*198. **श्री यशपाल सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा के मुख्य मंत्री ने हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ जिलों को मिला कर विशाल हरियाणा बनाने की माँग की है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) सरकार को मुख्य मंत्री से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ किन्तु उसने इस माँग के बारे में समाचार देखे हैं। ऐसी किसी माँग पर विचार करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है।

एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के लिए काम मूल्यांकन समिति

*199. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के लिए काम मूल्यांकन समिति बनाई जा चुकी है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके सदस्य कौन-कौन हैं और इस समिति के विचारार्थ विषय क्या हैं?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) : जी, हाँ।

(ख) : हाईकोर्ट के एक सेवा-निवृत्त जज, श्री एस० एन० गुहा, इस एक-सदस्यीय समिति के अध्यक्ष हैं। भारतीय वायु सेना के 'एयर कामोडोर' श्री एम० एल० आकुत और नागर विमानन विभाग में विमान सुरक्षा के निदेशक, श्री वाई० आर० मल्होत्रा, कार्य मूल्यांकनकर्ताओं विशेषज्ञों के रूप में उनकी सहायता कर रहे हैं। यू० के० के 'इंटरनेशनल फेडरेशन आफ एयरलान्स पाइ-लाट्स एसोसिएशन' के माध्यम से एक विशेषज्ञ की सेवायें प्राप्त करने के प्रयत्न भी किये जा रहे हैं।

समिति के विचारणीय विषय निम्न प्रकार से हैं:—

अन्य बातों के साथ साथ कार्य की प्रकृति, कार्य के भार और कार्य के लिये आवश्यक विशेष दक्षताएँ तथा प्रयोग किए जाने वाले उपकरणों के प्रकार को दृष्टि में रखते हुए एयर इण्डिया तथा इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कर्मचारियों के निम्नलिखित वर्गों की 'काम के ढांचे' (जॉब स्ट्रक्चर) में आपेक्षिक स्थिति निर्धारित करने के लिये काम के मूल्यांकन का कार्य करना:

(i) उपरोक्त तौर से दोनों कारपोरेशनों के, तथा पारस्परिक दृष्टि से दोनों कारपोरेशनों में से प्रत्येक के 'कॉक पिट' के कर्मी-वर्ग, अर्थात् पाइलॉट, नेवीगेटर व फ्लाइट इंजीनियर;

(ii) ऐसे अन्य वर्ग जो सरकार द्वारा समिति को निर्दिष्ट किए जायें।

छोटी सदरी स्वर्ण काण्ड

*200. **श्री मधु लिमये :** क्या गृह-कार्य मंत्री 12 जुलाई, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 1081 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) छोटी सदरी स्वर्ण काण्ड में श्री गोदात द्वारा की गई शिकायत के आधार पर श्री गणपत लाल के विरुद्ध चलाये गए अभियोग की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या राजस्थान उच्च न्यायालय अथवा राजस्थान में किसी अन्य न्यायालय में किसी ऐसी अन्य शिकायत/लेखा/प्रार्थना पत्र की सुनवाई हुई, जिसमें श्री गणपतलाल द्वारा राजकोष में जमा कराये गये स्वर्ण और पुलिस द्वारा श्री गणपतलाल और उसके साथियों के पास से बरामद किये गए पंचनामा स्वर्ण के प्रश्न पर विचार बहस हुई/निर्णय दिया गया;

(ग) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस बीच गृह-कार्य अथवा वित्त मंत्रालय की किसी जाँच एजेंसी को जाँच करने के आदेश दिए गए; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) :

(क) छोटी सदरी के मुन्सिफ मजिस्ट्रेट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 नवम्बर, 1967 की तिथि निर्धारित की है।

(ख) और (ग) गणपतलाल और हीरालाल द्वारा राजस्थान उच्च न्यायलय को सत्र न्यायालय में उनके खिलाफ लगाये गये आरोपों की स्वीकृति के खिलाफ दी गई लेख याचिकाएं स्वीकार नहीं की गई और भैरू लाल व किशनसिंह द्वारा दी गई लेख याचिकाएँ 28 अक्तूबर, 1967 को वापस ले ली गई थीं। राजस्थान से प्राप्त सूचना के अनुसार इस सम्बन्ध में राजस्थान उच्च न्यायालय अथवा राजस्थान के किसी न्यायालय के सम्मुख कोई और आवेदन पत्र सुनवाई के लिए नहीं आया।

(घ) और (ङ) सरकार को इस बारे में यह कानूनी सलाह प्राप्त हुई है, कि जब तक न्यायालय में लम्बित मामले का निर्णय न हो जाए तब तक कोई औपचारिक जाँच पड़ताल नहीं की जा सकती। किन्तु न्यायालय में मामले पर निर्णय में विलम्ब को देखते हुए मामला और आगे कानूनी जाँच के लिए भेज दिया गया है। आशा है कि जल्दी ही निर्णय प्राप्त हो जायेगा।

पारादीप पत्तन पर सामान्य माल कक्षा की व्यवस्था

201. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी**: क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पारादीप पत्तन पर सामान्य माल कक्ष बनाने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) पत्तन क्षेत्र के एक बड़े भाग को समुद्र द्वारा कटाव को बचाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना की प्रारूप रूपरेखा में पारादीप पत्तन में एक सामान्य मालबर्थ के निर्माण का प्रस्ताव शामिल है। चूंकि इस बर्थ के निर्माण का सामान्य माल यातायात (लौह धातुक के अतिरिक्त) की पर्याप्त मात्रा की उपलब्धता और पत्तन को रेल से जोड़े जाने की व्यवस्था पर निर्भर है, अतः पत्तन के पार्श्व क्षेत्र की यातायात क्षमता निश्चय करने के लिये एक विशेष समिति नियुक्त की गई थी। समिति की रिपोर्ट अभी हाल ही में मिली है और विचाराधीन है। रेल मंत्रालय पत्तन को रेल से जोड़ी जाने की व्यवस्था के प्रश्न पर विचार कर रहा है और अब उस पर योजना आयोग से विचार विमर्श हो रहा है।

(ख) पत्तन में पनकट दीवार बनाने के कारण पत्तन के निकट तट के बराबर तटवर्ती धारा का उत्तरी बहाव रुक गया है। अतः पत्तन की उत्तरी तट रेखा अपने स्वाभाविक पोषण से वंचित हो गई है। स्थायी उपाय के रूप में दक्षिणी पनकट दीवार के दक्षिणी ओर लगाये जाने के लिये एक बालू पंप तथा तट आधारित निकर्षक का आदेश दिया गया है जो बालू के जमाव को नियमित रूप से निकालता रहेगा और उसे पाइपलाइन द्वारा तट के पोषण के लिये उत्तरी पनकट दीवार के उत्तर में भेजता रहेगा। तुरन्त ठीक करने के उपायों में से एक रूषल दीवाल और सी ग्रोयन का निर्माण स्वीकृत कर लिया गया है।

कोचीन बन्दरगाह

*202. **श्री विश्वम्भरन** : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यात्री जहाजों ने कोचीन बन्दरगाह में आना बन्द कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके लिए क्या कार्यवाही की गई है कि यात्री जहाज कोचीन बन्दरगाह में आयें ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हाँ, लड़ाई के बाद आस्ट्रेलिया से जेनोआ जाने वाले लोहा लाइन के जहाज प्रति मास एक बार कोचीन पत्तन पर आने लगें और इस प्रकार 1956 में यात्री सेवा इस पत्तन पर फिर शुरू हो गयी। परन्तु यह सेवा फिर 1959 में बन्द हो गई। इसी प्रकार नवम्बर, 1957 से आस्ट्रेलिया से यूरोप जाने हुए लाइड ट्रीस्टाइन लाइन के जहाजों ने प्रतिमास एक बार कोचीन पत्तन पर आना शुरू किया यह भी 1963 के मध्य से बन्द कर दिया गया। तथ्य यह है कि 1963 से इस पत्तन पर कोई नियमित विदेशी यात्री यातायात नहीं हुआ है। सिंधिया कम्पनी एक तटीय यात्री सेवा चलाती है।

(ख) चूंकि बम्बई भारत के अन्य शहरों से हवाई मार्गों और यात्री मार्गों से जुड़ा हुआ है अतः यात्री लाइनरों के लिए कोचीन पर आने के बजाय बम्बई पर आना अधिक सुविधाजनक है। बजाय कोचीन के बम्बई से उन्हें अधिक यात्री मिल जाते हैं। कोचीन पर यात्रियों के लिए चढ़ने उतरने की पर्याप्त सुविधाएँ भी नहीं पाई जाती हैं।

(ग) विदेशी यात्री लाइनरों को मना बुझा कर कोचीन पत्तन पर आने के लिए कहा गया था परन्तु बम्बई पत्तन की केन्द्रीय स्थिति तथा वहाँ पर यात्रियों के चढ़ने उतरने की सुविधा के कारण वे बम्बई को अधिक पसन्द करते हैं। कोचीन पर यात्रियों के लिये एक नयी टरमिनल इमारत बनाने के प्रश्न पर भी विचार किया गया है परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान परिस्थिति में यात्री यातायात की वृद्धि न हो पायेगी।

एयर इण्डिया द्वारा जम्बो जेट विमानों की खरीद

***203. श्री विभूति मिश्र : श्री सम्बन्धन :**

श्री प्र० के० देव: श्री म० सुदर्शनम:

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर इण्डिया का विचार दो जम्बो जेट विमान खरीदने का है ; और

(ख) यदि हाँ; तो उनमें से प्रत्येक की लागत कितनी है और वे एयर इण्डिया के लिए किस प्रकार लाभ-प्रद सिद्ध हो सकते हैं?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :

(क) जी, हाँ।

(ख) दो जम्बो जेट विमानों की कुल पूंजी लागत 48.20 करोड़ रुपया होगी। एयर इण्डिया ने इन विमानों को प्रतियोगिता के कारणों से खरीदने का निर्णय किया है। इस बात के अलावा कि जम्बो जेटों की यात्रि-धरिता आज-कल इस्तेमाल किए जा रहे बोइंग विमानों की यात्रि-धारिता से कहीं अधिक है, प्रति सीट-मील परिचालन लागत के भी लगभग 20 से 25 प्रतिशत कम होने की संभावना है।

कैसीनो

*204. **श्री योगेन्द्र शर्मा**: क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रिचर्ड ग्रेवज़, जो जुआघरों के विषय पर नेवादा के विशेषज्ञ हैं, भारत में कैसीनो स्थापित करने के लिये सहयोग की सम्भावनाओं का अनुमान लगाने के लिए भारत आ रहे हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारत के कुछ व्यक्तियों ने देश में आने वाले पर्यटकों के लिए सुविधाओं तथा मनोरंजन के लिए काश्मीर में कैसीनों स्थापित करने के लिये प्रस्ताव दिए हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार की इस सम्बन्ध में प्रतिक्रिया क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :

(क) हमारी सूचना के अनुसार श्री रिचर्ड एल० ग्रेव्ज़ शिकार के लिए भारत आने वाले थे लेकिन आशा के विपरीत वे भारत नहीं आए।

(ख) जी, नहीं।

(ग) चूंकि 'कैसीनों" द्वारा प्रस्तुत प्रकार का मनोरंजन राज्य सरकारों के अधिकार-क्षेत्र में आने वाला विषय है इसलिए इस प्रश्न पर सम्बद्ध राज्य सरकार ही निर्णय कर सकती है। जम्मू और काश्मीर सरकार ने यह सूचित किया है कि यह विचार उन्हें सिद्धान्ततया मान्य नहीं है।

दिल्ली उड्डयन क्लब के विमान का दुर्घटनाग्रस्त हो जाना

*205. **डा० रानेन सेन** :
श्री क० प्र० सिंह देव :
डा० कर्णी सिंह :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री क० कु० नायर :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उड्डयन क्लब का एक विमान हाल ही में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप दो प्रशिक्षण पाने वाले विमान चालकों की मृत्यु हुई ;

(ख) क्या दुर्घटनाग्रस्त विमान बहुत पुराना था;

(ग) क्या दुर्घटना के कारणों की जाँच की गई है;

(घ) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ङ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) जी, नहीं।

(ग), (घ) और (ङ) : दुर्घटना की नागर विमानन विभाग के एक अधिकारी द्वारा जाँच की जा रही है।

भारतीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम

*206. **श्री हेम बरुआ :** **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय विश्वविद्यालयों के शिक्षा के माध्यम पर विचार करने के लिए अगस्त, 1967 में दिल्ली में राज्यों के शिक्षा मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था; और

(ख) यदि हाँ, तो उसमें क्या निर्णय किए गए ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख) शिक्षा आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए अप्रैल, 1967 में राज्य शिक्षा-मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन ने अन्य बातों के अलावा भारतीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा के माध्यम की समस्या पर भी विचार किया। इस विषय पर सम्मेलन द्वारा पारित प्रस्ताव की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है [**पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी०** 1664/67]

रूस से प्राप्त पुस्तकें

*207. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री भारत के साम्यवादी दल द्वारा रूस और चीन से प्राप्त पुस्तकों के बारे में 9 अगस्त, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8382 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब जाँच पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार ने आसूचना विभाग की रिपोर्ट पर विचार कर लिया है; और

(घ) यदि हाँ, तो उसपर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) :

(क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) उस पुस्तक भण्डार का नाम 'द न्यू सेंचुरी बुक हाउस, मद्रास' है। इसने 1957–58 में मद्रास सरकार से बिक्री-कर अधिनियम के अधीन खोई विदेशी मुद्रा प्राप्त नहीं की थी।

(ग) और (घ) इस कम्पनी द्वारा 1957–58 में किए गए पुस्तकों के आयात के बारे में जाँच करने पर कोई कार्यवाही करना आवश्यक नहीं पाया गया।

CRIMES IN DELHI

*208. **Shri Kanwar Lal Gupta :** **Shri Mayavan :**

Shri Chengalraya Naidu :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the incidents of murders, stabbing and Kidnapping are on the increase in Delhi ;

(b) whether it is also a fact that the Police could not trace out several cases of murder and kidnapping during the last year ;

(c) whether it is also a fact that very few goondas were driven out of Delhi during the last year ; and

(d) the steps Government have taken or propose to take to improve the law and order condition in Delhi ?

The Minister of State in the Ministery of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):

(a) The incidents are not on the increase as would be seen from the figures for the three offences, given below :

	1965	*1966*	*1967*
	(*upto 31.10.65*)	(*upto 31.10.66*)	(*upto 31.10.67*)
Murder	64	62	58
Stabbing	228	131	137
Kidnapping	244	222	227

(b) Of the 73 and 249 cases of murders and kidnapping/abduction reported in Delhi during the last year, only 25 and 44 cases were sent as untraced respectively.

(c) Since last year, cases against 39 goondas were put in the courts out of which 17 were externed.

(d) Crime situation is reviewed by the Administration from time to time and suitable measures are taken to improve the working of the existing machinery.

माल भाड़ा की दरें

*209. **श्री भोगेन्द्र झा:** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय जहाज मालिक परिषद ने सरकार का ध्यान माल पर लिए जाने वाले अधिक भाड़े की ओर आकर्षित कराया है, जिससे माल के मूल्य में वृद्धि होती है और विश्व बाजार में वह प्रतियोगिता नहीं कर सकता; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने प्रतियोगितात्मक स्तर पर माल भाड़ा निर्धारित करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) :

(क) जी हाँ। परिषद ने वाणिज्य मंत्रालय को इस विषय पर एक टिप्पणी भेजी थी और उसकी एक प्रति परिवहन मंत्रालय को भेजी गई थी।

(ख) : नौवहन के महानिदेशालय ने, उल्लिखित विशेष मामलों की जिनमें कहा गया है भाड़ा दर निर्यात में बाधा पहुँच रही है, कि विस्तृत जाँच शुरू कर दी है। शिपर कौंसिल ने इस विषय पर विस्तृत अध्ययन करने के बाद अपने विस्तृत सुझाव भेजने को कहा है।

साम्प्रदायिक एकता

*210. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया:** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में साम्प्रदायिक एकता बनाये रखने के लिए सरकार ने समाचारपत्रों तथा अन्य जन-सम्पर्क साधनों के माध्यम से क्या कार्यवाही की है ;

(ख) जहाँ तक समाचारपत्रों का सम्बन्ध है. क्या प्रेस परिषद् का सहयोग प्राप्त किया गया है; और

(ग) इन उपायों से कहाँ तक वांछित परिणाम निकला है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :

(क) से (ग) एक विवरण सदन के सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 1665/67** ।

Trained Dogs Squad of Delhi Police

1259. **Shri Deorao Patil**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the total number of trained dogs available with the Delhi Police at present ;

(b) the extent to which Government propose to increase their number ; and

(c) whether these dogs detect the offenders of theft, dacoity etc. on the spot ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :

(a) 5

(b) 18

(c) Police dogs are pressed into service for detection of crime through tracing the scent of articles/persons involved in such crime.

चतुर्थ श्रेणी के मैट्रिक से कम पढ़े लिखे कर्मचारियों की पदोन्नति

1260. **श्री धीरेन्द्र नाथ देव:** **श्री रा० रा० सिंह देव:**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 29 जुलाई 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6012 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या चतुर्थ श्रेणी के मैट्रिक से कम पढ़े-लिखे उन कर्मचारियों की जिनकी 15 वर्ष की नौकरी हो चुकी है, पदोन्नति के बारे में नियंत्रक तथा महा-लेखा परीक्षक द्वारा तैयार की गई योजना पर कोई निर्णय किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : लोक सभा में 15 नवम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 660 के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। उस मामले पर अभी विचार किया जा रहा है।

केन्द्रीय असैनिक सेवाएं

1261. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय असैनिक सेवाओं (आचरण) नियमों, 1964 में यह उपबन्ध है कि प्रथम श्रेणी का कोई भी अधिकारी, सरकार की पूर्व अनुमति लिये बिना, अपने पुत्र, पुत्री अथवा किसी अन्य आश्रित को किसी ऐसे गैर-सरकारी उपक्रम में, जिसके साथ उसका सरकारी तौर पर कुछ संबंध रहता हो, नौकरी स्वीकार करने की अनुमति नहीं देगा;

(ख) यदि हाँ, तो अप्रैल, 1965 से अगस्त, 1967 तक की अवधि में प्रथम श्रेणी के कितने अधिकारियों ने यह अनुमति माँगी थी ; और

(ग) कितने मामलों में अनुमति दे दी गई थी तथा कितने मामलों में अनुमति नहीं दी गई थी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) जी, हाँ ?

(ख) और (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी।

भारतीय असैनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी

1262. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दस वर्षों में सेवानिवृत्त होने वाले भारतीय असैनिक सेवा (आई० सी० एस०) के अधिकारियों तथा सचिवों की संख्या कितनी है तथा उनके नाम क्या हैं ;

(ख) उनमें से कितने अधिकारी इस समय सरकारी उपक्रमों में कार्य कर रहे हैं तथा उनके नाम और पदनाम क्या हैं;

(ग) क्या पिछले दस वर्षों में सेवा-निवृत्ति के दो वर्ष बाद सेवा करने की अनुमति देने से संबंधित सेवानिवृत्ति नियम में छूट देकर सेवानिवृत्त अधिकारियों को गैर-सरकारी उपक्रमों में नौकरी करने की अनुमति दी गई थी; और

(घ) यदि हाँ, तो उनके नाम क्या हैं तथा प्रत्येक मामले में यह छूट देने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी। [**पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० 1666/67**]

(ग) गत दस वर्षों में भारतीय असैनिक सेवा के 19 सेवानिवृत्त अधिकारियों को असैनिक सेवा विनियमों की धारा 531—ख के अन्तर्गत सेवानिवृत्ति के दो वर्षों में व्यापार सम्बन्धी रोजगार स्वीकार करने की अनुमति दी गई।

(घ) ऐसे अधिकारियों की एक सूची सभा पटल पर रखी गई है। अनुमति देने से पहले गुणदोषों के आधार पर हर मामले की जाँच की गई थी तथा सरकार इस बात से सन्तुष्ट थी कि अधिकारियों का प्रस्तावित नियोजक के साथ पहले कोई सम्बन्ध नहीं था, उनका व्यापार सम्बन्धी रोजगार में उनका काम भी ऐसा नहीं था जिससे नियोजक को अनुचित लाभ मिल सके अथवा सरकार के साथ उसका झगड़ा हो सके तथा प्रस्तावित रोजगार बहुत ही शोभायमान किस्म का था तथा उसमें ठेके अथवा संपर्क का काम भी नहीं था।

पारादीप बन्दरगाह

1263. **श्री श्रद्धाकार सूपकार** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पारादीप बन्दरगाह में औसत मासिक यातायात कितना होता है तथा उससे कितना किराया वसूल होता है; और

(ख) बन्दरगाह का शीघ्र विकास करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) :

(क) और (ख) प्रथम अवस्था विकास कार्यक्रम के अधीन पतन में एक लौह धातुक बर्थ बनाई गई है। यह प्रतिवर्ष लौह धातुक के 2 मिलियन टन के यातायात की पूर्ति के लिये याँ-

त्रिक सुविधाओं सहित बनाई गई है। पत्तन 19-11-1966 से काम कर रहा है। 19-11-1966 से अक्तूबर अन्त 1967 तक पत्तन की औसत मासिक आमदनी और औसत मासिक धरा उठाई किया गया यातातयात नीचे दिया जाता है:—

अवधि	औसत मासिक यातायात	औसत मासिक आमदनी (रु० लाखों)
19-11-66 से 31-3-67	15,600 टन	1.62
1-4-67 से 31-10-67	57,400 टन	5.02

एक सामान्य माल बर्थ के निर्माण का और इस खनिज धातुक संयंत्र की क्षमता में वृद्धि करके उसे प्रतिवर्ष 4 मिलियन टन की धरा उठाई कर सकने योग्य बनाने का प्रश्न विचाराधीन है।

केरल में जनगणना विभाग

1264. **श्री विश्वम्भरन:** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के जनगणना विभाग में ऐसे कितने व्यक्तियों की छंटनी की गई है जिनकी नौकरी पाँच साल से अधिक हो गई थी ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को छंटनी किये गये इन कर्मचारियों से कोई अभ्यावेदन मिला है जिसमें यह अनुरोध किया गया है कि उन्हें सरकारी नौकरी दी जाय ;

(ग) छंटनी किये गये कितने व्यक्तियों को इस बीच केन्द्रीय सरकार की सेवा में नौकरी दे दी गई ; और

(घ) क्या सरकार सभी छंटनी किए गए कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए कदम उठाएगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एम० रामस्वामी) :(क) दो।

(ख) जी, हाँ।

(ग) केरल स्थित जनगणना-कार्य के अधीक्षक के कार्यालय से छंटनी किये गये 15 व्यक्तियों में से तीन को छोड़कर सब को नौकरी मिल गई है।

(घ) 3 शेष व्यक्तियों को नौकरी देने के लिये प्रयत्न किया जा रहा है।

गुजरात से केन्द्रीय सरकार में प्रतिनियुक्ति पर भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी

1265. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा:** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय गुजरात से केन्द्रीय सरकार में प्रतिनियुक्ति पर भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के कितने अधिकारी हैं; और

(ख) क्या गुजरत के प्रतिनियुक्ति के समूचे कोटे को पूरा किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा 23 भारतीय पुलिस सेवा 14

(ख) भारतीय पुलिस सेवा की प्रतिनियुक्ति का केन्द्रीय कोटा पूरा किया गया है जबकि भारतीय प्रशासनिक सेवा के मामले में 7 की कमी है।

गुजरात के विद्यार्थियों को विदेश में अध्ययन के लिय छात्रवृत्तियां

1266. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965-66 तथा 1966-67 के दौरान गुजरात में कितने छात्रों को विदेशी छात्रवृत्तियाँ दी गई और बाहर भेजा गया ;

(ख) कितने छात्रों से आवेदन पत्र मिले थे ; और

(ग) उनमें से कितने विद्यार्थियों का चयन किया गया ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) :

(क)	1965-66	1966-67
	6	10
(ख)	1965-66	1966-67
	11693	8838
(ग)	1965-66	1966-67
	422	446

Ancient Places Taken Over In Madhya Pradesh

1267. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the number and names of ancient temples and mosques in the East Nimad District in Madhya Pradesh taken over by Archaeological Department ;

(b) whether they have been repaired ;

(c) if so, the amount spent on their repairs ;

(d) whether there are still some ancient temples and mosques which need repairs ; and

(e) in case the ancient temples and mosques have not been repaired, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Education: (Shri Sher Singh) :

(**a**). The following three mosques and five temples are on the list of centrally protected monuments in the District :—

Mosques : (i) Jami Mosque at Asirgarh

(ii) Bibi Sahib ki mosque at Burhampur

(iii) Churiwalonki Masjid at Burhampur.

Temples : (i) Temple inside the Fort at Asirgarh

(ii) Mahadeo temple at Asirgarh

(iii) Chaubis Avtar temple at Mandhata.

(iv) Siddheshwar temple at Mandhata

(v) Amleshwar alias Mamleshwar temple at Mandhata.

(b) and (c) Repairs are carried out according to requirements of individual monuments and their urgency subject to the availability of funds. Accordingly, Rs. 2385/- was spent on repairs to the Jami Mosque at Asirgarh during 1966-67, and Rs. 1844/- was spent on Bibi Sahib ki mosque at Burhampur during the three years from 1964-65 to 1966-67.

(d) The other monuments in the area are in a satisfactory state of preservation and do not need any urgent repairs.

(e) Since they are in a satisfactory state of preservation no repairs are carried out but repairs will be undertaken as and when it becomes necessary.

अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां

1268. **श्री द० रा० परमार**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की कुल कितनी जनसंख्या है;

(ख) प्रत्येक राज्य तथा केन्द्रीय सराकार की श्रेणी एक, दो और तीन की सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जतियों के लोगों के लिये कितने प्रतिशत पद आरक्षित हैं ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों की सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के लिये किया गया आरक्षण उन्हें उनकी वर्ग-वार जन संख्या के अनुसार दिया जाता है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) 1961 की जनगणना के अनुसार प्रत्येक राज्य तथा संघ-राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की कुल संख्या दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी०** 1667/67]

(ख) से (घ) केन्द्रीय सरकारी सेवाओं में अखिल भारतीय आधार पर भरे जाने वाले पदों के रिक्त स्थानों (प्रायः प्रथभ श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के पद इस आधार पर भरे जाते हैं) और प्रादेशिक आधार पर भरे जाने वाले पदों के रिक्त स्थानों में (प्रायः तृतीय श्रेणी के पद इस आधार पर भरे जाते हैं) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये निर्धारित आरक्षित स्थानों की प्रतिशतता दर्शाने वाला विवरण संलग्न है [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1667/67] । केन्द्रीय सरकार के अधीन कर्मचारियों की कुल संख्या और उसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की 1 जनवरी, 1966 को प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या दर्शाने वाला-विवरण भी संलग्न है [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी०** 1667/67]

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये पदों का आरक्षण सीधी भर्ती से भरे जाने वाले रिक्त स्थानों और पदों तथा सीधे न भरे जाने वाले संवर्गों में चयन से अथवा विभागीय प्रतियोगिता परीक्षाओं से पदोन्नति करके भरे जाने वाले तृतीय और चौथी श्रेणी के पदों में रिक्त स्थानों के सम्बन्ध में किया जाता है। सीधी भर्ती द्वारा भरे जानी वाली सेवाओं और पदों में जब कभी रिक्त स्थान हों तो उन्हें आरक्षित स्थानों के कोटे के अनुसार भरा जाता है तथा पदोन्नति से भरी जाने वाली सेवाओं और पदों को ऐसे पदों के लिये आरक्षित स्थानों के अनुसार भरा जाता है। सेवा के संवर्ग अथवा मंत्रालय/विभाग आदि में कर्मचारियों की कुल संख्या में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कोई कोटा निर्धारित नहीं किया गया है।

तथापि मंत्रालयों/विभागों, सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में रिक्त पद सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति के अलावा अन्य तरीकों से अर्थात् प्रतिनियुक्ति अथवा स्थायी तौर पर तबादला करके भरे जाते हैं। जब रिक्त स्थान प्रतिनियुक्ति अथवा स्थायी तौर पर तबादला करके भरे जाते हैं तब उनके मामले में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षित स्थान निर्धारित नहीं किये गये हैं। पदोन्नति से भरे जाने वाले प्रथम और द्वितीय श्रेणी के पदों में रिक्त स्थान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कोई स्थान आरक्षित नहीं किये गये हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए यह आशा करना सही नही होगा कि मंत्रालय / विभाग / सम्बद्ध कार्यालय / अधीनस्थ कार्यालय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की संख्या उनकी संख्या के अनुपात में अथवा सीधी भर्ती या पदोन्नति, जहाँ कहीं होती हो, में उनके लिये आरक्षित स्थानों के अनुपात में होगी। तथापि गृह-कार्य मंत्रालय के अपर सचिव श्री एस० आर० भार्डी की अध्यक्षता में एक कार्यकारी दल केन्द्र और राज्यों में सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की भर्ती में सुधार करने के प्रश्न पर विचार करने के लिये बनाया गया है। उस समिति के प्रतिवेदन के शीघ्र मिलने की आशा है।

जहाँ तक राज्य सेवाओं का सम्बन्ध है, राज्य सेवाओं में आरक्षित स्थान भरना सम्बंधित राज्य सरकारों का काम है देखिये संविधान का अनुच्छेद 16 (4) और 12 के साथ पठित अनुच्छेद 335।

मंत्रियों के विदेशों के दौरे

1269. **श्री काशी नाथ पांडे : श्री मोहन स्वरूप :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रिमंडल के अधिकांश सदस्य मंत्री अगस्त, 1967 से 12 नवम्बर, 1967 तक की अवधि में विदेशों में दौरे पर गये हुए थे ; और

(ख) प्रत्येक मंत्री पर कितनी-कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

मंत्रियों के विदेशों के दौरे

1270. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रिमंडल स्तर का कोई ऐसा मंत्री है, जिसने पिछली अन्तर्सत्रावधि में किसी दूसरे देश का दौरा नहीं किया ;

(ख) उन मंत्रियों, राज्य मंत्रियों तथा उपमंत्रियों के नाम क्या हैं, जो पिछली अन्तर्सत्रावधि में विदेश में दौरे पर बिल्कुल नहीं गये ; और

(ग) क्या उनकी विदेश यात्रा पर कोई प्रतिबन्ध है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी हाँ।

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) मंत्री विदेशों का दौरा तब करते हैं जब उन्हें अपने काम के सम्बन्ध में उन्हें करना आवश्यक होता है। इसलिये उन पर किसी प्रतिबन्ध लगाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर वारदातें

1271. **श्री रा० रा० सिंह देव : श्री वेदव्रत बरुआ :**
श्री य० अ० प्रसाद :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी क्षेत्र में भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर वारदातें हाल में बढ़ गई हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इन घटनाओं को तथा इस क्षेत्र में पाकिस्तान के किसी बड़े आक्रमण को रोकने के लिये पर्याप्त कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) जी, हाँ। तथापि, इस क्षेत्र अथवा किसी अन्य क्षेत्र में जो भी स्थिति उत्पन्न हो जाये उसका मुकाबला करने के लिये सभी सम्भव उपाय किये गये हैं।

हुगली नदी पर दूसरा पुल

1272. **डा० रानेन सेन** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में हुगली नदी पर एक दूसरा पुल बनाने के लिए कोई योजना बनाई गई है, और

(ख) यदि हाँ, तो इस काम को शीघ्र पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख) हुगली नदी के ऊपर कोई दूसरा प्रस्तावित पुल राज्य योजना है। अतः इस विषय में मुख्यतः पश्चिम बंगाल सरकार संबंधित है। मालूम हुआ है कि उसने इस परियोजना को 16.52 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर अपनी चौथी पंच वर्षीय योजना में शामिल करने के लिए मंजूर कर दिया है और पुल के स्थान तथा संरेखण को भी अंतिम रूप दे दिया है। परियोजना को कार्यान्वित करने का प्रथम क्रम, जिनमें टेंडर मंगाने के कागजों की जाँच करने का काम है, का काम जारी है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों
के प्रतिनिधान के सम्बन्ध में समिति

1273. **श्री सिद्दय्या** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का सेवाओं में प्रतिनिधित्व तथा उनको ऋण देने के मामलों का अध्ययन करने के लिये प्रधान मंत्री द्वारा नियुक्त समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसने क्या सिफारिशें की हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी नहीं। अध्ययन दल द्वारा इस महीनें में प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने की आशा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) अध्ययन दल 1967 में बनाया गया था और उसने उसे निर्दिष्ट की गई समस्याओं पर विस्तार से विचार करना था। अध्ययन दल का यह विचार था कि रोजगार और प्रशिक्षण

के महानिदेशक को भी राष्ट्रीय रोजगार सेवा के माध्यम से अनुसूचित जाति के लोगों को सेवा में रखे जाने की समस्याओं पर विचार करना चाहिये। अतः इस अध्ययन के परिणामों के मिलने पर ही अध्ययन दल अपने प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दे सकता था।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी स्टोर्स, नई दिल्ली में हड़ताल

1274. **श्रीमती सुशीला गोपालन :** **श्री भगवान दास :**
श्री अब्राहम : **श्री उमानाथ :**
श्री विश्वनाथ मेनन : **श्री मरंडी :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकारी उपभोक्ता सहकारी स्टोर्स नई दिल्ली के कर्मचारियों ने हाल में हड़ताल की थी ;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी माँगे क्या हैं;

(ग) सरकार ने इस विवाद को हल करने के लिए क्या कार्यवाही की है; और

(घ) हड़ताल से राशन की दुकानें बन्द होने के कारण केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर क्या प्रभाव पड़ा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एम० रामास्वामी) : (क) जी हाँ, परन्तु उस संस्था के बहुत से स्टोर खुले रहे।

(ख) उनकी मुख्य माँग वेतन बढ़ाने की थी।

(ग) प्रबन्धकों और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के बीच पारस्परिक समझौता से विवाद को पहले ही निपटा दिया गया है।

(घ) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों तथा ऐसे स्टोरों के जो बन्द रहे, पंजीकृत राशनकार्ड धारियों को प्राधिकृत प्रणाली राशन के डिपुओं से अपनी आवश्यकता पूरी करने की अनुमति दी गई थी।

अगस्त, 1967 में दिल्ली में पश्चिम बंगाल के मंत्रियों द्वारा प्रस्तावित घरना

1275. **श्री हेम बरुआ :** **श्री विभूति मिश्र :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत अगस्त में दिल्ली में पश्चिम बंगाल के कुछ मंत्रियों का जो घरना होने वाला था उसे अन्ततोगत्वा त्याग दिया गया था ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण थे ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल के मंत्रियों ने दिल्ली में कोई घरना देने का प्रस्ताव नहीं किया था। पश्चिम बंगाल के कुछ मंत्री नई दिल्ली में प्रधान मंत्री के पास गये थे और उन्होंने उनके साथ राज्य की उस समय की खाद्य स्थिति के बारे में बातचीत की थी।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद्

1276. **श्री सिद्दय्या** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "पीपल्स डेमोक्रेसी" के दिनांक 27 अगस्त, 1967 के अंक में तथा सैटरडे डाइजेस्ट" के दिनांक 29 जुलाई 1967; 5 अगस्त, 1967; 12 अगस्त, 1967 तथा 19 अगस्त,

1967 के अंकों में प्रकाशित राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद् में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद तथा कुप्रबन्ध के गम्भीर आरोपों की ओर सरकार का ध्यान गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हाँ।

(ख) इन आरोपों का कोई आधार नहीं है।

केरल में पुलिस आवास योजना के लिए ऋण

1277. **श्री श्रीधरन :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने पुलिस आवास योजना के सम्बन्ध में वर्ष 1967-68 के लिये केन्द्रीय सरकार से 40,00,000 रुपये के ऋण की मंजूरी के लिये प्रार्थना की है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या ऋण मंजूर हो गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हाँ। केन्द्रीय सरकार पुलिस आवास ऋण सहायता योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों को उनकी आवश्यकताओं और काम आदि को देखते हुए प्रति वर्ष ऋण मंजूर किया जाता है।

(ख) और (ग) 14 लाख रुपये की राशि मंजूर की गई है

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की ऋणग्रस्तता

1278. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बारे में कोई सर्वेक्षण किया है कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी किस हद तक ऋणग्रस्त हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या इन समाचारों को ध्यान में रखते हुए कि विभिन्न सरकारी कार्यालयों में निजी ऋणदाताओं का गिरोह काम कर रहा है, सरकार का विचार ऐसा कोई सर्वेक्षण कराने सम्बन्धी कार्यवाही करने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं। यह विश्वास करने के लिये कि सरकारी कार्यालयों में ऋणदाताओं का कोई गिरोह काम कर रहा है, सरकार के पास कोई कारण नहीं है।

नेपाल को चोरी छिपे मोटरगाड़ियों का ले जाया जाना

1279. **श्री रमानी :** **श्री पं० राममूर्ति :**
श्री मुहम्मद इस्माइल : **श्री चक्रपाणि :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारत से नेपाल को चोरी छिपे मोटर गाड़ियाँ ले जाई जा रही हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो अब तक कितनी मोटर गाड़ियाँ चोरी छिपे ले जाई गई हैं; और

(ग) सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हाँ, ।

(ख) ऐसी रिपोर्ट मिली है कि दिल्ली से चोरी गई 7 कारें नेपाल में बेची गई हैं। अन्य राज्यों के सम्बन्ध में अधिकतम जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रखी जायेगी।

(ग) इस मामले में नेपाल सरकार के साथ बात-चीत चल रही है। इस मामले को भारत-नेपाल पुलिस अधिकारियों की सामयिक बैठकों में भी उठाया जा रहा है और उस पर विचार-विमर्श किया जा रहा है।

सेतु समुद्रम नहर परियोजना

1280. **श्री अरुमुगम** : क्या **परिवहन तथा नौवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेतु समुद्रम नहर परियोजना के अधिकारियों ने इस परियोजना को तकनीकी व्यवहार्यता के बारे में अपना अध्ययन पूरा कर लिया है और अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो यह परियोजना कब आरम्भ की जायेगी ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वि० के० आर० वि० राव) :

(क) और (ख) सेतुसमुद्रम् परियोजना की रिपोर्ट के चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक-प्राप्त हो जाने की आशा है। रिपोर्ट के प्राप्त होने तथा उसका परीक्षण हो जाने के बाद परि-योजना पर और आगे कार्यवाही की जा सकती है।

CYCLONE IN BIHAR AND ORISSA

1281. **Shri Onkar Lal Berwa:** **Shri Mohan Swarup:**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that as a result of a severe cyclone having hit Bihar and Orissa on or about the 19th October, 1967, hundreds of people were killed and there was a loss of lakhs of rupees ;

(b) if so, whether Government have looked into the causes of the cyclone ; and

(c) if so, the details of the loss of life and property ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs : (**Shri K. S. Ramaswamy**)

(a) There was no cyclone over Bihar or Orissa on the 19th October, 1967, but a cyclone swept over the coastal belt of the districts of Cuttack, Puri, and Balasore in Orissa on the 9th October, 1967.

(b) Natural phenomenon.

(c) Loss of human life—327 (as assessed upto 13.11.67).

Live stock — 10,249

Loss of property —about Rs. 22.5 crores.

In addition, extensive damage was caused to fruit bearing trees and orchards.

Final assessment of damage is being made.

दिल्ली प्रशासन के लिये धन

1282. **श्री राम कृष्ण गुप्त : श्री रघुबीर सिंह शास्त्री :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली प्रशासन को और अधिक धन दिये जाने की प्रार्थना पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या निर्णय किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हाँ।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने विभिन्न चीजों के लिये 1060.73 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि के लिये अनुरोध किया है। इन प्रस्तावों पर सम्बन्धित मंत्रालयों में विचार किया गया है और वर्तमान स्थिति नीचे बताई गई है:—

(एक) सात प्रस्ताव जिन पर 15.77 लाख रुपयें खर्च आयेगा, स्वीकार किये गये हैं।

(दो) 382.40 लाख रुपये खर्च के सात प्रस्ताव नामंजूर किये गये हैं; और

(तीन) 31 प्रस्तावों के सम्बन्ध में जिन पर 662.56 लाख रुपये व्यय होंगे, अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है। इनमें से 16 प्रस्ताव दिल्ली प्रशासन से विस्तृत जानकारी न मिलने के कारण निलम्बित हैं।

मंत्रियों की विदेश यात्रायें

1283. **श्री जे० मुहम्मद इमाम: श्री कुन्दू:**

श्री वीरेन्द्रकुमार शाह: श्री प्र० न० सोलंकी:

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन केन्द्रीय मंत्रियों की संख्या तथा नाम क्या हैं, जिन्होंने अगस्त, सितम्बर तथा अक्तूबर, 1967 के महीनों में विदेशों को यात्राएँ कीं;

(ख) उन देशों के नाम क्या हैं, जिनकी यात्रा उन्होंने की और यात्रा का प्रयोजन क्या था;

(ग) इन दौरों के फलस्वरूप कुल कितना खर्च हुआ;

(घ) क्या उन्होंने विदेशों में उनके द्वारा किये गये काम के बारे में प्रधान मंत्री को कोई रिपोर्ट पेश की है; और

(ङ) यदि हाँ, तो क्या इन प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखने का सरकार का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) :(क) से (ङ) तक—इस सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रखी जायेगी।

लड़ाई-बन्दी क्षेत्र में से मणिपुर को निकालना

1284. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का विचार मणिपुर को छिपे नागाओं के साथ हुए लड़ाई-बन्दी समझौते के क्षेत्राधिकार से निकालने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो कब से ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

भारतीय राज्य-क्षेत्र में पाकिस्तानियों की घुसपैठ

1285. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : श्री रा० स्व० विद्यार्थी :**

श्री रवि राय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन महीनों में पाकिस्तानी सेना ने कितनी बार भारतीय सीमा सेनाओं पर गोली चलाई अथवा पूर्वी अंचल तथा राजस्थान अंचल में भारतीय राज्य-क्षेत्र में कितनी बार घुसपैठ की ;

(ख) इन घटनाओं के फलस्वरूप भारत को कितनी हानि हुई ; और

(ग) क्या सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रेक्षकों को इस मामले के बारे में कहा है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) ऐसी कोई घटनाएँ नहीं हुई।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

कच्छ क्षेत्र में पाकिस्तानी नावों का देखा जाना

1286. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कच्छ के कोरी क्रीक क्षेत्र में दो पाकिस्तानी नावें--एक 15 अगस्त, 1967 और दूसरी उससे अगले सप्ताह--देखी गई थीं;

(ख) क्या उन नावों में कुछ परिवार ऊँटों के साथ पाकिस्तान गये थे; और

(ग) इस सीमा उल्लंघन के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार, 14, 30 तथा 31 अगस्त, 1967 को कोरी क्रीक में देशी नावें, जिन्हें पहचाना नहीं जा सका था, देखी गई थीं। यह भी पता लगा है कि 1 अगस्त तथा 27 अगस्त, 1967 को तीन भारतीय राष्ट्रजन तथा उनके परिवारों के बारह सदस्य अपने साथ 30-40 ऊँट लेकर एक पाकिस्तानी देशी नाव में चुप-चाप पाकिस्तान चले गये थे।

(ग) सतर्कता तथा गश्ती के काम में अधिक सतर्कता तथा सक्रियता लाई गई है।

चूड़ा चांदपुर में विद्रोही लोगों की गतिविधियां

1287. **श्री मयाथन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 18 अक्टूबर, 1967 को 100 सशस्त्र विद्रोही मिजो लोग मनीपुर के चूड़ा चाँदपुर सब-डिवीजन में घुस गये थे;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सच है कि इनको उस क्षेत्र में विद्रोही कुकी नागाओं और मिजो विद्रोहियों के साथ मिलने के लिये मिजो नेशनल फ्रन्ट ने भेजा था;

(ग) यदि हाँ, तो क्या यह भी सच है कि इन विद्रोही मिजो लोगों ने मिमेन्ट क्षेत्र में तीन गाँवों को जला डाला है; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या ऐसी रिपोर्ट भी मिली है कि वे लोग वफादार लोगों का अपमान कर रहे हैं और उन्होंने मिज़ो पहाड़ियों के पश्चिमी क्षेत्र में आतंक फैला रखा है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) ऐसी रिपोर्ट मिली है कि 18 अक्तूबर, 1967 को चूड़ा चाँदपुर सब-डिवीजन में 50 मिज़ो विद्रोहियों का एक गिरोह घुस आया था।

(ख) और (ग) ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

(घ) मिज़ो विद्रोही सुदूरवर्ती ग्रामवासियों में आंतक फैलाते हैं और उन्हें उनके साथ शामिल होने तथा उनके एजेन्ट बनने और उनका काम करने के लिये मजबूर करते हैं।

East Pakistan Forces Attack on Payasti Village

1288. **Shri Hukam Chand Kachwai.**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the East Pakistan Riflemen made an abortive attack on Payasti Village with a view to occupying it, as a result of which one Pakistani has been arrested ;

(b) if so, the steps taken by Government to prevent recurrence of such attacks ; and

(c) the loss of life and property as a result of the attack ?

The Minister of Home Affairs. (Shri Y. B. Chavan) :

(a) According to the reports received by the Government of India, 12 Pakistani nationals trespassed into Indian territory on 1st August, 1967 at Tista Payasti, PS Mekhliganj, District Cooch-Behar and started cutting the standing crops. As a result of their interception by the Border Security Force, one Pakistani national was arrested.

(b) Protest notes were lodged with Pakistani authorities. At a border meeting held on 16th August, 1967, measures to reduce tension on the border and to ensure adherence to the Ground Rules were discussed. Strict vigilance on the border is being maintained.

(c) There was no loss of Indian life or property.

आसाम पुनर्गठन योजना

1289. **श्री रवि राय** : क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम से युवकों का एक शिष्टमण्डल दिल्ली में प्रधान मंत्री से मिला और उसने आसाम की पुनर्गठन योजना के बारे में उन्हे एक ज्ञापन दिया; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) 25 अक्तूबर, 1967 को आसाम प्रदेश युवक कांग्रेस तदर्थ समिति के प्रतिनिधियों का एक शिष्ट मंडल प्रधान मंत्री से मिला था और उसने उन्हें एक ज्ञापन दिया जिसमें भारत सरकार से आसाम के पुनर्गठन के लिये मेहता समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने का अनुरोध किया गया था।

(ख) आसाम राज्य के पुनर्गठन के सम्बन्ध में एक ऐसा आधार ढूंढ़ने के लिये, जो सभी लोगों को मान्य हो, मेरा विचार इस सभा में भिन्न-भिन्न दलों के नेताओं के साथ विचार-विमर्श तथा परामर्श करने का है।

राजस्थान के सीमा क्षेत्रों में सड़कें

1290. **श्री ओ० प्र० त्यागी : श्री अमृत नाहाटा :**

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सड़कें बनाने का कार्य राज्य लोक निर्माण विभाग को सौंपा गया है जिसके कारण इन सड़कों के निर्माण की प्रगति बहुत कम है,

(ख) यदि हाँ, तो राज्य लोक निर्माण विभाग को यह काम सौंपने का क्या कारण है, और

(ग) क्या सरकार का विचार इन सड़कों के निर्माण का कार्य प्रतिरक्षा मंत्रालय को सौंपने का है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) :

(क) जी हाँ। यह सच है कि राजस्थान की सीमा पर की सामरिक सड़कों का निर्माण-कार्य राज्य सार्वजनिक निर्माण विभाग को सौंपा गया है परन्तु इस व्यवस्था से निर्माण कार्य में न तो देर हुई है और न वर्तमान स्थित में उस की प्रगति धीमी रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इन सड़कों के निर्माण कार्य को रक्षा विभाग को सौंपने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

'ओशनोग्राफर' जहाज द्वारा खोज

1291. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय मानसून पवनो के रुख के बारे में 'ओशनोग्राफर' जहाज द्वारा की गई खोज के क्या परिणाम निकले हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : जहाज विश्व परिभ्रमण पर है और वह अपने पत्तन पर केवल दिसम्बर, 1967 में ही वापस आयेगा। आंकड़ों का वास्तविक अध्ययन केवल जहाज के वापस लौटने पर ही शुरू किया जा सकेगा। परिणाम संबंधी कोई रिपोर्ट, आंकड़ों का वैज्ञानिकों द्वारा विश्लेषण किए जाने के बाद ही उपलब्ध हो सकेगी।

केरल राज्य परिवहन निगम

1292. **श्री श्रीधरन**: क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने केरल सरकार को आश्वासन दिया था कि राज्य परिवहन निगम को पर्याप्त वित्तीय सहायता दी जयागी ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने यह आश्वासन पूरा किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) :

(क) से (ग) केन्द्रीय सरकार (रेल मंत्रालय) ने केरल राज्य सड़क परिवहन निगम में कुल धन की 20% की सीमा तक धन का अंशदान देकर उसमें सहयोग देना स्वीकार कर लिया है। इस निगम ने 1-4-1965 से काम चालू कर दिया है। केन्द्रीय सरकार ने उसे 1965-66 में 75 लाख रुपये की सीमा तक और 1966-67 से 50 लाख रुपये की सीमा तक धन की व्यवस्था की है।

चूंकि केरल सड़क परिवहन विभाग की प्राप्तियाँ, जैसी उल्लिखित निगम द्वारा ली गई, लगभग 500 लाख रुपये तक आँकी गई है इस प्रकार केन्द्रीय सरकार ने निगम की पूंजी में अपना हिस्सा अदा कर दिया है।

चालू वित्तीय वर्ष (अर्थात् 1967-68 में) निगम को केन्द्रीय सरकार की पूंजी का भाग दिये जाने का प्रश्न विचाराधीन है।

भारतीय संग्रहालय द्वारा निकाले गये प्रकाशन

1293. **श्री श्रीधरन** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय संग्रहालय द्वारा निकाले गये प्रकाशनों को भारत तथा विदेशों में लोकप्रिय बनाने के लिये कोई कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख) इस सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रखी जायेगी।

वर्षा के कारण टूटी सड़कों और राजपथों की मरम्मत

1294. **श्री सं० चं० सामन्त** : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष असाधारण भारी वर्षा के कारण दिल्ली में सड़कों और राजपथों और देश में अन्य राजपथों को कितनी क्षति हुई है,

(ख) सड़कों और राजपथों की मरम्मत के लिये कितनी धनराशि निर्धारित की गई और कितनी राशि खर्च की गई: और

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिये दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका तथा दूसरे राज्यों, विशेषकर संघ राज्य-क्षेत्रों को सहायता दी गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) :

(क) से (ग) भारत सरकार देश में राष्ट्रीय मुख्य मार्ग घोषित की गई और केन्द्रीय क्षेत्रों की सड़कों के लिये मुख्यतः जिम्मेदार है। राज्यों में राष्ट्रीय मुख्यमार्गों के अलावा अन्य सड़कें संबद्ध राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय मुख्यमार्गों और केन्द्रीय क्षेत्रों की सड़कों के बारे में अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर पेश कर दी जायगी।

सालार जंग संग्रहालय के कर्मचारी

1295. **श्री रमानी :** **श्री नायनार :**
श्री अब्राहम : **श्री उमानाथ :**
श्री पुन्नोस : **श्री सत्य नारायण सिंह :**

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कियोकार क्राइम रजिस्ट्रेशन ब्यूरो, हैदराबाद की मार्फत सालार-जंग संग्रहालय कर्मचारी संघ, हैदराबाद से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो उस ज्ञापन की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने उस मामले की जाँच की है और यदि हाँ, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं;

(घ) क्या कोई अधिकारी अपराधी पाया गया है और यदि हाँ, तो सम्बन्धित अधिकारियों के नाम तथा पदनाम क्या हैं; और

(ङ) उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) (एक) इस संग्रहालय के विभिन्न अधिकारियों तथा शिक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी का कथित भ्रष्टाचार।

(दो) कथित गोलमाल तथा संग्रहालय सम्पत्ति के, जिसमें कला की वस्तुएँ शामिल हैं, विश्वास भंग के दण्डनीय मामले, और

(तीन) संग्रहालय में चोरियों का ब्यौरा।

(ग) सलार जंग संग्रहालय बोर्ड को, जो एक स्वायत्त शासी निकाय है, इस मामले की पहले ही जानकारी है। तथापि जहाँ तक चोरियों का सम्बन्ध है, राज्य पुलिस तथा विशेष पुलिस संस्थान के पास कागजात भेजे गये हैं लेकिन सरकार को अब तक यह पता नहीं है कि उनकी जाँच का परिणाम क्या निकला है क्योंकि जाँच-परिणाम अभी उसे प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) अभी तक नहीं।

(ङ) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड

1296. **श्री रमानी :** **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री प० गोपालन : **श्री उमानाथ :**
श्रीमती सुशीला गोपालन : **श्री चक्रपाणि :**
श्री विश्वनाथ मेनन :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड में केरल का कोई प्रतिनिधि नहीं है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड में प्रतिनिधित्व के लिये सरकार को केरल सरकार से कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) :

(क) जी हाँ।

(ख) मर्चेन्ट शिपिंग ऐक्ट 1958 के अनुभाग 4 (2) जिसमें नेशनल शिपिंग बोर्ड का संयोजन दिया हुआ है उसमें बोर्ड में राज्यानुसार प्रतिनिधित्व की कोई व्यवस्था नहीं है। बोर्ड में किसी राज्य सरकार का प्रतिनिधि नहीं है। अतः केरल सरकार के प्रतिनिधि को मनोनयन करने का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी हाँ। केरल सरकार को यह स्थिति समझा दी गई है। उनसे यह भी कह दिया गया था कि यदि उन्हें प्रतिनिधित्व दिया गया तो अन्य समुद्री राज्यों से भी ऐसे ही दावे होंगे जिन्हें पूरा करना कठिन होगा।

केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम

1297. **श्री रमानी : श्री उमानाथ :**

श्री मुहम्मद इस्माइल : श्री प० राममूर्ति :

श्री गणेश घोष :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों ने 24 अक्तूबर, 1967 को हड़ताल की थी,

(ख) यदि हाँ, तो उनकी माँगों का व्यौरा क्या है, और

(ग) विवाद को निपटाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) :

(क) केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम की दिल्ली शाखा के कर्मचारी 24 अक्तूबर से 6 नवम्बर, 1967 तक हड़ताल पर रहे।

(ख) कर्मचारियों की मुख्य माँगें ये थीं—23 अक्तूबर 1967 को निगम द्वारा जिन दो अस्थायी कर्मचारियों की नौकरियाँ समाप्त कर दी गई थीं उन्हें पुनः बहाल किया जाय और केन्द्रीय सरकारी दफ्तरों की तरह उन्हें भी कुछ छुट्टियाँ दी जायें।

(ग) मजदूरों/यूनियन के प्रतिनिधियों में विचार विमर्श हुआ था। वे दोनों कर्मचारी जिनको नौकरियाँ समाप्त कर दी गई थीं पुनः बहाल कर दिये गये है और 7 नवंबर 1967 को हड़ताल वापस ले ली गई।

कलकत्ता पत्तन आयुक्त

1298. **श्री धीरेश्वर कलिता : श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता पत्तन आयुक्तों की वित्तीय स्थिति की जाँच करने के उद्देश्य से एक-एक सदस्यीय आयोग बनाया जा रहा है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उस आयोग का सदस्य कौन होगा और उसके निर्देशपद क्या होंगे ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव०) : (क) और (ख) कलकत्ता पत्तन के आयुक्तों की वित्तीय स्थिति की जाँच करने के लिये एक सदस्यीय समिति बनाई गई है जिसके सदस्य श्री पी० सी० भट्टाचार्य हैं जो भारत के रिजर्व बैंक के भूतपूर्व गवर्नर हैं। इस समिति की नियुक्ति तथा उसके निर्देश पद आदि के सम्बन्ध में परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय के संकल्पों यथा दिनांक 22 सितम्बर 1967 का संख्या 9–पी० जी० (89)/66 तथा दिनांक 9 नवम्बर, 1967 का संख्या 9 पी० जी० (104)/67 की प्रतियाँ संलग्न हैं। [**पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी०** 1668/67]

व्यापारी बेड़ा प्रशिक्षण अकादमी

1300. **श्री वेदव्रत बरुआ : श्री धीरेन्द्रनाथ देव :**

श्री वासुदेवन नायर : श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ में व्यापारी बेड़ा प्रशिक्षण अकादमी स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में कब तक अन्तिम निर्णय किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) तत्सम्बन्धी प्रस्ताव का व्यौरा क्या है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव०) :

(क) जी हाँ। गोवा में व्यापारिक नौ प्रशिक्षण अकादमी स्थापित करने का प्रस्ताव सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया गया है।

(ख) वित्तीय कठिनाइयों के कारण अभी इस अवस्था में यह ठीक तरह से सूचित नहीं किया जा सकता है कि इस मामले में कब अन्तिम निर्णय लिये जाने की संभावना है।

(ग) प्रस्ताव के ठीक व्यौरे तैयार किये जा रहे हैं। इस प्रस्ताव का ध्येय इंजीनियर और नौ कैडेटों के बीच सौहार्दभाव स्थापित करना है। ये अभी अपना प्रशिक्षण मेरीन इंजीनियरिंग कालेज और प्रशिक्षणा पोत डफरिन में क्रमशः प्राप्त कर रहे हैं।

Enquiry into Deaths due to Drinking of Varnish

1302. **Shri Ram Avtar Sharma: Shri Shiv Kumar Shastri: Shri Prakash Vir Shastri:**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Central Government had issued any order to the Government of Madras for conducting a judicial enquiry in regard to the large-scale deaths of labourers in the State of Madras in August, 1967 last as a result of drinking Varnish ;

(b) whether the judicial enquiry into this case has since been completed ;

(c) if so, the details thereof ; and

(d) the action taken against the persons found guilty :

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidyaa Charan Shukla) :

(a) No, Sir.

(b) to (d) Do not arise.

इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की विमान की उड़ान के दौरान यात्रियों द्वारा दुर्व्यवहार

1303. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन यात्रियों के नाम क्या हैं जिन्होंने 17 जुलाई, 1967 को इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के केरेवल विमान की दिल्ली से बम्बई की उड़ान के दौरान शराब पी थी और गड़बड़ की थी जिस पर विमान का कमान्डर काबू नहीं पा सका था;

(ख) क्या इन यात्रियों का व्यवहार आपत्तिजनक था और क्या इसके फलस्वरूप कमान्डर को मजबूर हो कर पुलिस को सान्ताक्रूज हवाई अड्डे पर शराब पिये हुए इन यात्रियों को पकड़ने के लिए वहाँ उपस्थित रहने के हेतु रेडियो द्वारा सूचना देनी पड़ी थी; और

(ग) यदि हाँ, तो इन यात्रियों के विरुद्ध पुलिस अथवा इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) (क) से (ग) : केबिन के परिचारकों के कमान्डर को रिपोर्ट करने पर कि तीन यात्रियों ने उड़ान के दौरान मद्यपान करके अशिष्ट व्यवहार किया है, कमान्डर ने बम्बई को रेडियो द्वारा शिकायत प्रसारित करते हुए यह माँग की कि विमान के बम्बई उतरने पर पुलिस की व्यवस्था रहे। तदनुसार पुलिस उपस्थित थी और जब विमान उतरा उसने संबंधित तीनों यात्रियों को अपने हाथ में ले लिया। ऐसा प्रतीत होता है उन यात्रियों को पुलिस ने बाद में छोड़ दिया और उनके खिलाफ और आगे कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि, संभवतः, उसे उनके विरुद्ध कोई निर्णायक प्रमाण नहीं मिला। जिन व्यक्तियों के साथ यह घटना हुई उन्होंने भी कारपोरेशन से शिकायत की कि विमान के कमान्डर ने उनके खिलाफ गलत आरोप लगाया था। कारपोरेशन सारे मामले की जाँच-पड़ताल कर रहा है। इस बीच यह तै किया गया है कि उन तीन संबंधित व्यक्तियों के नाम प्रकाशित करना लोकहित की दृष्टि से उचित नहीं होगा।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमानों की उड़ानों में शराब का प्रयोग

1304. **श्री बाबूराव पटेल : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन अपने विमानों की उड़ानों के दौरान अपने यात्रियों को शराब पीने देता है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं तथा इसे बन्द करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) : इंडियन एयरलाइन्स विमान के उड़ने के 15 मिनट बाद और नीचे उतरने से पहले उड़ान के दौरान यात्रियों के अपने मद्यों का अनुसेवन करने के बारे में एतराज नहीं करते बशर्ते कि वे नशे में खो ही न जायें अथवा किसी प्रकार का दुर्व्यवहार ही न करने लगें। अपनी अन्तर्राष्ट्रीय यात्राओं में इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन अपने यात्रियों को मद्य पेय बेचते हैं जिन्हें यात्री उड़ान के दौरान ही पी सकते हैं अथवा घर ले जा सकते हैं।

(ख) यात्रियों के उड़ान के दौरान मद्य-पान से कोई खतरा नहीं पैदा होता. और इस रूप में यदि यात्री अपने मद्यों का अनुसेवन करना चाहते हैं तो आई० ए० सी० इस पर कोई एतराज नहीं कर सकते।

होटल विकास निधि

1305. **श्री चेंगलराया नायडू : श्री रा० बरूआ :**

श्री मरेंडी :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री होटल विकास निधि के बारे में 13 जून 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2238 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होटल उद्योग को ऋण देने से सम्बन्धित निबन्धनों और शर्तों को इस बीच अन्तिम रूप दिया जा चुका है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस होटल निधि का काम कब से आरम्भ हो जायेगा; और

(ग) क्या भारत सरकार का विचार पर्यटन को उद्योग के रूप में मान्यता देने का है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री डा० कर्ण सिंह):

(क) जी, नहीं। ऋण मंजूर करने की शर्तों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ख) ज्योंही शर्तों को अन्तिम रूप दे दिया जायेगा, ऋणपूंजी से ऋण दिये जाने लगेंगे।

(ग) भारत सरकार पहले ही पर्यटन को एक उद्योग के रूप में स्वीकार कर चुकी है और उसने ये निदेश भी दिये हैं कि पर्यटन उद्योग के विभिन्न अवयवों, जैसे होटलों, ट्रैवल एजेंसियों, शिकार आउट-फिटरों और टूरिस्ट कार आपरेटरों को उनकी पर्यटन उद्योग के विकास संबंधी आवश्यकताओं के विषय में विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये और उनकी विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति प्राथमिकता के आधार पर की जानी चाहिए।

शिक्षा आयोग की सिफारिशें

1306. **श्री चेंगलराया नायडू :** **श्री स० चं० सामन्त :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार शिक्षा आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के मार्गोपाय निश्चित करने के लिये उप-कुलपतियों की एक समिति बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही थी; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में कब तक अन्तिम निर्णय किये जाने की संभावना है?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मद्रास में तमिल साहित्य सम्बन्धी गोष्ठी

1307. **श्री कृष्ण मूर्ति** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास में दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन—तमिल साहित्य गोष्ठी के लिये सरकार से वित्तीय सहायता माँगी गई है; और

(ख) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख) : जी नहीं। फिर भी यूनेस्को से वित्तीय मदद के लिए सम्मेलन के आयोजकों से मिली प्रार्थना सिफारिश के साथ पेरिस में यूनेस्को के प्रधान कार्यालय को भेज दी गई है। मामला यूनेस्को के विचाराधीन है।

तकनीकी शिक्षा का पुनर्गठन

1308. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तकनीकी शिक्षा का पुनर्गठन करने की योजना पर विचार कर रही है, जिससे कि पेट्रो-रासायनिक, इलेक्ट्रोनिक्स और धातु प्रबन्ध जैसी विशेषित शाखाओं पर जोर देने के साथ साथ इसमें अनेकरूपता लायी जा सके;

(ख) यदि हाँ, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये परिवर्तन कब किए जायेंगे?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) :

(क) से (ग) तकनीकी शिक्षा को पहले ही विविध प्रकार की कर दिया गया है और इलेक्ट्रोनिक्स, पेट्रो रसायनिक, औद्योगिक तथा व्यापार प्रबन्ध आदि-आदि में कई संस्थाओं द्वारा

विशिष्ट पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आवश्यक जनशक्ति के अनुसार इनका आगे और भी विभाजन किया जाएगा।

मंत्री का ब्रिटेन का दौरा

1309. **श्री यशपाल सिंह :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में राज्य मंत्री इंगलैण्ड की प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन करने के लिये वहाँ गए थे; और

(ख) यदि हाँ, तो उनकी मुख्य उपपत्तियाँ क्या हैं?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) और (ख) गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री 10 से लेकर 19 अक्तूबर, 1967 तक इंगलैण्ड गए थे। यू० के० सरकार ने गृह-कार्यालय की कुछ महत्वपूर्ण एजेन्सियों की कार्यप्रणाली देखने के लिये निमंत्रण दिया था जिस पर वह वहाँ गए थे।

अमरीका से वापस लौटने वाले भारतीय जहाजों के लिये माल

1310. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी**: क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री अमरीका से वापस लौटने वाले भारतीय जहाजों के लिए माल के बारे में 8 अगस्त, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 1657 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्य सहायता देने वाले अधिकारियों से अनुरोध किया है कि वे भारतीय जहाजों के लिए कुछ माल की व्यवस्था करें ताकि अमरीका तथा यूरोप से लौटते समय भारतीय जहाजों को पर्याप्त माल मिल सके, और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम हैं?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) :

(क) और (ख) खाद्यान्न माल को केवल 50 प्रतिशत अमरीकी (यू० एस० ए०) फ्लेग-शिपों के लिए आरक्षित है और शेष 50 प्रतिशत गैर अमरीकी फ्लेगशिपों द्वारा परिवहन के लिये उपलब्ध किया जाता है जो सब भारतीय पोत हो सकते हैं यदि पर्याप्त भारतीय टनभार उपलब्ध हो। किन्तु भारतीय टन भार की कमी के कारण इस माल का लगभग 15–18 प्रतिशत ही भारतीय पोत ले जा सकते हैं। अतः भारतीय पोतों के लिये खाद्यान्न का उच्चतर कोटा दिए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

खाद्यान्न माल की इस उपलब्धता के बावजूद अमेरिका के प्रशान्त तट से लौटने वाले लाइनर पोतों की क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया जाता है। इसका कारण यह है कि साधारणतया लाइनर पोत सामान्य माल ढोते हैं और खाद्यान्न को थैलों में भरा होने पर ही स्वीकार करते हैं जबकि सामान्यतया खाद्यान्न खुला हुआ उपलब्ध होता है।

इस परिस्थिति का उपाय भारत और अमेरिका के पश्चिम तट के बीच चलने वाले लाइनर पोतों की संख्या में उस क्षेत्र से सामान्य माल की उपलब्धता के समर्यस्तर तक कमी कर देना है। जैसा 8-8-67 की मौखिक प्रश्न संख्या 1657 के उत्तर में बताया जा चुका है इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

दिल्ली-श्रीनगर कैरेवेल विमान उड़ान

1311. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली से श्रीनगर के बीच नियमित कैरेविल उड़ान, जिसका उद्घाटन 28 अक्तूबर, 1967 को होना था, स्थगित कर दी गई थी; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) कारवेल वायुयान को श्रीनगर के लिए उद्घाटकीय उड़ान पहले 8 अक्तूबर को होनी निश्चित हुई थी लेकिन इसे श्रीनगर की उस दिन की परिस्थितियों के कारण स्थगित करना पड़ा। यह उड़ान 23 अक्तूबर को की गयी।

नव नालंदा महाबिहार तथा ह्वेनसांग स्मारक

1312. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नव नालन्दा महाविहार और ह्वेनसांग स्मारक के प्रश्न पर इस बीच निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस निर्णय का स्वरूप क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) :

(क) और (ख) अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। प्रस्ताव से संबंधित भारी वित्तीय समस्याओं पर ध्यान पूर्वकविचार कर लेने के बाद ही सरकार इस पर निर्णय लेगी।

विमान दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों के लिए मुआवजा

1313. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **पर्यटन तथा नागर विमानन** मंत्री विमान दुर्घटनाओं में यात्रियों की मृत्यु या शारीरिक चोटों के मामले में एयरलाइनों द्वारा दिए जाने वाले मुआवजे की सीमाओं के विषय में लिखित प्रश्न संख्या 6580 के 25 जुलाई, 1967 को दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस विषय पर विशेषज्ञों की पेनल की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसपर क्या निर्णय किए गए हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :

(क) जी, हाँ। विशेषज्ञों के पेनल (नामिका) द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की परिषद् को प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट की एक प्रति सरकार को मिल चुकी है।

(ख) चूंकि विशेषज्ञों को पेनल की सिफारिशों पर अभी अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की परिषद् द्वारा विचार किया जाना है इसलिये सरकार अभी इतनी जल्दी अन्तिम निर्णय नहीं कर सकती है।

पुरातत्व विभाग की वस्तुएँ

1314. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** **श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :**

क्या शिक्षा मंत्री 19 जुलाई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6068 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ग) क्या सरकार को ब्रिटिश म्युजियम में रखी हुई भारतीय पुरातत्त्व विभाग से संबंधित वस्तुओं की संख्या के बारे में कोई और जानकारी प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उनकी वापसी के लिये माँग की गई है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका परिणाम क्या निकला ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) :

(क) अभी तक कोई निश्चित सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित सभी उपलब्ध सूचना प्राप्त होने पर ही इस प्रश्न पर विचार किया जा सकेगा।

भारत में राजनयिक मिशन

1315. **श्री समर गुह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका, रूस, ब्रिटेन, चीन और पाकिस्तान के राजनयिक मिशन पुस्तकों, सामयिक पत्र-पत्रिकाओं, पुस्तिकाओं तथा "मैत्री" अथवा "एकता" संगठनों के जरिये हमारे देश में प्रचार कार्य के लिये बहुत सा धन खर्च कर रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इन मिशनों द्वारा आयातित और भारत में छापी जाने वाली अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाओं को इन पुस्तकों, पुस्तिकाओं तथा सामयिक पत्र-पत्रिकाओं के नाम क्या हैं और उनकी कितनी प्रतियाँ आयात की जाती हैं तथा छापी जाती हैं;

(ग) इस प्रकार साहित्य में से कितना बेचा जाता है और कितना निःशुल्क बाँटा जाता है।

(घ) इस प्रकार के प्रचार कार्यों पर इनमें से प्रत्येक मिशन अनुमानतः कितनी राशि खर्च करता है;

(ङ) भारतीयों के सहयोग से गठित इन देशों के "मैत्री संगठनों" अथवा "एकता संस्थाओं" के नाम क्या हैं और इन संगठनों से सम्बन्ध भारतीय कौन हैं; और

(च) क्या सरकार ने इन राजनयिक मिशनों द्वारा किए जाने वाले प्रचार कार्यों के बारे में कोई सर्वेक्षण तथा भारत के राष्ट्रीय हित पर उसके प्रभाव का कोई मूल्यांकन किया है अथवा किए जाने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चहाण) : (क) और (घ) ये राजनयिक मिशन ऐसी पुस्तकें सामायिक पत्र-पत्रिकाएं पुस्तिकाएँ आदि प्रकाशित तथा वितरित करते हैं, वे "मैत्री" तथा "एकता" वाली संगठनों को प्रोत्साहन भी देते हैं. तथापि सरकार के पास यह मालूम करने के लिए कोई साधन नहीं है कि ये मिशन इन क्रियाकलापों पर कितना खर्च करते हैं।

(ख) से (ङ) इस सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रखी जायेगी।

(च) ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है अथवा इस समय करने का कोई विचार नहीं है।

पश्चिम बंगाल में स्कूलों की इमारतों का गिरना

1316. **श्री समर गुह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कंटाई सब डिवीजन तथा मिदनापुर जिले के अन्य कई स्थानों में हाल ही में आई विनाशकारी बाढ़ के कारण लगभग 500 प्राथमिक तथा 15 हाई स्कूलों की इमारतें गिर गई हैं और हजारों पुस्तकें बाढ़ के पानी में बह गई हैं जिसके कारण बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में लड़कों और लड़कियों की शिक्षा के सम्बन्ध में बहुत कठिनाई हो रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो पश्चिम बंगाल सरकार की गम्भीर वित्तीय स्थिति के कारण क्या केन्द्रीय सरकार का विचार पश्चिम बंगाल सहायता मंत्रालय को आवश्यक वित्तीय सहायता देने का है जिससे गिरी हुई स्कूल की इमारतों को शीघ्रातिशीघ्र पुनर्निर्माण हो सके। बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में विद्यार्थियों को इस वर्ष की शेष कालावधि के लिए फीस की छूट दी जा सके और गरीब विद्यार्थियों को पुस्तक तथा अन्य लेखन सामग्री दी जा सके ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क) और (ख) ऐसे मामलों में किए जाने वाले सहायता के विशेष उपायों की जिम्मेदारी मुख्यतः राज्य सरकार की है। भारत सरकार, अधिकारियों के केन्द्रीय दल द्वारा स्थिति का मूल्यांकन करने और आवश्यकताओं का पता लगाने के बाद बताई गई सीमा के अनुसार सहायता कार्य पर हुए कुल खर्च के लिए वित्तीय सहायता देती है। पश्चिम बंगाल की हाल ही की बाढ़ के लिए भारत सरकार ने राज्य सरकार द्वारा सहायता कार्यों पर किए गए खर्च के लिए 50 लाख रुपए पहले ही स्वीकृत किए हैं। जितनी और राशि आवश्यक समझी जाएगी, उतनी राशि स्वीकृत कर दी जाएगी।

विदेशी पर्यटकों के आकर्षण के लिये कलकत्ते का विकास

1317. **श्री समर गुह** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में अन्य बड़े नगरों की तुलना में कलकत्ता, जो कि एशिया में दूसरे सबसे बड़ा नगर है अभी कुछ समय से विदेशी पर्यटकों के लिए कम आकर्षक बन गया है, यहाँ तक कि हमारे देश में आने वाले इन पर्यटकों में से अधिकांश कलकत्ता आये बिना ही भारत से चले जाते हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों में कलकत्ता के लिए इस प्रकार रुचि न होने के मूल कारण क्या हैं और विदेशी पर्यटकों के लिये कलकत्ता को आकर्षक बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :

(क) और (ख) जी, नहीं। यह कहना ठीक नहीं है कि अब कलकत्ता आने वाले पर्यटकों की संख्या पहले वर्षों से कम है। वास्तव में पर्यटकों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गयी है और वह 1962 में 52,135 से बढ़कर 1966 में 63,134 हो गयी। सम्पूर्ण पर्यटक यातायात के प्रतिशत के रूप में यह 38.8 % से बढ़ कर 39.6 % हो चुकी है।

साम्प्रदायिक दंगे

1318. **श्री मधु लिमये : श्री अब्दुल गनी दार :**

श्री शिव चन्द्र झा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत अन्तर्सत्रावधि में देश के विभिन्न भागों में साम्प्रदायिक हिंसात्मक कार्यवाहियां, दंगों की कितनी घटनायें हुई ;

(ख) उनमें कितने व्यक्ति मरे;

(ग) क्या इन दंगों के कारणों की कोई जाँच का आदेश दिया गया है;

(घ) दंड देने के लिए क्या कार्यवाही की गई; और

(ङ) जनता द्वारा इस सम्बन्ध में क्या प्रयत्न किए गए?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर प्रस्तुत है। [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी०** 1669/67]

(ग) से (ङ) : इन घटनाओं की पुलिस जाँच कर रही है। जहाँ कहीं आवश्यक है वहाँ पर इसके विरुद्ध जनता का आवाज उठाने के लिए लोक समितियाँ बनाई गई हैं। भारत सरकार ने अगस्त, 1967 से अब तक हुए प्रमुख साम्प्रदायिक दंगों के बारे में जाँच करने के लिये एक जाँच आयोग नियुक्त किया है, जिसके अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवा-निवृत्त न्यायाधीश श्री रघुबर दयाल हैं।

प्रान्तीयता की भावना

1319. **श्री मधु लिमये : श्री न० कु० साल्वे :**

श्री पार्थसारथी : श्री विभूति मिश्र :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रान्तीयता तथा भेदभाव की भावना के बारे में, जो विभिन्न राज्यों में वहाँ के लोगों के लाभार्थ सरकारी सेवाओं में भरती के लिए राज्य में निवास की शर्त, नौकरियों में प्रतिशतता और अम्यंश का—स्पष्ट अथवा गुप्त तरीके से—रूप धारण करती है सरकार ने कोई अध्ययन किया है; और

(ख) प्रान्तीयता की इस भावना को दबाने तथा सबको समान अवसर प्रदान करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी नहीं। संसद द्वारा अधिनियमित रोजगार लोक (निवास सम्बन्धी शर्तें) अधिनियम, 1957 ने राज्य अथवा स्थानीय अथवा अन्य प्राधिकारों के अधीन रोजगार अथवा नियुक्ति के प्रयोजनों के लिये निवास सम्बन्धी शर्तों के बारे में राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों में लागू सभी कानूनों को रद्द कर दिया था परन्तु इस अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत राज्य सरकार / प्रशासन के नियंत्रणाधीन अधीनस्थ सेवाओं में अथवा पदों पर अथवा आन्ध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश, मनीपुर और त्रिपुरा संघ राज्य क्षेत्रों में किसी स्थानीय प्राधिकार के अधीन किसी सेवा मे अथवा पद पर नियुक्ति के लिये इन क्षेत्रों में निवास सम्बन्धी शर्तें निर्धारित करने के लिये केन्द्रीय सरकार को नियम बनाने के

अधिकार दिए गए हैं। तेलंगाना क्षेत्र के मामले में आन्ध्र प्रदेश के निर्माण के सम्बन्ध आन्ध्र और तेलंगाना के नेताओं के बीच हुए एक समझौते के अनुसरण में विशेषता दिखाई गई है और हिमाचल प्रदेश, मनीपुर और त्रिपुरा के पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए उनको विशेष संरक्षण देने के लिये उपबन्ध किया गया था। उक्त अधिनियम 21 मार्च, 1959 को लागू किया गया था। केन्द्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत बनाये गए नियमों में आन्ध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में और हिमाचल प्रदेश, मनीपुर और त्रिपुरा संघ राज्य क्षेत्रों में वहाँ पर नियुक्ति से पूर्व निवास की अवधि निर्धारित की गई है। ये विशेष उपबन्ध भी लोक रोजगार (निवास सम्बन्धी शर्त) अधिनियम 1964 द्वारा संशोधित रूप में अधिनियम की धारा 5 के अनुसार अधिनियम के लागू होने से अर्थात् 21 मार्च, 1959 से दस वर्ष की अवधि के लिये लागू रहते हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त सरकार के अधीन रोजगार के प्रयोजन के लिये किसी राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र में निवास के बारे में कोई पाबन्दी नहीं हो सकती है और न ही उक्त अधिनियमों के उपबन्धों के विरुद्ध राज्य सरकारों द्वारा कोई ऐसी पाबन्दी लगाई जाने की भारत सरकार को जानकारी है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता।

Damage to Paradeep Port by Cyclone

1320. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) the estimated loss suffered by Paradeep Port as a result of the recent cyclone near the Port in Orissa;

(b) whether the buildings of the Port have also been damaged ; and

(c) the time by which the work of the Port is likely to be completed ?

The Minister of Transport and Shipping (Dr. V.K. R. V.. Rao) :

(a) Rs. 84,182.

(b) Yes Sir. The figures mentioned in reply to part.

(a) includes a sum of Rs. 57,230 on account of damage to port buildings.

(c) The first stage development of Paradip Port to enable it to handle two million tonnes of Iron Ore per annum has been completed and the Port has been in operation since November 1966.

दिल्ली में वैतनिक दंडाधीश

1321. **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली महानगर परिषद् ने सरकार से सिफारिश की है कि दिल्ली में अवैतनिक दंडाधीश का पद समाप्त किया जाये;

(ख) यदि हाँ, तो महानगर परिषद् की सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) जब 19 अक्तूबर, 1967 को महानगर परिषद् में दिल्ली में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने सम्ब-

न्धी विधेयक पर विचार किया गया था, तो परिषद् ने यह विचार दृष्टिकोण रखा कि कोई अवैत-निक दंडाधीश नहीं होना चाहिये तथा विधेयक में एक संशोधन का सुझाव दिया था। परिषद् द्वारा प्रस्तावित संशोधन प्राप्त हो गया है और उसपर विचार किया जा रहा है ।

दिल्ली पुलिस

1322. **श्री इन्द्रजीत गुप्त:**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली पुलिस के उन कर्मचारियों पर जिन्हें पुलिस वालों की हड़ताल तथा प्रदर्शन के मामले में गिरफ्तार किया गया था, चलाये गए मुकदमे की कार्यवाही पूरी करने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ख) अभी कितने पुलिसमैन जेल में हैं; और

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि उनके परिवारों को तंग किया जा रहा है और उन्हें पैसे की तंगी है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) कुछ अभियुक्तों ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दी थी कि ये मुकदमे दिल्ली से बाहर किसी न्यायालय में स्थानान्तरित कर दिए जायें। इसके निपटाये जाने तक इन मामलों की सुनवाई रुक गई थी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिए जाने पर कि इनकी सुनवाई दिल्ली-हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा संवर्ग से भिन्न दंडाधीशों से कराई जाये, आवश्यक कार्यवाही की गई है तथा सुनवाई शीघ्र आरम्भ हो जायेगी।

(ख) कोई भी नहीं।

(ग) नियमों के अनुसार अभियुक्त पुलिसमैनों को मुअत्तल कर दिया गया है और उन्हें प्रायः निर्वाह भत्ता मिल रहा है।

रिवर्ज स्टीम नेवीगेशन कम्पनी

1323. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** **डा० रानेन सेन :**

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भूतपूर्व रिवर्ज स्टीम नेवीगेशन कम्पनी के किन्हीं फालतू कर्मचारियों को सरकारी क्षेत्र के दूसरे उपक्रमों में नियुक्त कर लिया गया है;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिये स्थापित की गई समिति ने फालतू कर्मचारियों को नियुक्ति सरल करने के लिये कोई विशेष सुझाव दिए हैं; और

(ग) क्या उनकी नियुक्ति होने तक उन कर्मचारियों को उनको देय निवृत्ति लाभ और छंटनी का पूरा मुआवजा दे दिया गया है?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) :

(क) जी हां। 5000 व्यक्तियों के अलावा जो केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम में ले लिए गए हैं, 42 आदमी अन्य संस्थाओं से भी लिए गए हैं।

(ख) समिति ने अन्य बातों के साथ यह सिफारिश की है कि :—

(1) रोजगार दफ्तरों को वेशी आदमियों को केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों और सरकारी क्षेत्र के संस्थानों की रिक्तियों के लिए प्राथमिकता के आधार पर नामित करने का अधिकार दिया जाना चाहिये।

(2) पुनर्नियुक्ति के लिए वेशी आदमियों को 55 वर्ष की आयु तक आयु सम्बन्धी ढील दी जानी चाहिये।

(3) पुनर्नियुक्ति के लिए वेशी आदमियों में जो क्लेरिकल अमला मेट्रिक पास नहीं हैं उन्हें शिक्षा संबंधी योग्यता में इस प्रकार ढील दी जानी चाहिये कि रीवर स्टीम नेविगेशन कम्पनी की 10 वर्ष की लगातार सेवा मेट्रिक के बराबर मान ली जानी चाहिये।

(ग) राजाबागान डाकयार्ड के काम पर न लगाये गए सभी कर्मचारियों ने 190 आदमियों को छोड़कर अपने-अपने देय ले लिये हैं। आसाम में जो मजदूर काम पर नहीं लगाए जा सके हैं उन सब ने भी अपने-अपने पूरे देय ले लिए हैं। आसाम में जो क्लेरिकल तथा अधीनस्थ अमला काम पर नहीं लगाया जा सका उनमें से अधिकांश को समापन क्षतिपूर्ति तथा छुट्टी का वेतन दिया जा चुका है। परन्तु उनकी निर्वाह निधि तथा ग्रेचुटी का भुगतान करना अभी बाकी है क्योंकि उनके सेवा रिकार्ड तथा निर्वाह लेखा कम्पनी के मुख्य कार्यालय कलकत्ता में हैं जिस पर रिवर स्टीम नेवीगेशन कम्पनी के कुछ पूर्व कर्मचारियों ने बलपूर्वक तथा अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है। इसी कारण से कम्पनी के मुख्य कार्यालय तथा कलकत्ता घाट के उन काम पर न ले सके कर्मचारियों की देय भी नहीं चुकाये जा सके हैं जो अपने समापन देयों को स्वीकार करने के इच्छुक हैं।

Damage Due to Rains in Delhi

1324. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the loss of life and property suffered by the people in Delhi on the 6th August, 1967, due to rains ;

(b) the amount of assistance given to the affected persons ; and

(c) the number of houses which collapsed ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (**Shri K. S. Ramaswamy**):

(a) to (c) A statement containing the requisite information is placed on the Table of the House [**Placed in Library, See No. LT 1670/67**].

FIRE IN BUNGDHA VILLAGE UKHRUL

1325. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to the Unstarred Question No. 6711 on the 26th July, 1967, and state :

(a) whether the enquiry into the causes of outbreak of fire in the houses of Bungdha Village in Ukhrul Division has been completed ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons for the delay ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):

(a) to (c) The matter was investigated by the Police. They could not trace and identify the culprits who were unknown Naga undergrounds.

Encounter with Mizo Hostiles

1326. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is fact that three Jawans of our Security Forces were killed in an encounter with the Luglem Mizo Hostiles as reported in Navbharat Times dated the 8th August, 1967 ; and

(b) if so, the amount of compensation paid to the family of each killed jawan ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) There is no such report in the Navbharat Times of the 8th August, 1967.

(b) Does not arise.

मध्य प्रदेश के डाकुओं वाले क्षेत्र में पाकिस्तानी हथियार

1327. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के डाकुओं वाले क्षेत्रों में पाकिस्तानी हथियार मिले हैं;

(ख) क्या इस मामले की पूरी तरह जाँच की गई है;

(ग) पाकिस्तान से चोरी छिपे हथियारों की तस्करी रोकने के लिए यदि कोई कार्यवाही की गई है तो क्या; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में सरकार को मध्य प्रदेश की राज्य सरकार से कोई रिपोर्ट मिली है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि मध्य प्रदेश के डाकुओं वाले क्षेत्र में पाकिस्तानी हथियार मिले हैं।

(ख) से (घ) राज्य सरकार से इस बारे में विस्तृत प्रतिवेदन प्राप्त होने की प्रतीक्षा है।

राजधानी में "लक्की गेम्स"

1328. **श्री शशि भूषण वाजपेयी:**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान राजधानी में "लक्की गेम्स" के बारे में 23 जुलाई, 1967 के स्टेट्समैन समाचारपत्र में प्रकाशित एक समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) इस मामले पर भारत सरकार द्वारा ध्यान दिया जा रहा है।

पारादीप पत्तन के सम्बन्ध में केन्द्रीय जांच विभाग का प्रतिवेदन

1329. **श्री विश्वम्भरन** : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जाँच विभाग द्वारा पाराद्वीप पत्तन के निर्माण में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोपों की जाँच के कितने मामले दर्ज किए गए हैं ;

(ख) प्रत्येक मामले को कब-कब दर्ज किया गया था;

(ग) कितने मामलों के बारे में केन्द्रीय जाँच विभाग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है; और

(घ) केन्द्रीय जाँच विभाग के प्रतिवेदनों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) :

(क) पाँच।

(ख) 1. 3—9-66.
2. 27-12-66.
3. 23-12-66.
4. 17—1-67.
5. 15—7-67.

(ग) दो।

(घ) संबद्ध अधिकारियों द्वारा नियमित विभागीय कार्यवाही के लिये रिपोर्ट किए गए मामलों पर लिया गया निर्णय सभी सी० बी० आई० को सूचित नहीं किया गया है।

Training in Electronics at Pilani

1330. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a college has been established at Pilani for imparting higher education in electronics ;

(b) whether it is also a fact that there is neither any research centre nor any manufacturing factory for giving practical training in Electronics near Pilani ; and

(c) if so, how Government propose to make up this deficiency ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) The Birla Institute of Technology and Science, Pilani offers the first degree and post-graduate courses in electronics.

(b) and (c) The Central Electronic Engineering Research Institute that is located at Pilani is offering some facilities to the students of the Birla Institute for practical training. The Birla Institute has also made arrangements with other electronics establishments elsewhere in the country for practical training.

Education of Harijan and Adivasi Children

1331. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the percentage of the Harijan and Adivasi children amongst the children who received education during the last three years ;

(b) whether it is fact that even today a majority of Harijan and Adivasi children are deprived of primary education ; and

(c) if so, the steps being taken by Government to educate them ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) :

The requisite information on Harijan and Adivasi children is not available. However, the available information on Scheduled Caste, Scheduled Tribe and other Backward Class children is given as follows :

(a) The percentages of Scheduled Caste, Scheduled Tribe and other Backward Class students to the total number of students for the last three years for which statistics are available, i.e. 1961-62, 1962-63 and 1963-64, are 35.7, 34.6 and 36.3 respectively.

(b) Over 50 per cent of Scheduled Caste and Scheduled Tribe population in the School-going age-group are receiving primary education in 1966.

(c) It has all along been the policy of the Government to take measures for the uplift of Scheduled Castes and Scheduled Tribes to the level of others. Several schemes have been initiated with this end in view and these include, **inter alia**, award of scholarships and free studentships, free distribution of books, equipment and clothes, facilities for hostels, etc.

मंत्रियों के निजी कर्मचारी

1332. **श्री प० गोपालन :** **श्री अ० क० गोपालन :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय मंत्री सरकारी सेवा से बाहर के लोगों को निजी कर्मचारी नियुक्त कर सकते हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उन्होंने 1967 में ऐसे कितने निजी कर्मचारी नियुक्त किये; और

(ग) 1967 में अब तक उनको कुल कितनी राशि वेतन आदि के रूप में दी गई ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) और (ग) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी।

दिल्ली में सड़कें

1333. **श्री पी० गोपालन :** **श्री भगवान दास :**

श्री गणेश घोष : **श्रीमती सुशीला गोपालन :**

श्री मोहम्मद इस्माइल :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 सितम्बर 1967 के पैट्रिओट में प्रकाशित इस समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है कि दिल्ली में सड़कों की बुरी दशा का यह कारण है कि ठेकेदारों द्वारा सड़क निर्माण में अधीभानक सामान प्रयुक्त किया जाता है;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले की जाँच की है;

(ग) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले;

(घ) क्या यह सच है कि दिल्ली नगर निगम का निर्माण का समान मोतिया खान मार-केट में बेचा जा रहा था; और

(घ) यदि हाँ तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप- मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) इस विषय से दिल्ली नगर निगम का संबन्ध है। उसने सूचित किया है कि उसके सड़क निर्माण कार्य प्रत्येक कार्य के लिए समझौते तथा टेंडर में वर्णित एवं निश्चित विशिष्टियों के अनुसार होता है, परन्तु उसने इस मामले में विशिष्ट जाँच नहीं की हैं :

(घ) अभी तक दिल्ली नगर निगम के सामने ऐसा कोई मामला नहीं आया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड विशाखापत्तनम्

1334. **श्री प० गोपालन :** **श्री नायनार :**
श्री अ० क० गोपालन : **श्री मुहम्मद इसमाइल :**
श्री राममूर्ति : **श्री गणेश घोष :**

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान शिपयार्ड विशाखापत्तनम के प्रबंधकों ने मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के संबंध में 1-1-63 से लेकर 28-2-66 तक और दैनिक मजूरी पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के संबंध में 1–1–63 से लेकर 31–8–66 तक की अवधि में 1962 में संशोधित रूप में भविष्य निधि अधिनियम के अनुसार भविष्य निधि की बढ़ाये गये दरों के हिसाब से राशि नहीं काटी है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके कारण क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि आन्ध्रप्रदेश के प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्तों ने हिन्दुस्तान शिपयार्ड के प्रबन्धकों को कर्मचारियों तथा मालिकों के भविष्य निधि के हिस्सों की राशि जमा करवाने के लिये कहा है; और

(घ) यदि हाँ. तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव):

(क) जी हाँ।

(ख) 1952 से आगे के लिये हिन्दुस्तान शिपयार्ड इम्पलायी प्रविड्रेन्ट फंड के अनुभाग 17 के अन्तर्गत विमुक्त फैक्टरी है अतः 8 प्रतिशत की बढ़ी संवैधानिक दर शिपयार्ड के कर्मचारियों पर लागू नहीं होती।

(ग) जीं हाँ ।

(घ) इस मामले पर हिन्दुस्तान शिपयार्ड के प्रतिनिधियों और केन्द्रीय प्राविडेंट फंड कमिशनर दिल्ली और क्षेत्रीय प्राविडेंट फंड कमिश्नर हैदराबाद में विचार विमर्ष हुआ था। उपरोक्त अधिकारियों को हिन्दुस्तान शिपयार्ड ने एक विस्तृत पत्र लिखा है और उनके निणर्य की प्रतीक्षा की जा रही है।

पाकिस्तान द्वारा बंकरों का निर्माण

1335. **श्री श्री धरन :** **श्री कामेश्वर सिंह :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा की सीमा के साथ-साथ पाकिस्तान द्वारा बंकरों के निर्माण की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :

(क) सरकार के पास पाकिस्तान द्वारा त्रिपुरा की सीमा के साथ अभी हाल ही में बंकरों के निर्माण की कोई सूचना नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

चंडीगढ़ में राज भवन तथा अतिथि भवन

1336. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने चंडीगढ़ का राज भवन पंजाब राज्य को तथा अतिथि भवन हरियाणा राज्य को दिया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में हरियाणा सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :

(क) पंजाब के पुनर्गठन के बाद पंजाब और हरियाणा राज्यों के लिये एक ही राज्यपाल की व्यवस्था की गई थी; जो पहले की तरह ही राज-भवन में निवास करते रहे। जब हरियाणा के लिये अलग राज्यपाल नियुक्त करने का निर्णय किया गया, तब चंडीगढ़ का राजकीय अतिथि भवन उस सरकार को राज्यपाल के निवास स्थान के रूप में प्रयोग करने के लिये सौंप दिया गया। राज-भवन अब पंजाब के राज्यपाल के निवास स्थान के रूप में प्रयोग किया जा रहा है।

(ख) हरियाणा की सरकार ने इस आधार पर आपत्ति उठाई कि राजकीय अतिथि-भवन राज-भवन के समान नहीं है, और राज्यपाल के निवास-स्थान के बारे में हरियाणा राज्य के साथ पंजाब के समान व्यवहार नहीं किया गया। राज्य सरकार को सूचित किया गया कि पंजाब और हरियाणा के राज्यपालों के लिये राज-भवन को सम्मिलित रूप से प्रयोग करना सम्भव नहीं था, और चंडीगढ़ में केवल राज्य अतिथि भवन ही एक ऐसा अन्य उपयुक्त स्थान है, जिसे राज्यपाल के निवास-स्थान के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। यह भी स्पष्ट कर दिया गया था कि इस व्यवस्था में हरियाणा के विरुद्ध कोई भेद-भाव करने का इरादा नहीं था।

परियोजनाएं बनाने और उनकी क्रियान्विति के बीच का समय

1337. **श्री दामानी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परियोजनाएं बनाने और उनकी क्रियान्विति में बीच के समय को कम करने में सहायता करने के लिये वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् को कोई निदेश दिया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है और इसके बारे में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) :

(क) और (ख) 15 जुलाई 1967 को हुई वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की शासी निकाय की बैठक में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के प्रधान (प्रधान मंत्री) ने महत्वपूर्ण योजनाओं को पूरा करने में हुई देरी पर चिन्ता प्रकट की थी। उन्होंने यह भी कहा कि कोई समय सारिणी निश्चित करने और इस देरी को, जो कार्य-संचालन की हमारी प्रणाली का एक अंग बन गयी

लगती है, दूर करने के लिए मूल्यांकन हेतु कोई तन्त्र (मशीनरी) स्थापित करना आवश्यक है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के प्रधान के निर्देश पर अमल करने के लिए वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा, जहाँ तक वह उससे संबंधित है, सुधार संबंधी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद के अधीन नई संस्थाओं की स्थापना

1338. **श्री दामानी :** **श्री गणेश :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् को चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कोई नई संस्थाये न खोलने की सलाह दी गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो किन परिस्थितियों के कारण ऐसा निर्णय किया गया है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) :

(क) और (ख) : वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (वै० औ० अ० प०) की समिति ने जो महानिदेशक, वै० औ० अ० प० को चौथी योजना के प्रस्तावों पर सलाह देने के लिए है, सीमित वित्त साधनों को दृष्टि में रखकर यह सलाह दी है कि : (i) चौथी योजना के नियोजना पर सबसे पहला उत्तरदायित्व वर्तमान प्रयोगशालाओं / संस्थानों का होना चाहिए (ii) चौथी योजना के दौरान नए संस्थान तब तक स्थापित नहीं किए जाने चाहिए जब तक कि कोई विवशता न हो।

परिवहन विनियोजन कार्यक्रम

1339. **श्री दामानी** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चौथी अथवा पाँचवी पंचवर्षीय योजना के लिये परिवहन विनियोजना कार्यक्रम बनाने हेतु सर्वेक्षण करने के काम में कोई प्रगति हुई है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख) परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय परिवहन सर्वेक्षणों से संबद्ध है। इन सर्वेक्षणों द्वारा दिये गये आँकड़े भविष्य के परिवहन निदेश कार्यक्रम के बनाने में उपयोगी साबित हो सकते हैं। ये सर्वेक्षण प्रगति की विभिन्न अवस्थाओं में है और आशा की जाती है कि अगले वर्ष के आरंभ तक प्रत्येक क्षेत्र / राज्य की अन्तिम रिपोर्ट उपलब्ध हो जायेगी।

दिल्ली नगर निगम

1340. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम ने केन्द्रीय सरकार से 8 करोड़ रुपयें से अधिक राशि को "तुरन्त प्रतिपूर्ति" के लिये कोई दावा पेश किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो यह दावा किन आधारों पर किया गया है ; और

(ग) इसके बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) से (ग) दिल्ली के महापौर एक शिष्ट मंडल के साथ 13-9-67 को गृह मंत्री के पास

आये और 9.45 करोड़ रुपये का एक दावा पेश किया। यह माँग प्रमुख रूप से निम्नलिखित मदों के बारे में की गई है:—

(i) नगर निगम द्वारा अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने के लिए किये जाने वाला व्यय;

(ii) तृतीय योजना से सम्बन्धित नगर निगम को योजनाओं पर होने वाला आवर्ति व्यय; और

(iii) ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिक सुविधायें प्रदान करने की दिशा में सुधार और दिल्ली की बढ़ती हुई जन संख्या के लिये नागरिक सुख सुविधाओं की व्यवस्था। माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिये और अधिक साहाय्य-अनुदान, कर-मुक्त सरकारी सम्पत्तियों के हस्तांतरण पर कर के बराबर अनुदान और कानूनी तौर पर स्थानीय निकायों के करों से मुक्त सरकारी सम्पत्तियों पर पूरे-पूरे सम्पत्ति कर के भुगतान का भी दावा किया गया। गृह मंत्री ने दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि साहाय्य अनुदान को ये विभिन्न माँगे पिछले कुछ वर्षों में विद्यमान अनुदानों की पद्धति के क्षेत्र से बाहर हैं। इस पद्धति में किसी परिवर्तन के लिये सरकार दिल्ली के स्थानीय निकायों के वित्तीय साधनों तथा आवश्यकताओं को जाँच करने के लिये नियुक्त आयोग को सिफारिशों की प्रतीक्षा कर रही है।

विक्टोरिया स्मारक हाल संग्रहालय कलकत्ता में पाण्डुलिपियां

1341. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता के विक्टोरिया स्मारक हाल संग्रहालय में बहुमूल्य पाण्डुलिपियों की लिखावट समुचित संरक्षण व्यवस्था के अभाव में मद्धम होती जा रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो उनकी समुचित देखभाल के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) :

(क) और (ख) अन्य संग्रहालयों को तरह भी विक्टोरिया मेमोरियल हाल में भी कुछ प्रलेखों के धूमिल हो जाने का पता चला था। इन प्रलेखों को और अधिक खराब होने से बचाने के लिए डाक्यूमेंटस गैलरी हाल के वर्तमान शीशे के कमरों के स्थान पर अल्ट्रा वायलेट प्रूफ शीशे लगाए जा रहे हैं। संरक्षण की दिशा में कदम के रूप में सभी प्रलेखों की माइक्रोफिल्म तैयार की जा चुकी है और उनकी फोटोस्टैट प्रतियाँ तैयार कर ली गई है।

उपकुलपतियों का सम्मेलन

1342. **श्री स० चं० सामान्त** : **श्री रा० बरुआ** :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में हाल ही में उपकुलपतियों का एक सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हाँ, तो उसमे किन-किन मुख्य बातों पर चर्चा की गई थी;

(ग) इस सम्मेलन ने क्या-क्या सिफारिशें की थीं अथवा सुझाव प्रस्तुत किये थे और

(घ) सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (डा त्रिगुण सेन) :

(क) जी हाँ।

(ख) और (ग) विवरण नीचे दिया जाता है।

(घ) शिक्षा की राष्ट्रीय नीति निर्धारित करते समय उप-कुलपतियों द्वारा व्यक्त विचारों को ध्यान में रखा जाएगा।

विवरण

सम्मेलन के सामने मुख्य विषय शिक्षा आयोग (1964-66) द्वारा उच्चतर शिक्षा के संबंध में की गई सिफारिशों पर विचार करना था। इस संदर्भ में सम्मेलन ने निम्नलिखित पर विचार किया:—

(i) दाखिले से संबंधित समस्याएँ, विकास कार्यक्रम, शिक्षा का माध्यम, विद्यार्थी सेवा और कल्याण; (ii) उच्चतर शिक्षा और विज्ञान, इंजीनियरी तथा कृषि में अनुसंधान कार्य; और (iii) विश्वविद्यालय के नियंत्रण की समस्याएं जिनमें विश्वविद्यालय और संबद्ध कालिजों के आपसी संबंधों की समस्या भी सम्मिलित थी।

उच्चतर शिक्षा के संबंध में शिक्षा आयोग द्वारा की गई मुख्य सिफारिशों से सहमत होने के साथ-साथ उच्चतर शिक्षा के विस्तार, शिक्षा में गुणात्मक सुधार; शिक्षा का माध्यम; अध्यापकों के लिए कार्यक्रम; विद्यार्थी सेवा और कल्याण; तथा विश्वविद्यालय प्रशासन संबंधी अन्य बहुत सी समस्याओं जैसे—विश्वविद्यालय की स्वायत्तता; वित्त; और उप-कुलपतियों की नियुक्ति के संबंध में सम्मेलन ने कुछ टिप्पणी भी की।

संग्रहालयों में विकास कार्य

1343. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चतुर्थ पंच-वर्षीय योजना के दौरान संग्रहालयों के विकास कार्यों के लिये कितनी धन-राशि की व्यवस्था की गई है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : वर्तमान अस्थायी नियतन 1.25 करोड़ रुपए है।

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की तृतीय श्रेणी में पदोन्नति

1344. **श्री राम चरण** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चतुर्थ श्रेणी के अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों के लिये ऐसे पदों में आरक्षण हैं जो पदोन्नति द्वारा ही भरे जाते हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा उनके अधीन कार्यालयों में पिछले पाँच वर्षों में (31-10-67 तक) कितने पद अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों द्वारा भरे गये ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एम० रामास्वामी) : (क) जी हाँ, श्रीमान्। जहाँ कहीं श्रेणी III की किसी सेवा पद में सीधी भर्ती नहीं होती वहाँ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये सेवा/चयन द्वारा भरे जाने वाले पदों में अथवा विभागीय

उम्मीदवारों के लिये सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा भरे जाने वाले पदों में क्रमशः 12½ प्रतिशत और 5 प्रतिशत आरक्षण किया जाता है।

(ख) 1-11-1962 से 7-11-1963 तक की अवधि के लिये सूचना एकत्रित नहीं की गई थी और इसलिये, उपलब्ध नहीं हैं। 8-11-1963 से 31-12-1966 तक की अवधि के बारे में सूचना, जैसी उपलब्ध है, सभा-पटल पर रखे गये विवरण में दे दी गई है। [पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 1971/67] 1-1-67 से 31-10-1967 तक के आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि ये आँकड़े कलेन्डर-वर्ष के अन्त में एकत्रित किये जाते हैं।

अखिल भारतीय शिक्षा सेवा

1346. **श्री गणेश :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय शिक्षा सेवा बनाने के सम्बन्ध में इस बीच कोई निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका स्वरूप क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) और (ख) : सभी राज्यों के सिद्धांत रूप में, सहमत हो जाने के कारण, राज्य-सभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 312 (1) के अधीन मार्च 1965 में एक संकल्प पारित किया गया कि राष्ट्र-हित की दृष्टि से भारतीय शिक्षा सेवा का निर्माण करना अनिवार्य तथा लाभ-प्रद है। इस सेवा के निर्माणकार्य को अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 के अधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत लाने की दृष्टि से उक्त अधिनियम में संशोधन करने के लिये एक विधेयक नवम्बर 1965 में लोक सभा में प्रस्तुत किया गया; किन्तु तीसरी लोक सभा के कार्य-काल के दौरान उस पर विचार करके उसे पारित नहीं किया जा सका। उसे दोबारा नये सिरे से संसद के सामने प्रस्तुत करने के बारे में कदम उठाये जा रहे हैं। साथ-ही-साथ राज्य सरकारों से परामर्श करके विभिन्न ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

देश में साक्षरता

1347. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत में कितने प्रतिशत लोग साक्षर हैं;

(ख) स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद साक्षरता में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है; और

(ग) गत 15 वर्षों में जनसंख्या तथा साक्षरता में वृद्धि की प्रतिशतता के सापेक्ष आँकड़े क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) एक अनुमान के अनुसार 1967 में साक्षरता की प्रतिशतता लगभग 30 है।

(ख) साक्षरता की 1947 की अनुमानित प्रतिशतता 14.5 है। इसलिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद साक्षरता की प्रतिशतता में 15.5 की बढ़ोत्तरी हुई है। दूसरे शब्दों में पिछले बीस वर्षों में साक्षरता की प्रतिशतता दूनी हो गई है।

(ग) 1951 और 1966 के बीच जनसंख्या वृद्धि की औसत वार्षिक दर 2.47 प्रतिशत रही है। इसी अवधि में साक्षरता केवल 0.75 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ही बढ़ी है।

Chief Editor in Central Hindi Directorate

1348. **Shri Rajdeo Singh** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether, keeping in view the fact that a large number of technical staff of the Central Hindi Directorate have been rendered surplus and transferred to another Department there is now no justification for continuation of the post of the Chief Editor ; and

(b) if so, whether Government propose to abolish this post ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) : (a) and (b) The continuance of the post of General Editor (not Chief Editor) in the Central Hindi Directorate has no relationship with the staff recently declared surplus. The post is essentially required for the work connected with translation of manuals, forms and other procedural literature of the various Departments and Ministries of the Government of India, execution of Dictionary Projects, Correspondence Courses and other projects considered conducive to the development of the Hindi language.

Permanent Posts in Scientific and Technical Terminology Commission

1349. **Shri Raj Deo Singh** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a number of posts have been made permanent in the Scientific and Technical Terminology Commission and in the Central Hindi Directorate ;

(b) if so, the number of posts and the respective dates since when they have been made permanent in both the offices, separately and

(c) the reasons for the delay in confirming the persons working against these posts ?

The Minister of State in the Ministry of Educttion (Sri Sher Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) 60 and 63 temporary posts of various categories in the Commission for Scientific and Technical Terminology and Central Hindi Directorate respectively were last made permanent with effect from the 15th October, 1966.

(c) Pending the implementation of the recommendations of the Staff Inspection Unit of the Ministry of Finance which conducted a work measurement study of both these organisations, and the settlement of cases arising out of transfer of staff consequent on the separation of the Commission for Scientific and Technical Terminology from the Central Hindi Directorate, confirmations against permanent posts in these two organisations had to be held in abeyance. Steps are now being taken to decide cases of permanency as early as possible.

दिल्ली के स्कूलों के अध्यापकों का जलूस

1350. **श्री मुहम्मद इस्माइल : श्री गणेश घोष :**

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 24 सितम्बर, 1967 को दिल्ली के स्कूलों के अध्यापकों की संस्था की संयुक्त संघर्ष समिति ने दिल्ली के अध्यापकों का एक जलूस निकाला था;

(ख) क्या उनमें से अनेक अध्यापक जिनमें कुछ अध्यापिकायें भी शामिल थीं, गिरफ्तार किये गये;

(ग) यदि हां, तो कुल कितने अध्यापक गिरफ्तार किये गये;

(घ) कितनी अध्यापिकाएं गिरफ्तार की गईं;

(ङ) क्या यह सच है कि गिरफ्तार अध्यापिकाओं को पुलिस ने मारा पीटा; और

(च) यदि हां, तो सरकार ने अपराधी अधिकारियों को दण्ड देने के लिये क्या कार्यवाही की ?

शिक्षा मंत्रालय म राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क) जी, हाँ ।

(ख) जी हाँ, ।

(ग) और (घ) 15 जिनमें 4 अध्यापिकाएँ थी।

(ङ.) जी, नहीं।

(च) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता।

करारोपण जांच समिति

1351. **श्री हाल्दर : श्री काशी नाथ पाण्डे:**

क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करारोपण जाँच समिति ने चुंगी जैसे स्थानीय करों को समाप्त करने की सिफारिश की है।

(ख) क्या समिति ने वर्तमान करों के स्थान पर बिक्री कर पर अधिभार, अतिरिक्त बिक्री-कर, नगरपालिका बिक्री-कर या नगरपालिका उत्पादन-कर लगाने की सिफारिश की है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख) जी हाँ।

(ग) राज्य सरकारों और केन्द्रीय क्षेत्रों के प्रशासनों की सलाह से समिति की सिफारिशों की जाँच की जा रही है।

पर्यटक होटल

1352. **श्री योगेन्द्र शर्मा :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया का भारत पर्यटन विकास निगम के साथ मिल कर पर्यटक होटल बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका मुख्य-मुख्य व्योरा क्या है; और

(ग) प्रस्ताव की अनुमानित लागत क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :

(क) भारत पर्यटन विकास निगम के एयर इंडिया के सहयोग से एक होटल सान्ताक्रुज हवाई अड्डे पर और एक होटल बम्बई में जूहू बीच पर बनाने के प्रस्ताव हैं।

(ख) सान्ता क्रुज हवाई अड्डे और जुहू बीच, बम्बई, के होटलों में क्रमशः 100 और 200 शय्याओं की व्यवस्था होगी। ये होटल पूर्णतः वातानुकूलित होंगे और इनमें सभी आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध होंगी।

(ग) सान्ताक्रुज हवाई अड्डे के होटल के लिए चौथी योजना में 25 लाख रुपये का और जूहू के होटल के लिए 20 लाख रुपये का नियतन किया गया है। व्यय को इन नियत राशियों के अन्तर्गत सीमित रखने के प्रयत्न किये जायेंगे।

विमान भाड़ों में वृद्धि

1353. **श्री हेम बरुआ** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समस्त देश में विमान भाड़े 15 प्रतिशत बढ़ा दिए गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस वृद्धि से आसाम, मनीपुर और त्रिपुरा की विमान सेवाओं के भाड़ में भी वृद्धि की गई है;

(ग) क्या भाड़ा बढ़ाते समय इन क्षेत्रों की विशेष स्थितियों पर विचार किया गया था ;

(घ) क्या इन क्षेत्रों के निवासियों ने विमान भाड़े बढ़ाये जाने के विरुद्ध अभ्यावेदन प्रस्तुत किये हैं; और

(ङ०) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह):

(क) और (ख) : आसाम क्षेत्र में डकोटा सेवाओं को छोड़कर शेष समस्त देश में 1 अगस्त 1967 से आई० ए० सी० के विमान भाड़ों में 15% की वृद्धि की गयी है। आसाम क्षेत्र के डकोटा विमान सेवाओं के भाड़ों में केवल 5% की वृद्धि की गयी।

(ग) जी, हाँ।

(घ) जी, हाँ।

(ङ०) अब आई० ए० सी० ने इस्तेमाल किये जाने वाले वायुयानों के प्रकार को दृष्टि में रखते हुए आसाम क्षेत्र में 16 नवम्बर से भाड़ो में बढ़ोतरी को 5% तक सीमित रखने का निर्णय किया है।

नक्सलबाड़ी

1354. **श्री हेम बरुआ : श्री स० कुण्डू :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में नक्सलबाड़ी की स्थिति अब नियंत्रण में है ;

(ख) यदि हाँ, तो किस हद तक ;

(ग) क्या नक्सलबाड़ी के कुछ उग्रवादियों के नेपाल के रास्ते से तिब्बत भाग जाने के समाचार के बारे में सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय सूत्रों से पूछताछ की गई है; और

(घ) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :

(क) और (ख) राज्य सरकार ने बताया है कि नक्सलबाड़ी खारी-बाड़ी और फाँसी देवा में स्थिति पर पूर्ण नियन्त्रण प्राप्त कर लिया गया है।

(ग) सरकार को नक्सलबाड़ी के कुछ उग्रवादियों के नेपाल के रास्ते तिब्बत भाग निकलने के समाचार के बारे में कुछ पता नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

पुरावशेषों का निर्यात

1355. **श्री अदिचन** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरावशेषों के निर्यात में अनियमितताओं को रोकने के लिये सरकारी क्षेत्र में एक उपक्रम स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) :

(क) और (ख) इस विषय में कोई निर्णय नहीं किया गया है।

मैसूर में पर्यटन केन्द्र

1357. **श्री क० लकप्पा** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चतुर्थ योजना में मैसूर राज्य में कितने पर्यटन केन्द्र स्थापित करने का विचार है;

(ख) इस प्रयोजन के लिए मैसूर राज्य को कितनी धनराशि देने का प्रस्ताव है; और

(ग) कार्यक्रम का व्यौरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) मैसूर में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय और राज्य क्षेत्रों के अन्तर्गत विकसित किये जाने वाले पर्यटन केन्द्रों की सूची सभा-पटल पर रखी जाती है [**पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी०** 1672/67] जिसमें योजनाओं के लिए अस्थायी तौर पर नियत राशियाँ भी दी गयी हैं।

कारों के तस्कर व्यापारी

1358. **श्री मरंडी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 30 अक्तूबर, 1967 को दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में कारों के तस्कर तथा मदिरा तस्कर गिरफ्तार किये हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या इस प्रकार की तस्करी को रोकने के लिये दिल्ली प्रशासन द्वारा अग्रेतर कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) 30 अक्तूबर, 1967 को कारों तथा मदिरा के कोई तस्कर गिरफ्तार नहीं किये गये थे। हाँ, 28/29 अक्तूबर, 1967 को रात को एक पुलिस दल द्वारा एक टैक्सी का पीछा करके उसे रोका गया। इस टैक्सी में से पुलिस ने बोरियों से लिपटी हुई नौ पलास्टिक की ट्यूबें बरामद कीं जिनमें 1012½ बोतल अवैध शराब थी।

(ख) दो व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे।

(ग) एक मामला आबकारी अधिनियम की धारा 61/1/14 के अधीन थाना तिलक मार्ग, नई दिल्ली में दर्ज किया गया है और इसकी जाँच की जा रही है।

(घ) इस प्रकार की तस्करी को रोकने के लिये पर्याप्त कर्मचारी-वर्ग लगाया गया है।

Judges of High Courts

1359. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the total number of judges in the various High Courts of India ; and

(b) the number of those amongst them who belong to Scheduled Castes and Scheduled Tribes ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) :

(a) 235.

(b) Government do not keep any record of the caste to which a High Court Judge belongs.

देवली शिविर में हिरासत में लिये गये लोग

1360. **श्री राम चरण** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देवली स्थित केन्द्रीय हिरासत शिविर में कितने व्यक्ति हिरासत में हैं :

(ख) इस शिविर में कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों तथा सुरक्षिगणों की संख्या कितनी है; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष में अब तक इस शिवर पर कितना व्यय हुआ है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) सत्ताइस ।

(ख) 103 ।

(ग) 1,07,000 रुपये (लगभग) जिसमें सुरक्षिगणों तथा चिकित्सा-कर्मचारियों पर हुआ व्यय शामिल नहीं है जिसकी प्रतिपूर्ति राजस्थान की सरकार को की जानी है।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग का विकेन्द्रीकरण

1361. **श्री राम चरण** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1 अक्तूबर, 1962 से केन्द्रीय सचिवालय क्लर्क सम्बन्धी सेवाओं, केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं तथा केन्द्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवाओं का विकेन्द्रीकरण कर दिया गया है;

(ख) क्या विभिन्न मंत्रालयों में उसी वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो किसी विशेष श्रेणी की सेवा के वरिष्ठ कर्मचारी के हितों को ध्यान में रखने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क) केन्द्रीय सचिवालय सेवा (अनुभाग अधिकारियों तथा उनसे नीचे के वर्ग) और केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा 1-10-62 से विकेन्द्रीकृत की गई थी और केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा 1.11.62 से।

(ख) विकेन्द्रीकरण के बाद पदन्नोति प्रत्येक वर्ग के अपने अन्दर को वरिष्ठता के आधार पर की जाती है न कि सारे सचिवालय के लिये सामान्य वरिष्ठता के आधार पर।

(ग) विकेन्द्रीकृत ढांचे में पदोन्नतियों की गति में असमानताएँ तो अनिवार्य रूप से होंगी ही। फिर भी इन असमानताओं को कम करने की दृष्टि से विभिन्न वर्गों में पदोन्नति के लिये सेवा

को न्यून अवधियाँ निर्धारित की गई हैं। यदि किसी विशेष संवर्ग में सेवा की निर्धारित न्यूनतम अवधि वाले अधिकारी उपलब्ध न हो तो नियुक्ति गृह मंत्रालय द्वारा दी जाने वाली अन्य संवर्गों में नियुक्त व्यक्तियों की तालिका में से की जायेंगी।

दिल्ली के इंजिनियरिंग कालेज में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थी

1362. **श्री राम चरण** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के इंजिनियरिंग कालेज की विभिन्न शाखाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं;

(ख) ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिनकी फीस माफ नहीं की गई है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) (1) बी० एस० सी० पूर्णकालिक

(1) इलैक्ट्रिकल इंजीनियरी	10
(2) मैकेनिकल इंजीनियरी	46
(3) सिविल इंजीनियरी	4
	60
(2) बी० ई० (टैकनीकल) अंशकालिक	
(1) इलैक्ट्रिकल इंजीनियरी	2
(2) मेकेनिकल इंजीनियरी	1
(3) सिविल इजीनियरी	शून्य
	3
(3) इंजीनियरी में नेशनल डिप्लोमा अंशकालिक	
(1) इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	4
(2) मैकेनिकल इंजीनियरी	1
(3) सिविल इंजीनियरी	5
	10
	73

(ख) (1) बी० एस० सी० इंजीनियरी	13
(2) बी० ई० (टैकनीकल)	2
(8) इंजीनियरी में नेशनल डिप्लोमा	7
	22

(ग) इन विद्यार्थियों के माता-पिता की आय फीस माफ करने के लिये नियत उपरिसीमा से अधिक है और नियमों के अनुसार वे इसके अधिकारी नहीं हैं।

Indian Artistes Visit to Afghanistan

1363 : **Dr. Surya Prakash Puri** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Indian artistes recently went to Afghaistan to take part in her Independence Day Celebrations ; and

(b) the amount of expenditure incurred on their visit to Afghanistan ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen): (a) Yes.

(b) Rs. 28,320.96.

Development of Delhi to attract Foreign Tourists

1364. **Shri Kanwar Lal Gupta**. Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state the steps taken by Government during the last six months or proposed to be taken in future to attract foreign tourists to Delhi and its adjoining areas ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation. (Dr. Karan Singh): The Department of Tourism proposes to improve the surroundings of selected tourist monuments in Delhi, and also provide certain facilities at these monuments. It is also proposed to provide, in collaboration with the Government of Haryana, tourist amenities at Surajkund and Badkhal Lake, picnic spots located in the vicinity of Delhi. Also, there are plans to flood-light certain important monuments some of which will be implemented during the current financial year.

As a part of the International Tourist Year celebration a tourist week was held in Delhi in March 1967 when programmes were arranged with a view to attract tourists and provide entertainment for them. An international tourist documentry film festival is also scheduled to be held from 24th to 31st December, 1967 which will serve as an added attraction for foreign tourists to visit Delhi.

Pak Intrusion in Gujrat

1365. **Shri Raghuvir Singh Shastri** :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that four Pakistanis entered into Orjal Village in Gujarat recently and drove away 68 camels to Pakistan ;

(b) whether the Government of Gujarat have apprised the Central Government of such dacoities committed by Pakistanis on the border ;

(c) whether it is also a fact that the Central Government have asked Pakistan to return those camels ;

(d) if so, whether any reply thereto has been received from Pakistan ; and

(e) the action taken by Government to prevent the recurrence of such dacoities in future?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan): (a) to (e) According to the reports received by the Government of India, four Pakistanis entered Indian territory on 26-27th July 1967 and took away 68 camels from Chorpal (not Orjal) village in Gujarat. The concerned authorities of the BSF have lodged a protest with their counterparts in Pakistan and demanded return of the camels. The incident was taken up in a flag meeting held under the Ground Rules between the border officials of the two countries. The matter is being pursued. Vigilance and intensive patrolling are being maintained.

दिल्ली विश्वविद्यालय की एम० ए० की डिग्री में तीसरी डिवीजन का पुनः दिया जाना

1366. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1966 में तीसरी डिवीजन समाप्त करने के कारण दिल्ली

विश्वविद्यालय की गत एम० ए० डिग्री की परीक्षा में जिन विद्यार्थियों ने 405 और 0 प्रतिशत के बीच अंक प्राप्त किये थे उन्हें असफल घोषित कर दिया गया था ;

(ख) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय ने आगामी शिक्षा वर्ष से तीसरी डिवीजन देना पुनः आरम्भ कर दिया है ;

(ग) क्या उन विद्यार्थियों ने जो पिछले वर्ष असफल घोषित कर दिये गये थे, भूतलक्षी प्रभाव से एम० ए० की डिग्री दिये जाने की माँग की है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हाँ।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी हाँ।

(घ) नये नियम में उपबन्ध है कि :

(1) इन असफल हुए विद्यार्थियों के परीक्षा में पुनः बैठ सकने के लिये अवसरों की संख्या पर कोई सीमा नहीं रखी जायेगी;

(2) असफल हुए विद्यार्थियों के लिये 20 दिसम्बर, 1967 को एक विशेष परीक्षा होगी।

(3) इन विद्यार्थियों को अनियमित विद्यार्थी के रूप में पंजायन कराने तथा विश्वविद्यालय में और स्नातकोत्तर अध्ययन (सायंकाल) की संस्था में कक्षाओं में उपस्थित रहने की अनुमति दी गई है तथा उनके लाभार्थ विशेष कक्षाओं का भी आयोजन किया गया है।

उच्च पदों पर नियुक्त हरियाना के लोग

1367. **श्री रणधीर सिंह :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय हरियाना के कितने लोग राज्यपाल, राजनयिक, उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य तथा योजना आयोग के सदस्य के पदों पर नियुक्त हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :

ऊँचे पदों पर नियुक्तियों करते समय प्रमुख रूप से सम्बन्धित व्यक्ति की योग्यता को ध्यान में रखा जाता है कि इस बात को कि वह किस राज्य का निवासी है। इस बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है और उसे एकत्रित करने में जितना समय और श्रम लगेगा उसे देखते हुए प्राप्त परिणाम नगण्य होंगे।

Raid by Pakistani on a Village in Garo District

1368. **Shri N. S. Sharma** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a group of Pakistanis raided the Haiderpur village of Garo District on the 9th September, 1967 and looted property and took away a number of cattle heads ; and

(b) if so, the action taken by Government to check such activities ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) and (b) According to information received, on the 9th September, 1967, two incidents of Pak criminals trespassing into Indian territory in Garo Hills District, took place. In the first one, two cart wheels and two heads of cattle were stolen from the cowshed of an Indian national of village Nandichar, P.S. Mahendraganj. In the second incident, a gang of six Pak criminals committed dacoity in village Benbera, PS Dalu and decamped with cash and clothes. Investigations are proceeding on both the cases. Protest notes have been lodged. Border patrolling has been intensified.

Clash with Mizo Hostiles

1369. **Shri N. S. Sharma:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that twelve Jawans of our Security Forces had been killed at Kelcong near Mizo-Burma border on the 10th September, 1967 by Mizo hostiles ;

(b) if so, the action taken to check such activities ; and

(c) the compensation paid to the families of the killed Jawans ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b) In an ambush on 10th September, 1967, ten members of security forces were killed at Dilkawn near Champai in Mizo Hills District. The operations of security forces are continuing.

(c) In all such cases compesnation is paid to the families of the deceased as per rules on the subject.

राजस्थान में पाकिस्तानी गुप्तचर

1370. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में तामलोट और गदरा रोड के बीच पाकिस्तानी गुप्तचर प्राय: टेलीफोन को तारे काट देते हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार के ध्यान में ऐसी कोई घटना नहीं आई है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है।

राष्ट्रीय राजपथ

137 **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात के लिये कोई कार्यवाही की है कि राष्ट्रीय राजपथों पर बाढ़ का पानी न भरने पाये,

(ख) क्या उन सभी राजपथों के लिये कोई योजना बनाई गई है, जिनमें बाढ़ का पानी भरने की संभावना हो सकती है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस प्रयोजन के लिये कौन-कौन से राजपथ चुने गये हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन): (क) जी हाँ, इस बात के सुनिश्चयन के लिए उपाय किये जा रहे हैं कि राष्ट्रीय मुख्यमार्गों के नये निर्माण कार्य बाढ़ग्रस्त न हों। जहाँ तक मौजूदा सड़कों जिन्हें राष्ट्रीय मुख्यमार्गों घोषित किया गया, का संबंध है उन मार्गों को धन उपलब्धि के अनुसार ठीक करने के उपाय किये जा रहे हैं जो बाढ़ग्रस्त होते हैं।

(ख) सभी राष्ट्रीय मुख्यमार्गों के लिए कोई सामान्य योजना नहीं बनायी गयी है। फिर भी विशेष मामलों के लिए उपचारी उपायों के लिए योजना बनायी जाती है और उसे धन उपलब्धि के अधीन कार्यरूप दिया जाता है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्र में उच्च अधिकारी स्तर पर प्रशासन की कार्यक्षमता बढ़ाना

1372. **श्री न० कु० साल्वे** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के उच्च अधिकारी स्तर पर प्रशासन की कार्यक्षमता बढ़ाने के सम्बन्ध में इस समय तक कितनी प्रगति हो चुकी है; और

(ख) क्या यह सच है कि कुछ अधिकारियों ने इस योजना के अधीन अपनी राय पदालियों में जाने से इनकार किया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :

(क) सरकारी कार्यालयों में प्रशासनिक कार्य क्षमता में सुधार करने के लिये विभिन्न कदम उठाये गये हैं और प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन के प्राप्त होने पर एक विस्तृत पुनर्विलोकन किया जायगा। पद विशेषों के लिये उपयुक्त व्यक्तियों के चयन के अलावा उच्च अधिकारी स्तर पर यथासंभव छानबीन करने का प्रयास किया गया है। जहां तक व्यवहार्य हो, निर्णय करने वाली शक्तियाँ उच्च स्तर से नीचे के स्तरों को सौंपने के प्रयास भी किये जाते हैं।

(ख) एक अधिकारी ने, जिसके मूल राज्य पदालि में वापस भेजने के आदेश जारी किये गये थे, एक न्यायालय में सरकार के विरुद्ध मुकदमा दायर किया है। इसके अतिरिक्त अधिकारियों ने अपनी मूल राज्य पदालियों में वापस जाने की अनिच्छा व्यक्त किये जाने का कोई विशिष्ट मामला ध्यान में नहीं आया।

राष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसन्धान प्रयोगशालाओं में अपव्यय

1373. **श्री म० ला० सोंधी** : **श्री न० कु० साल्वे** :

क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारी विभिन्न राष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसन्धान प्रयोगशालाओं में दुर्लभ संसाधनों के अपव्यय, कीमती और बहुत ही सूक्ष्म यंत्रों के अप्रयोग तथा वास्तविक अनुसन्धान कार्य में उदासीनता को रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार को कितनी वित्तीय हानि उठानी पड़ रही है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) :

(क) दुर्लभ संसाधनों का उल्लेखनीय अपव्यय नहीं हुआ। कीमती और बहुत ही सूक्ष्म यंत्रों के अप्रयोग को 1965 में किए गए संयंत्र मशीनरी और भंडार के सामान्य निर्धारण के समय उपेक्षणीय बताया गया है। फिर भी इस बात की पूरी सावधानी रखी जा रही है कि संसाधनों और सूक्ष्म यंत्रों का रसायनशालाओं के आपसी और विश्वविद्यालयों के सहयोग द्वारा इष्टतम प्रयोग किया जा सके।

अनुसंधान कार्य के प्रति उदासीनता न आनाकर नियतकालिक समीक्षा, वैज्ञानिक कार्यक्रम बनाने के लिये वैज्ञानिकों का भाग लेना, प्रेरणादायक कार्य जैसे कार्यनिर्धारण और पदोन्नति, योग्यता के आधार पर पदोन्नति की योजना, अग्रिम वार्षिक वेतन वृद्धि आदि कार्यों द्वारा निरन्तर इस बात का प्रयत्न किया जाता है कि काम में गति बनी रहे।

(ख) वित्तीय हानि नहीं है।

वैज्ञानिकों का पूल

1374. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने वैज्ञानिकों के पूल में वैज्ञानिकों का प्रवेश सीमित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह इसलिये किया गया है कि तकनीकी कर्मचारियों को रोजगार देने की संभावना अन्तिम सीमा तक पहुँच गई है?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

वैज्ञानिकों तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद में छंटनी

1375. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् के वर्तमान कर्मचारियों की छंटनी करने का विचार है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस छटनी के परिणामस्वरूप किन-किन निदेशालयों के बन्द होने की संभावना है?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मुर्शिदाबाद जिले में पाये गये लाखों वर्ष पुराने फौसिल (जीवश्मि) के अंश

1376. **श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता, विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में लाखों वर्ष पुराने अश्मपादव अंश (प्लान्ट फौसिल फ्रेगमेन्ट) मिले हैं : और

(ख) यदि हाँ, तो इस खोज का व्यौरा क्या है?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख) सरकार के पास कोई सूचना नहीं है परन्तु कलकत्ता विश्वविद्यालय से पूछताछ की जा रही है। उनसे सूचना प्राप्त हो जाने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

शिक्षा संस्थाओं का सम्प्रदायों के आधार पर नामकरण

1377. **श्री शिवकुमार शास्त्री** : **डा० सूर्य प्रकाश पुरी** :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री : **श्री रामावतार शर्मा** :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : **श्री रामजीराम** :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा संस्थाओं के नामों से सम्प्रदायों के नाम हटा दिए हैं :

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को इस आदर्श नीति को अपनाने का सुझाव दिया है; और

(ग) यदि हाँ, तो इसपर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क) इस सम्बन्ध में भारत सरकार को राज्य सरकार से कोई पत्र नहीं मिला है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Moral Education in Delhi Schools

1378. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Delhi Administration formulated in the middle of September a scheme to impart moral education in all the schools of Delhi ;

(b) whether it is proposed to make this an integral part of education in all the schools and colleges in Delhi ; and

(c) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) :

(a) The matter has been under consideration of the Delhi Administration, but no such scheme has been finalised.

(b) and (c) Do not arise.

भारतीय विदेश प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा

1379. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय विदेश प्रशासनिक सेवा संवर्ग की भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग में विलय करने का है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि इस प्रस्तावित निर्णय का नेफा में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या नई स्थिति को देखते हुए, विशेषतः एरिंग समिति की सिफारिशों की पृष्ठभूमि में, सरकार इस निर्णय पर पुनर्विचार करेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, नहीं। संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक संयुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग बनाने का विचार है। संघ राज्य-क्षेत्रों के लिये प्रस्तावित भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग के बनाये जाने पर आरम्भ में भारतीय विदेश प्रशासनिक सेवा के सदस्य अधिकारियों की नियुक्ति करने पर विचार किया जायेगा ।

(ख) और (ग) सरकार को मालूम नहीं है कि उक्त निर्णय का नेफा में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। एरिंग समिति ने स्वयं सुझाव दिया था कि भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश प्रशासनिक सेवा संवर्गों में परस्पर स्थानान्तरण होना चाहिये तथा भारतीय विदेश प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को राज्यों में भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्गों में नियुक्त किया जाये। चूँकि सरकार ने काफी सोच-विचार के बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग का संघ राज्य क्षेत्रों के लिये प्रस्तावित संवर्ग में विलय करने का निर्णय किया है, इसलिये पुनर्विचार का कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

इम्फाल हवाई अड्डा

1380. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री** 6 जून, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1571 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े विमानों का संचालन करने के लिये इम्फाल हवाई अड्डे का विकास किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो फोकर फ्रैंडशिप विमान सेवा का सिल्चर से इम्फाल तक कब विस्तार करने का सरकार का विचार है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इस प्रयोजन के लिये यह कब तक तैयार हो जायेगा ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह):

(क) से (ग) विकास-कार्य किए जा रहे हैं और उनके जल्दी ही समाप्त होने की आशा है। इसके बाद इम्फाल के लिए मौजूदा डकोटा वायुयानों के स्थान पर एवरो/फ्रैंडशिप वायुयान चलाये जाने लगेंगे।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों के विदेशों के दौरे

1381. **श्री बाबूराव पटेल**:
श्री मोहन स्वरूप:
श्री रवि राय:
श्री समर गुह:
श्री तेन्नटि विश्वनाथम् :
श्री दामानी:
श्री चं० चु० देसाई:
श्री हेम राज:
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री:
श्री बलराज मधोक:

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 मार्च, 1967 से 31 अक्तूबर, 1967 तक की अवधि में केन्द्रीय मंत्रिमण्डल के कितने मंत्रियों ने तथा किस-किस मंत्री ने किस-किस देश का दौरा किया और प्रत्येक मंत्री को कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता थी और उनमें से प्रत्येक ने विमान के किराये तथा अन्य खर्चों पर कुल कितनी राशि व्यय की;

(ख) इनमें से प्रत्येक मंत्री के साथ जाने वाले सचिव का नाम क्या था, तथा उनका विमान किराया तथा विदेशी मुद्रा सहित कुल व्यौरा क्या है;

(ग) इन मंत्रियों में से प्रत्येक मंत्री के साथ जाने वाले सम्बन्धियों के नाम क्या हैं तथा मंत्री से उनका क्या सम्बन्ध है और उनपर व्यय की गई विदेशी मुद्रा तथा अन्य व्यय का व्यौरा क्या है;

(घ) विदेशों में जाने के लिये मंत्रियों के इन सम्बन्धियों को ठीक-ठीक किन आधारों पर 'पी' फार्म दिया गया; और

(ङ) प्रत्येक मंत्री द्वारा विदेशों में किए गए वास्तविक व्यय का व्यौरा क्या है और उससे हमारे देश को कितना तथा किस प्रकार का तत्काल लाभ हुआ ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

Demands of University Students Unions

1383. **Shri Y. S. Kushwah** **Shri N. K. Sanghi**

Shri Bedabrata Barua :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the demands made to the Government of India as a result of the decisions arrived at the Conference of the representatives of the Students' Unions of Universities held in August, 1967 in Delhi ; and

(b) the reactions of Government thereto ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) and (b) : A copy of the Report of the Conference was informally handed over to me by the representatives of the Students' Unions. The report contains certain suggestions which will be considered by the Universitiy Grants Commission and the Universities.

देश से योग्य व्यक्तियों का चला जाना

1384. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** **श्री प्र० के० देव :**

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योग्य व्यक्ति बहुत बड़ी संख्या में देश से बाहर चले गए हैं :

(ख) यदि हाँ, तो पिछले दो वर्षों में देश से चले जाने वाले उच्च योग्यता प्राप्त व्यक्तियां की संख्या कितनी है, और

(ग) क्या योग्य व्यक्तियों के देश से चले जाने के मामलों में वृद्धि हो रही है और यदि हाँ तो इसे कम करने के लिये क्या उपाय किए गए हैं और ऐसे उपायों का परिणाम क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क) और (ख) कार्य और रोजगार के लिए विदेश जाने वाले उच्च योग्यता प्राप्त वैज्ञानिक और तकनीकी व्यक्तियों की संख्या के बारे में कोई निश्चित आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) निश्चित सूचना उपलब्ध न होने की वजह से यह बताना संभव नहीं है कि बाहर जाने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है या घट रही है।

विदेश से लौटने वाले भारतीय वैज्ञानिक और तकनीकी व्यक्तियों की वापसी को आसान बनाने के लिए जो कदम उठाए गए हैं उनकी रूपरेखा का विवरण नीचे दिया जाता है।

विवरण

वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मचारियों के भारत लौटने को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:—

(1) विदेश से वापस लौटने वाले सुयोग्य भारतीय वैज्ञानिकों और टेक्नोलोजीविदों को जब तक उन्हें उपयुक्त रोजगार न मिल जाए तब तक अस्थायी रोजगार प्रदान करने के लिये "वैज्ञानिक समूह" की स्थापना।

(2) विदेश में रहने वाले भारतीय वैज्ञानिकों और टेक्नोलीजाविदों के नामांकन के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मचारियों के राष्ट्रीय रजिस्टर का एक विशेष खण्ड रखना और उनके नामों की सूचना सभी मंत्रालयों भारत सरकार के विभागों, राज्य सरकारों, संघीय और राज्य

लोक सेवा आयोगों, विश्वविद्यालयों, सरकारी क्षेत्र के उद्योगों और बड़े-बड़े निजी क्षेत्र के संस्थापनों को भेजना।

(3) संघीय लोक सेवा आयोग और अधिकतर राज्य लोक सेवा आयोग इस बात से सहमत हो गए हैं कि जिन भारतीय वैज्ञानिकों और टेक्नोलाजीविदों के ब्योरे राष्ट्रीय रजिस्टर में दिए गए हैं उन्हें आयोगों द्वारा विज्ञापित सभी पदों के लिए "व्यक्तिगत सम्पर्क" उम्मीदवारों के रूप में माना जाए। विदेश में रहने वाले भारतीय वैज्ञानिकों और टेक्नोलोजीविदों को भारत स्थित पदों के लिए इंटरव्यू करने के लिये भी संघ लोक सेवा आयोग ने प्रबन्ध किए हैं।

(4) उन वैज्ञानिकों को यात्रा अनुदान की अदायगी की व्यवस्था, जो भारत की अनुसंधान संस्थाओं में नियुक्ति के लिए चुने जाने पर, उन संस्थाओं में कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए सेवा करने का आश्वासन दें।

(5) सभी अनुमोदित वैज्ञानिक संस्थाओं में अधिसंख्य पदों का निर्माण जिन पर विदेश में अध्ययन और कार्य कर रहे वैज्ञानिकों में से तुरन्त अस्थायी नियुक्ति की जा सके।

पर्यटन विकास परिषद्

1385. **श्री हेमराज :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यटन विकास परिषद्, जिसकी वार्षिक बैठक हाल ही में शिमला में हुई थी, द्वारा क्या क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं; और

(ख) कौन सी सिफारिशें स्वीकार की गई हैं और उन्हें क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :

(क) पर्यटन तथा विकास परिषद् की शिमला में हुई गत बैठक में पारित संकल्पों की प्रतियाँ सभा पटल पर प्रस्तुत हैं। [**सभा पटल पर रखी गई– देखिए संख्या एल० टी०** 1673/67]।

(ख) परिषद् की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

Mizo Rebels arrested in August, 1967

1386. **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a number of Mizo rebels had been apprehended in the Mizo District in August last ;

(b) whether any secrets had come to light by interrogating the apprehended persons ;

(c) if so, the details thereof ; and

(d) the action taken by Government against the apprehended rebels ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :

(a) Yes, Sir.

(b) and (c) No secret information of importance was gathered.

(d) All the apprehended persons except thirteen have been detained.

Caste Discriminations among Students

1387. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether Government have received some complaints to the effect that communal hatred is being developed among the students even in the field of scientific and technical education and that brilliant students find it difficult to proceed with their studies on account of discrimination on the basis of caste ; and

(b) if so, the details thereof and the reaction of Government thereto ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) No such complaint has been received so far.

(b) Does not arise.

दिल्ली सशस्त्र पुलिस बल

1388. **श्री वाल्मीकि चौधरी** : क्या गृहकार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली सशस्त्र पुलिस बल का पुनर्गठन अन्य राज्यों की सशस्त्र बटालियनों की तरह किया जायेगा; और

(ख) यदि हाँ, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) वर्तमान दिल्ली सशस्त्र पुलिस बल का अधिक दक्षता और उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर शीघ्रता से भेजने के लिये उसका बटालियनों के रूप में पुनर्गठन करने सम्बन्धी प्रस्ताव विचाराधीन है। ब्यौरा अभी तैयार किया जा रहा है।

खोन पोई सीमा चौकी पर विद्रोही नागाओं का आक्रमण

1389. **श्री वाल्मीकि चौधरी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र विद्रोही नागाओं ने 3 मई, 1967 को मणिपुर के तामेनलांग सब-डिवीजन में खानपोई सीमा चौकी पर कब्जा कर लिया था; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) ऐसी किसी चौकी पर कब्जा नहीं किया गया है। परन्तु 3 मई, 1967 को लगभग 60 नागा विद्रोहियों ने मनीपुर के तामेंगलांग सब-डीविजन के खोनपुम चिंगयक ग्राम में जो कि निकटतम पुलिस चौकी से 6 मील की दूरी पर है, आक्रमण किया था। विद्रोहियों ने तीन झोपड़ियों को जला दिया और ग्राम की रक्षा करने वाले स्वयंसेवकों से 6 राइफलें ले गए हैं।

सूचना मिलने पर पुलिस वहाँ पर गई परन्तु विद्रोही जा चुके थे और उनसे कोई सम्पर्क नहीं हो सका। एक मामला दर्ज किया गया था परन्तु दोषियों के अनजाने नागा विद्रोही होने के कारण पहिचाना नहीं जा सका। अतः मामले को समाप्त कर दिया गया।

हिन्द महासागर से आर्थिक लाभ उठाना

1390. **श्री दी॰ चं॰ शर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री 28 जून, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 804 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्द महासागर की आर्थिक क्षमताओं के अध्ययन के बारे में अब तक क्या किया है ;

(ख) क्या इन आर्थिक संसाधनों से लाभ उठाने की कोई योजना बनाई गई है, और

(ग) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय भारत समुद्र अभियान के दौरान सामुद्रिकी विविध शाखाओं के अन्तर्गत एकत्र किए गए डेटा पर, भाग लेने वाले अन्यान्य देशों में, जिनमें भारत भी शामिल है, वैज्ञानिकों द्वारा कार्यवाही तथा विश्लेषण किया जा रहा है। डेटा के बृहदाकार होने के कारण विश्लेषण को पूरा करने तथा सार्थक परिणाम निकालने में काफी समय लगेगा।

(ख) जी, अभी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

न उठाया गया माल बम्बई पत्तन न्यास द्वारा बेचा जाना

1391. **श्री मधु लिमये** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को बम्बई पत्तन अधिकारियों की ओर से बम्बई पत्तन न्यास अधिनियम में संशोधन किए जाने के बारे में कोई प्रस्ताव मिला है, जिसमें यह माँग की गई है कि उन्हें गोदियों से न उठाये गए माल को दो बार की असफल नीलामियों के बाद व्यक्तिगत तौर पर करार करके अथवा बातचीत करके बेचने का अधिकार दिया जाये;

(ख) क्या पत्तन न्यास अधिकारियों से ऐसे माल के संबंध में आँकड़े प्रस्तुत किए हैं, जो लोगों द्वारा नीलामी में रुचि न लिये जाने के कारण 1960 से लेकर 1967 तक प्रतिवर्ष दो बार नीलामी करने के बाद पत्तन से न उठाया गया था; और

(ग) इस प्रस्ताव के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा न उठाये गए माल को व्यक्तिगत बातचीत के द्वारा बेचने के लिए पत्तन अधिकारियों द्वारा माँगी गई शक्तियों का दुरुपयोग रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क): जी हाँ।

(ख) जी नहीं। किन्तु 1966 के दौरान हुए नीलामी के आँकड़े भेजे गए है जिनसे ज्ञात होता है कि आयातित माल के बगैर निकासी हुए कई पैकेजों की बिक्री नहीं हुई है यद्यपि उन्हें, दो, तीन, चार या पाँच बार नीलामी के लिए रखा गया था।

(ग) यह मामला अभी विचाराधीन है। बम्बई पोर्ट ट्रस्ट द्वारा शक्ति पत्तन में माल के जमाव को दूर करने में सुविधा देने के उद्देश्य से माँगी जा रही है और प्रस्ताव को स्वीकार करने से पूर्व सरकार उसके सब पहलुओं पर पूरी तरह विचार करेगी।

पार्क होटल कलकत्ता

1392. **श्री मधु लिमये** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ते में मेसर्स अमीन चन्द प्यारे लाल ग्रुप के पार्क होटल को लाइसेंस देने से इंकार कर दिया था;

(ख) क्या इस ग्रुप द्वारा वैध परमिट के बिना इस होटल के निर्माण किए जाने और इस काम के लिये अपेक्षित सारा इस्पात और सीमेन्ट प्राप्त किए जाने के सम्बन्ध में किसी केन्द्रीय अभिकरण द्वारा जाँच कराई गई थी;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने इस बीच पार्क होटल को लाइसेंस दे दिया है; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने भी उपरोक्त ग्रुप को पार्क होटल के निर्माण के लिये गैर-कानूनी तौर पर इस्पात और सीमेन्ट प्राप्त करने के दोष से मुक्त करने का निर्णय किया है?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :

(क) यातायात को भीड़ से बचने के लिए प्रवेश और निर्गमन की अलग-अलग व्यवस्था हो जाने तक मेसर्स अरुणा एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड के पार्क होटल को अपनी बिल्डिंग का होटल के रूप में उपयोग करने के लिये पुलिस लाइसेंस पहले इंकार किया गया था।

(ख) जी नहीं। राज्य सरकार ने मैसर्स अरुणा एस्टेट्स लिमिटेड को पार्क होटल के निर्माण के लिए 860 टन सीमेन्ट के परमिट जारी किए हैं। प्रोजेक्ट के लिए जिस प्रकार के इस्पात की जरूरत थी उसपर किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं था तथा उसके अभिग्रहण के लिये किसी 'कोटे' की आवश्यकता नहीं थी।

(ग) पार्क होटल को अपनी बिल्डिंग का होटल के रूप में उपयोग करने के लिये लाइसेंस दिया जा चुका है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारत सुरक्षा नियम

1393. **श्री म० सुदर्शनम** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार की पूर्व सहमति के बिना भारत सुरक्षा नियम के नियम 125 के अधीन आदेश जारी कर सकती हैं; और

(ख) ऐसे राज्य कौन-कौन से हैं जिन्होंने उक्त नियम के अधीन अधिकारों का प्रयोग किया है?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :

(क) आसाम (नेफा समेत) नागालैण्ड, जम्मू और काश्मीर, त्रिपुरा और मनीपुर राज्यों को छोड़कर अन्य राज्य भारत सुरक्षा नियम, 1962 के नियम 125 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के बिना आदेश जारी नहीं कर सकते। अक्तूबर, 1967 से सांविधिक प्रतिबन्ध लगा दिये गये थे।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश और आसाम सरकारों ने 1-1-1967 से 30-9-67 के दौरान इस नियम के अन्तर्गत कार्यवाही की है। जम्मू और काश्मीर, नागालैण्ड, पंजाब और दिल्ली प्रशासन से सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है।

Hindustan Shipyard

1394. **Dr. Ranen Sen** : Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) whether a Committee to go into all aspects of the Hindustan Shipyard has been constituted recently ;

(b) whether the Nanda Committee set up some years back have finished its investigation ; and

(c) if so, the result of the investigation ?

The Minister of Transport and Shipping (Dr. V. K. R. V. Rao):

(a) Yes, Sir.

(b) and (c) As the Chairman, Rear Admiral Nanda was posted on operational duties, the Committee was reconstituted recently under the Chairmanship of Shri M. P. Pai. This Committee is expected to finalise its report by the end of this year.

Tour by Union Ministers

1395. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the names of places in India visited by each Union Minister since March 1967; and

(b) the amount of expenditure incurred on the visits of each of them, separately ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy):

(a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

अकादमियों में कार्य-कुशलता

1396. **श्री रवि राव :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय ने साहित्य. नाटक और ललित कला अकादमियों के स्तर और कार्य-कुशलता को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की है,

(ख) क्या इन संस्थाओं का लोकतंत्रीयिकरण करने का प्रस्ताव है, और

(ग) यदि हाँ, तो उसका व्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क) साहित्य, संगीत नाटक तथा ललित कला अकदामियाँ स्वायत्त संस्थाएँ हैं और अपनी अपनी सामान्य परिषदों द्वारा शासित हैं। फिर भी भारत सरकार ने अकादमियों के कार्य के अवलोकनार्थ स्वर्गीय डा० एच० जे० भाभा की अध्यक्षता में 1964 में पुनरीक्षण समिति नियुक्त की थी। इस समिति ने अक्तूबर, 1964 में रिपोर्ट पेश की थी। इसकी सिफारिशें अकादमियों की सामान्य परिषदों को भेज दी गई थीं और सरकार द्वारा जाँची गई थीं। सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी ऐसी सिफारिशें कार्यान्वित की जा चुकी हैं।

(ख) और (ग) अकादमियों का संविधान सभी क्षेत्रों, संस्थाओं तथा राज्यों की रुचि के प्रजातांत्रिक प्रतिनिधित्व की गुंजाइश रखता है।

आसाम सचिवालय में विस्फोट

1397. **श्री रवि राय :** **श्री ओंकारलाल बेरवा :**
श्री काशी नाथ पांडे : **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री वि० ना० शास्त्री : **श्री प्र० के० देव :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत अक्तूबर में कुछ शरारती लोगों ने शिलांग में आसाम सचिवालय की इमारत को बम फेंक कर नष्ट करने की चेष्टा की थी;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उन्हें इस बात का पता है कि आसाम के मुख्य मंत्री की यह राय है कि इस सारे मामले के पीछे कुछ विदेशी तत्वों का हाथ था; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क), (ख) और (ग) आसाम सचिवालय के निकट हुए विस्फोट की जाँच की जा रही है किसी निष्कर्ष पर पहुँचना संभव नहीं है और न ही अब तक एकत्र किए गए साक्ष्य को बताना जाँच के हित में वांछनीय है।

बुल्गारिया से जहाजों की खरीद

1398. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने बुल्गारिया सरकार से कुछ जहाज खरीदने के लिये उसके साथ कोई करार किया है;

(ख) यदि हाँ, तो करार की शर्तें क्या है तथा कितने जहाज खरीदने और कब तक खरीदने की योजना है; और

(ग) भारत वाणिज्यिक तथा सैनिक उपयोग के लिये जहाजों की आवश्यकता के बारे में कब तक आत्मनिर्भर हो जायेगा?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) :

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यद्यपि विशाखापत्तनम में मौजूदा शिपयार्ड के उत्पादन में सुधार करने के लिए और कोचीन में नए शिपयार्ड की स्थापना के लिये कार्यवाही की जा रही है, यह नहीं सूचित किया जा सकता कि कब नौवहन में स्वावलम्बन हो जायेगा क्योंकि वह देश में पोत निर्माण क्षमता विस्तृत करने के लिए आगे की गई कार्यवाही पर और नौ उपस्करों के देशी निर्माण में हम कितनी प्रगति करते हैं, इसपर निर्भर करता है।

अमरीकी 'हिप्पी' पर्यटक

1399. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत में हिप्पी (अथवा होबोट) कहे जाने वाले यूरोपी अथवा अमरीकी पर्यटकों की संख्या कितनी है;

(ख) वे भारत में कौन सा वीजा लेकर आये हैं और उनसे भारत को वर्ष में कितनी विदेशी मुद्रा की आय होती है;

(ग) क्या इन हिप्पियों के भारतीय "चरस" का तस्कर व्यापार करके अथवा अमरीकी केन्द्रीय जाँच अभिकरण के गुप्तचर के रूप में कार्य करने के कोई मामले हुए हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :

(क) सरकार के पास भारत में इस समय तथाकथित "हिप्पियों" की संख्या के बारे में कोई सूचना नहीं है।

(ख) उपर्युक्त (क) को दृष्टि में रखते हुए उनके कारण होने वाली विदेशी मुद्रा की आय का अनुमान लगाना संभव नहीं है।

(ग) और (घ) : ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है जिससे दवाइयों की तस्करी का इन तथा-कथित "हिप्पियों" के साथ संबंध जोड़ा जा सके।

अजन्ता की चित्रकारी को क्षति

1400. **श्री मणीभाई जे० पटेल** : क्या शिक्षा मंत्री 24 मई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 213 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अजन्ता की चित्रकारी को हुई क्षति के बारे में जाँच पूरी हो गई है और उत्तरदायित्व निश्चित कर दिया गया है, ;

(ख) यदि हाँ, तो निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्रालय म राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) :

(क) से (ग) मामले की अभी भी जाँच की जा रही है। ज्यों ही जाँच पूरी हो जाएगी, दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

कृषि प्रधान शिक्षा

1401. **श्री मणीभाई जे० पटेल** : क्या शिक्षा मंत्री 24 मई, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या संख्या 58 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि प्रधान शिक्षा के सम्बन्ध में शिक्षा आयोग की सिफारिशों पर विचार कर लिया है, और

(ख) यदि हाँ, तो वे कौन-कौन सी सिफारिशें हैं जिन्हें स्वीकार कर लिया गया है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) मामला अभी सरकार के विचाराधीन है।

Backward Classes

1402. **Shri Ram Sewak Yadav** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the number (i) of Harijans, Adviasis and persons belonging to other Backward Classes and (ii) caste Hindus who took examinations for Class I and Class II Gazetted posts under the Central Government in 1964-65 and 1965-66, separately ;

(b) the number of such persons, category-wise, who passed the said examinations ; and

(c) the number of persons, category-wise called for interview ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan): (a) to (c) Neither the Government nor the Union Public Service Commission compile figures separately of Harijans, Adivasis and persons belonging to backward classes and caste Hindus, who take the examination

tions conducted by the Commission. However, figures regarding the number of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, and others who compete at the examinations conducted by the Commission are compiled.

A statement indicating the total number of candidates who appeared at the various examinations conducted by the Union Public Service Commission during 1964-65 and 1965-66, the number amongst them who belonged to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes ; the number of candidates who were interviewed by the Commission, the number out of these who belonged to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes ; the number of candidates who were recommended for appointment by the Commission having been declared successful on the basis of the examinations and the number out of these belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes is placed on the Table of the House. [**Placed in Library See No. LT-1674/67**].

इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन

1403. **श्री जार्ज फरनेन्डीज**: क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में वर्ष-वार कितने यात्रियों ने 'वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण व्यक्तियों' के वर्ग में इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमानों में यात्रा की है ;

(ख) गत बारह महीनों में 'वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण व्यक्तियों' के वर्ग में यात्रा करने वाले व्यक्तियों के नाम क्या हैं, इन व्यक्तियों ने कितनी बार यात्रा की और किस स्थान से किस स्थान तक यात्रा की;

(ग) किसी व्यक्ति को 'वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण व्यक्ति' घोषित करने संबंधी नियम क्या हैं; और

(घ) यदि वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण व्यक्तियों को अपना किराया देना पड़ता तो इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को गत तीन वर्षों में कुल कितनी धनराशि वसूल होती ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :

(क) से (घ) : आई० ए० सी० द्वारा स्वीकार किया गया "वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण व्यक्ति" जैसा कोई वर्ग नहीं है। तथापि बिक्री को वृद्धि, प्रचार, जन-संपर्क आदि प्रयोजनों के लिए व्यक्तियों/संस्थाओं को निःशुल्क/रियायती यात्राएं प्रदान की जाती हैं। पिछले तीन वर्षों में इस प्रकार प्रदान की गयी यात्रा तथा धन की दृष्टि से उनके मूल्य का विवरण नीचे दिया गया है :—

वर्ष	प्रदान की गयी निःशुल्क/रियायती यात्राओं की संख्या	धन की दृष्टि से मूल्य
1964-65	78	35,755.00 रुपये
1965-66	46	27,299.00 रुपये
1966-67	95	46,986.00 रुपये

चौथी योजना में नौवहन का लक्ष्य

1404. **श्री सम्बन्धन** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में नौवहन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ख) कार्यक्रम के अनुसार यह लक्ष्य प्राप्त करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) :

(क) और (ख) : चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है और योजना वर्ष प्रतिवर्ष के आधार पर की जा रही है। साधन उपलब्ध होने पर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की प्रारूप रूपरेखा में दिये गये ध्येयों तक पहुँचने के प्रयास किये जायेंगे अर्थात् 31-3-1971 तक 30 लाख जी० आर० टी० आपरेटिव और 5 लाख जी० आर० टी० आन आर्डर। इस ध्येय तक पहुँचने के लिये की गई कार्यवाहियों में अन्य वार्ता के अलावा ये शामिल हैं नौवहन विकास विधि से सूद की रियायती दर पर ऋण दिया जाना, अस्थगित अदायगी की शर्तों पर पोत प्राप्ति के लिए देशों से क्रेडिट सुविधाएँ प्राप्त करना, और हिन्दुस्तान शिपयार्ड की भवन क्षमता में सुधार करना। कोचीन में दूसरे शिपयार्ड के लिये स्कीम कार्यान्वित करने में अगले योजना काल के लिए लक्ष्य प्राप्ति में सहायता मिलेगी।

तूतीकोरिन पत्तन

1405. **श्री सम्बन्धन** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तूतीकोरिन पत्तन के विस्तार की व्यावहारिकता की जाँच करने के लिये हाल में जो समिति नियुक्त की गई थी उसने अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस समिति की उपपत्तियों की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वि० के० आर० वि० राव):

(क) और (ख) : संयुक्त दल (जिसमें एक प्रतिनिधि भारत सरकार का और एक मद्रास सरकार का था) : ने इस पत्तन की यातायात क्षमता का अध्ययन किया था। उसने हाल ही में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 1971-72 तक यहाँ पर लगभग 2.2 मीलियन टन वार्षिक यातायात होने का अनुमान है। यह रिपोर्ट अभी सरकार के परिक्षणाधीन है।

असैनिक उड्डयन विभाग

1406. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असैनिक उड्डयन विभाग का वार्षिक व्यय कितना है;

(ख) क्या विमान यात्रा के किराये और माल भाड़े की दरें निर्धारित करते समय इन खर्चों को ध्यान में रखा जाता है, जैसा कि रेलवे में रेलगाड़ी के किराये निर्धारित करते समय किया जाता है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह):

(क) : नागर विमानन विभाग द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान किया गया व्यय निम्न प्रकार है :—

1964-65	9,86,77,711 रुपये
1965-66	10,94,94,139 रुपये
1966-67	11,89,73,736 रुपये (अनन्तिम)

(ख) : जी, नहीं।

(ग) : रेलवे बोर्ड के विपरीत जो कि रेलवे का ही एक भाग है, नागर विमानन विभाग 'एयरलाइन्स' का भाग नहीं है। एयरलाइनें दो अलग-अलग संविधिक निकाय (स्टैटयूटरी बॉडीज़) हैं। एयरलाइनें नागर विमानन विभाग द्वारा की गयी सेवाओं के बदले उन्हें भुगतान करती हैं और इसी तरह नागर विमानन विभाग एयरलाइनों द्वारा दी गयी सेवाओं के बदले उन्हें भुगतान करता है।

भारतीय नौवहन टन भार

1407. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **परिवहन तथा नौवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967 में कुल कितने माल का आयात किया गया तथा निर्यात किया गया;

(ख) उनमें से कितना माल भारतीय जहाजों द्वारा ढोया गया; और

(ग) भारतीय नौवहन टन भार में वृद्धि करने के लिये यदि कोई उपाय करने का विचार है तो क्या?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वि० के० आर० वि० राव) :

(क) चूंकि अभी 1967 का वर्ष समाप्त नहीं हुआ है अतः पूछी गयी सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) भारतीय नौवहन टनभार बढ़ाये जाने के लिये की गयी या की जाने वाली कार्यवाही में अन्य बातों के अतिरिक्त नौवहन विकास निधि से सूद की रियायती दर पर ऋण दिया जाना आस्थगित अदायगी की शर्तों पर पोतों की प्राप्ति के लिए विदेशों से क्रेडिट सुविधायें प्राप्त करना और हिन्दुस्तान शिपयार्ड की भवन क्षमता में सुधार शामिल है। कोचीन में दूसरे शिपयार्ड के लिये स्कीम को कार्यान्वित करने से अगली योजना अवधि के लिये ध्येय पूर्ति में सहायता मिलेगी।

राष्ट्रीय राजपथ संख्या-12

1408. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजपथ संख्या 12 के निर्माण के लिये मध्य प्रदेश राज्य को कितनी राशि दी गयी है;

(ख) नरसिंहपुर जिले में इस सड़क की खुदाई और भराई के लिए मूल तथा पुनरीक्षित प्राक्कलन का ब्यौरा क्या है और इस काम पर अब तक कितनी राशि खर्च की गयी है; और

(ग) क्या खर्च अनुमान से ज्यादा हुआ है और यदि हाँ तो उसके क्या कारण हैं?

पविहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) :

(क) 41.92 लाख रुपये।

(ख) इस राष्ट्रीय मुख्य मार्ग के नरसिंहपुर जिले में कामों के मूल स्वीकृत प्राक्कलन में मिट्टी के काम के लिये 9,92,602 लाख रुपए की व्यवस्था थी मगर सूचना मिली है कि इसका पुनरीक्षण किया जा रहा है। अभी तक 12,50,000 रुपए खर्च किए जा चुके हैं।

(ग) जी हाँ। सूचना मिली है कि श्रम और सामग्री की दरों में वृद्धि के कारण बढ़ोत्तरी हुई है।

राष्ट्रीय राजपथ संख्या 26

1409. **श्री नीतिराज चौधरी :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नरसिंहपुर सोगोड़ सेक्शन में बरमन गाँव की ओर नर्बदा के उत्तर में राष्ट्रीय राजपथ संख्या 26 पर पत्थर बिछाने (पिचिंग) की व्यवस्था की जा रही है;

(ख) यदि हाँ, तो उपरोक्त कार्य पर कितना धन खर्च आने का अनुमान है;

(ग) क्या यह सच है कि काँक्रीट पीली मिट्टी के ऊपर बिछाई जा रही जब कि प्राक्कलनों के अनुसार उसे चूने के पलस्तर पर बिछाया जाना था तथा इस्तेमाल की गई काँक्रीट विशिष्ट विवरण के अनुसार नहीं है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भक्त दर्शन) :

(क) जी हाँ।

(ख) लगभग 1 लाख रुपए।

(ग) प्राक्कलन में सामान्य मिट्टी पर बोल्डर सीलिंग के लिये व्यवस्था है और उसी के अनुसार काम हो रहा है। व्यवहृत किए जाने वाले बोल्डर विशिष्टियों के अनुसार हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

चौरागाड किले की देख-भाल

1410. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि नरसिंहपुर जिले (मध्य प्रदेश) का चौरागाड (चौगान) किला जो गर्ग मण्डल के गोंड राजाओं का मुख्यालय था और वहाँ का मन्दिर सुरक्षित स्मारक हैं, और

(ख) यदि हाँ, तो उपरोक्त स्मारकों की देखभाल पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है और उनकी स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) :

(क) किले में केवल मन्दिर ही संरक्षित स्मारक है।

(ख) धन की कमी के कारण और जो कुछ भी सीमित धन उपलब्ध था उसे महान पुरातत्वीय ऐतिहासिक एवं वास्तुकला महत्व के स्मारकों पर जिनकी मरम्मत की तुरन्त आवश्यकता थी खर्च किया गया इसलिए इन स्मारकों पर कोई खर्च नहीं किया गया है।

पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच अवशिष्ट विवादों का निपटारा

1411. **श्री सरजू पाण्डेय :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गृह-कार्य मंत्रालय ने पंजाब, हरियाना और हिमाचल प्रदेश को अपने सभी अवशिष्ट मामलों को हल करने के लिये तीन राज्यों के मुख्य मंत्रियों के सामने कोई फार्मूला रखा है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी रूपरेखा क्या है?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :

(क) और (ख) : मैंने 9 सितम्बर, 1967 को पंजाब, हरियाना और हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्रियों से चण्डीगढ़, बाखड़ा परियोजना के झगड़ों और क्षेत्रीय समायोजन के बारे में दावों और प्रतिदावों के बारे में बातचीत की है। निम्नलिखित आधारों पर इन मामलों को हल करने के लिये प्रबन्ध किया गया था परन्तु मुख्य मंत्री इस मामले पर और अधिक विचार करना चाहते हैं और उनको 19 सितम्बर, 1967 के पत्र में सूत्र की सूचना दे दी गई है।

(1) सभी मामलों की अर्थात् चण्डीगढ़ और बाखड़ा परियोजना के झगड़ों और क्षेत्रीय समायोजनों के दावों और प्रतिदावों के बारे में प्रधान मंत्री द्वारा नियुक्त एक स्थानीय व्यक्ति द्वारा एक उद्देशोंत्मक जाँच कराई जाये।

(2) क्षेत्रीय समायोजनों के दावों और प्रतिदावों के लिए प्रशासनिक और भाषायी विशेषज्ञों की सलाहकार को सहायता देने के लिये एक समिति नियुक्त की जायेगी।

(3) प्रधान मंत्री प्राप्त होने पर सलाहकार के सिफारिशों की प्रतियाँ तीनों मुख्य मंत्रियों को भेजेंगे और कोई निर्णय करने से पूर्व उनको अपने विचार बताने का अवसर देंगे। और

(4) प्रधान मंत्री का निर्णय तीनों सरकारों को स्वीकार करना होगा।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् का पुनर्गठन

1412. **श्री मयाबान : श्री दमानी :**

श्री वासुदेवन नायर :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद के पुनर्गठन के सम्बन्ध में मंत्रणा देने के लिये एक समिति नियुक्त की है,

(ख) यदि हाँ, तो इसके सदस्य कौन कौन हैं,

(ग) क्या उन्होंने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है,

(घ) यदि नहीं, तो रिपोर्ट के कब तक प्रस्तुत किए जाने की सम्भावना है, और

(ङ) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् के पुनर्गठन के सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय किया गया है?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन), (क) और (ख) : जी नहीं। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के उपाध्यक्ष (शिक्षा मंत्री) ने निम्नलिखित दो समितियाँ नियुक्त की हैं:--

(1) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों की नए सिरे से जाँच करने के लिये, और

(2) भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखपोषण केन्द्र और प्रशासन तथा सूचना निदेशालय के कार्यों को मिलाने के प्रश्न पर विचार करने के लिए।

इन समितियों के सदस्यों की सूची सभा पटल रखी जाती है[**पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० 1675/67**]।

(ग) जी हाँ।

(घ) सवाल ही नहीं उठता।

(ङ) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का पुनर्संगठन नहीं हो रहा है।

ऊपरी आसाम में उत्तर-लखीमपुर कमालबाड़ी सड़क को राष्ट्रीय राजपथ का रूप दिया जाना

1413. **श्री बि० ना० शास्त्री** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऊपरी आसाम में उत्तर लखीमपुर-कमालबाड़ी सड़क को राष्ट्रीय राजपथ के रूप में घोषित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो निर्माण कार्य कब आरम्भ होगा; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है, तो इसे राजपथ घोषित न किए जाने के क्या कारण हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) :

(क) अभी तक नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कमालबाड़ी और उत्तरी लखीमपुर को जोड़ने वाली एक राज्य सड़क पहले ही मौजूद है और उसके विकास के लिए मुख्यतः राज्य सराकार जिम्मेदार है।

आसाम में स्मारक

1414. **श्री वि०ना० शास्त्री** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आसाम के प्राचीन स्मारकों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि आसाम के मुख्य मंत्री ने पुरातत्व विभागों का ध्यान वहाँ के स्मारकों की उपेक्षित स्थिति की ओर दिलाया है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार को क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) सीमित धन उपलब्ध होने के कारण पुरातत्व विभाग समय-समय पर केवल तात्कालिक मरम्मत कराता है।

(ख) जी हाँ, पुरातत्व सर्वेक्षण को हाल ही में लिखे एक पत्र में मुख्य मंत्री ने असम के स्मारकों की मरम्मतों की सामान्य रूप से तथा विशेष रूप से शिवसागर मन्दिरों के इर्द-गिर्द क्षेत्रों के विकास और अतिक्रमण को दूर करने की आवश्यकता पर बल दिया था।

(ग) सर्वेक्षण ने वर्तमान वर्ष के दौरान असम के केन्द्र द्वारा संरक्षित तीन स्मारकों की मरम्मतों तथा भविष्य में की जाने वाली मरम्मतों के कार्यक्रम के बारे में मुख्य मंत्री को अवगत करा दिया है। स्मारकों की देखभाल में सुधार लाने के बारे में सामान्य रूप से तथा शिवसागर स्मारकों के अतिक्रमण को दूर करने के सम्बन्ध में विशेष रूप से उनकी सहायता भी माँगी गयी है।

मनीपुर में सहायता-प्राप्त कालेजों के अध्यापकों के वेतनमान

1415. **श्री मेघचन्द्र** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मनीपुर के सहायता प्राप्त कालेज के अध्यापकों के वेतनमानों में वृद्धि करने के लिए मनीपुर सरकार का कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) क्या सरकार ने उस प्रस्ताव पर अच्छी प्रकार से विचार किया है और उपरोक्त वर्ग के कालेज के अध्यापकों के वेतनमानों के पुनरीक्षण की स्वीकृति दे दी है; और

(ग) यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क) से (ग) सरकार को मणिपुर सरकार से प्राइवेट कालेजों को सहायक अनुदान के नियमों का प्रारूप प्राप्त हो गया है जिसमें सरकारी और सहायता-प्राप्त कालेजों के अध्यापकों के वेतनमान समान करने की विशेष व्यवस्था है। मामले पर विचार किया जा रहा है।

मनीपुर में भूमि का अलाटमेंट

1416. **श्री मेघचन्द्र** :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मनीपुर सरकार ने हाल में खपरैल तथा संगमरमर निर्माता एक फर्म को पश्चिम इम्फाल के खुदाई बन नामक स्थान में 45 एकड़ भूमि आवंटित की है;

(ख) यदि हाँ, तो इस आवटन तथा उस फर्म पर लगाई गई शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस भूमि का सीमांकन कर लिया गया है तथा क्या इस आवंटन के बारे में कोई विरोध किया गया है;

(घ) क्या मनीपुर सरकार ने इस भूमि का आवंटन करने से पहले स्थानीय लोगों अथवा उनके प्रतिनिधियों से सलाह ली थी; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धित ब्यौरा क्या है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क) जी हाँ।

(ख) आवंटन निम्नलिखित शर्तों के अधीन की गई है:—

(1) फर्म प्रति एकड़ 500 रुपए को दर से प्रिमियम और भू-राजस्व देगी।

(2) यह मनीपुर भू-राजस्व और भूमि-सुधार (भूमि आवंटन) नियम, 1962 के नियम 18 के अन्तर्गत होगा।

(3) फर्म स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण तथा रोजगार देगी।

(ग) भूमि की निशानदही का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। आवंटन का कोई विरोध नहीं किया गया था।

(घ) जी नहीं, क्योंकि यह आवश्यक नहीं था।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

मनीपुर में गांवों में चौकीदार

1417. **श्री मेघचन्द्र**:

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मनीपुर संघ राज्य क्षेत्र के गाँवों में कितने चौकीदार काम करते हैं;

(ख) इन चौकीदारों को कितना मासिक वेतन दिया जाता है;

(ग) क्या उनका वेतन बढ़ने की कोई योजना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल):

(क) 253.

(ख) प्रतिमास प्रत्येक चौकीदार को पन्द्रह रुपए।

(ग) और (घ) मनीपुर के सरकारी वेतनमान उनके बराबर आसाम के कर्मचारियों के वेतनमानों पर आधारित हैं। मनीपुर में चौकीदार का पद एक अंशकालिक पद है। आसाम में ग्रामीण चौकीदारों के वेतन मान अनुसूची में शामिल नहीं है। अतः मनीपुर में चौकीदारों के वेतन को बढ़ाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

राष्ट्रीय राजपथ संख्या—39

1418. **श्री मेघचन्द्र** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मनीपुर के राजपथों अर्थात् राष्ट्रीय राजपथ संख्या 39 तथा राज्य के अन्य राजपथों को पार्श्व भूमि पर बड़े पैमाने पर अवैध कब्जा किया गया है;

(ख) क्या मनीपुर के लोक निर्माण विभाग ने इन अवैध कब्जों के विरुद्ध हाल में बेदखली के आदेश जारी किए हैं; और

(ग) क्या इस भूमि पर अवैध कब्जा करने वाले लोगों को हटा दिया गया है?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) :

(क) जी हाँ। मनीपुर में विभिन्न सड़कों पर के आसपास की भूमि पर कब्जा करने की खबर मिली है।

(ख) जी हाँ।

(ग) मनीपुर सा० नि० वि० द्वारा इस कब्जे को हटाने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

नागरिकों के प्रशिक्षण के लिये विमान

1419. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नागरिकों के प्रशिक्षण के लिए तथा निजी उड़ानों के लिये विमान बनाने का कोई कार्यक्रम बनाया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :

(क) और (ख) : हिन्दुस्तान एअरोनाटिक्स लिमिटेड, बंगलौर द्वारा निर्मित पुष्पक वायुयान इस समय, भारत के उड़ान क्लबों द्वारा सिविलियन ट्रेनिंग और निजी उड़ानो के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। 1967 के अन्त तक इस कम्पनी द्वारा 126 पुष्पकों का निर्माण किया जा चुकेगा। सिविलियन ट्रेनिंग और निजी उड़ानों के लिए किसी अन्य प्रशिक्षण वायुयान का निर्माण कार्य आरम्भ करने की एच० ए० एल० को फिलहाल कोई योजनाएं नहीं हैं।

नागर विमानन विभाग के अनुसंधान तथा विकास निदेशालय ने एक इंजन वाला 'रेवती' नामक एक हलका वायुयान डिजाइन किया है जिसका प्रयोजन 'ट्रेनर' तथा 'निजी वायुयान' दोनों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। इस वायुयान के 'आदि रूप' (प्रोटो-टाइप) के इंडियन इंस्टिट्यूट आफ टेक्नालोजी, कानपुर में उड़ान परीक्षण किए जा रहे हैं। उड़ान परीक्षणों के संतोषजनक रूप से पूरा हो जाने तथा विमान के लिये 'टाइप सर्टिफिकेट' जारी कर दिए जाने के बाद ही इस विमान के बड़ी मात्रा में निर्माण (क्वांटिटी प्रोडक्शन) के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है।

मिजो पहाड़ियों में नागा विद्रोही

1420. **श्री धीरेश्वर कलिता :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गौहाटी के 3 नवम्बर, 1967 के "आसाम ट्रिब्यून" में प्रकाशित यह समाचार सही है कि लगभग 300 नागा विद्रोहियों के एक दल जो मिजो पहाड़ियों के मार्ग से पाकिस्तान जाते हुए देखा गया था;

(ख) क्या सीमा सुरक्षा सेना द्वारा उन्हें रोका जा सकता है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) जी हाँ।

(ख) : हमारी सुरक्षा सेनाओं ने इस दल को रोका था और इनके चार सदस्यों जिनमें एक सेल्फ स्टाइल्ड आफिसर था, गिरफ्तार कर लिया था। दल विसर्जित हो गया था और पता चला है कि इस के सदस्य जहाँ से चले थे, उधर वापिस मुड़ गए हैं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

Retired I.A.S. & I.P.S. Officers Taking up Private Employment

1421. **Shri Ram Singh Agarwal:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the total number of applications received from the retired I.A.S. and I.P.S. officers for taking up private employment during the last four years ; and

(b) the number of cases where permission was granted ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Twenty-five.

(b) Six.

Taking over of Universities

1422. **Shri Ram Singh Ayarwal** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether Government propose to take over one University from each State ;

(b) if so, the nature of this scheme ; and

(c) the names of the States which propose to hand over the Universities to the Central Government ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen). (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

Polytechnic at Saugar

1423. **Shri Ram Singh Agarwal** : Will the Minister of **Education** be pleased to state .

(a) whether the Central Government propose to set up a Polytechnic at Saugar ; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen): (a) No Sir.

(b) Establishment of polytechnics is primarily the responsibility of State Governments. The Fourth Five Year Plan of Madhya Pradesh does not provide for a ploytechnic at Saugar.

Scheduled Castes I.A.S. Officers

1424. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of I.A.S. Officers belonging to the Scheduled Castes in Madhya Pradesh who worked from 1952 to 1966 ;

(b) whether any of the them was given promotion ; and

(c) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :

(a) Nine.

(b) Seven.

(c) Six were promoted from the junior scale to the senior scale and one was promoted from the senior scale to the super time-scale.

मध्य प्रदेश के भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी

1425. **श्री गं० चं०दीक्षित** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार में मध्य प्रदेश के भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के कितने अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर हैं; और

(ख) क्या ये नियुक्तियाँ मध्य प्रदेश के पूरे कोटे के अनुसार की गई हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल):

(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा 31, भारतीय पुलिस सेवा 31

(ख) जी नहीं। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति कोटा से क्रमश: 18 और 2 की संख्या कम है।

Conspiracy Cases

1426. **Sri S. M. Joshi.** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the total number of cases of conspiracy against the security of the country detected during the last five years ;

(b) the number of cases out of them taken to the court ;

(c) the number of persons convicted, year-wise ;

(d) whether the attention of Government has been drawn to the complaint that adequate staff is not being provided for the purpose of observing strict vigilance in this regard ; and

(e) if so, the action taken by Government in the matter ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan):

(a) to (c) A statement is laid on the Table of the House [**Placed in Library See. No. LT-1676/67**].

(d) and (e) Government are vigilant in this matter and all necessary measures to safeguard national security are being taken.

बंबई पत्तन

1427. **श्री बसवन्त** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई पत्तन में माल को जहाजों में भरने तथा उनसे उतारने में बड़ी कठिनाई हो रही है जिसके कारण विलम्ब शुल्क देना पड़ रहा है;

(ख) 1 अप्रैल, 1967 से 31 अक्तूबर, 1967 तक की अवधि में कितना विलम्ब शुल्क दिया गया; और

(ग) क्या बम्बई पत्तन पर कार्यभार को कम करने के हेतु शोलान्हांवे पर एक छोटा पत्तन बनाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) :

(क) बम्बई पत्तन में लादने और उतारने में कोई कठिनाई नहीं है। मगर बर्थ की कमी के कारण पोतों को डाक में बर्थ प्राप्त करने के लिए जलधारा में प्रतीक्षा करनी पड़ती है। चार्टर की शर्तों के अनुसार अनुमति अवधि के आगे रोकने के लिये चार्टर कर्ता द्वारा चार्टर किए हुए पोतों पर डेमरेज देना होता है।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर पेश कर दी जायेगी।

(ग) जी हाँ। भविष्य में तकनीकी विकास और होने वाली यातायात को विचार में रखते हुए बम्बई पत्तन के भविष्य विकास के लिए एक मास्टर योजना पोर्ट ट्रस्ट के सलाहकारी इंजीनियरों द्वारा तैयार की जा रही है। आशा की जाती है कि वह 1967 के अन्त तक तैयार हो जायेगी। मास्टर योजना अध्ययन के आंशिक रूप में सलाहकारों द्वारा बम्बई के नावा-शेवा में एक सहायक पत्तन निर्माण करने की शक्यता की भी जाँच की जा रही है।

रीजनल रिसर्च इंस्टीटयूट, जोरहाट

1429. **श्री रा० बरुआ** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रीजनल रिसर्च इंस्टीट्ट, जोरहाट उद्योग को कोई **प्रक्रिया** बताने में सफल हो सका है,

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या इस इंस्टीट्यूट द्वारा अब तक निकाले गए निष्कर्ष वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की वैसी ही संस्थाओं द्वारा निकाले गए निष्कर्षों की तुलना में ठीक नहीं हैं, और

(घ) यदि हाँ, तो इसमें सुधार करने के लिये क्या उपाय किए गए हैं।

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख) : रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी, जोरहाट ने उद्योग की तीन प्रक्रियाएँ बताई हैं जिनके विवरण सभा पटल पर रखे जाते हैं [**पुस्तकालय रखे गये देखिये संख्या एल० टी०** 1677/67]।

(ग) प्रयोगशाला का मुख्य कार्य असम और आसन्न क्षेत्रों के स्रोत साधनों के विकास से संबंधित समस्याओं की जाँच करना है। हर संस्थान के कार्यकलापों का अलग क्षेत्र है और उनका कोई तुलनात्मक मूल्यांकन करना कठिन है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

Visit by Rajasthan Governor to the Border Areas

1430. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Governor of Rajasthan visited the Rajsthan border areas recently ;

(b) whether it is also a fact that after his return from Choran, the Police recovered two plastic bombs buried in the sand there ; and

(c) if so, the name of the country whose markings were found on those bombs and the outcome of the investigation ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):

(a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

उड़ीसा में सड़कों के लिये धन

1431. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही**: क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सड़क परिवहन के विकास के लिये 1967-68 में उड़ीसा को कोई धनराशि नियत की है; और

(ख) यदि हाँ, तो कितनी धनराशि नियत की गई है तथा क्या परिणाम निकले हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख) 1967-68 में राष्ट्रीय राजपथ (मूल) कार्य के लिये उड़ीसा सरकार को देने के लिये 77.20 लाख रुपये की धनराशि रखी गई है। प्राप्त परिणामों के बारे में वर्ष के अन्त में ही पता लगेगा।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

कनाडा में भारतीय उच्च आयुक्त द्वारा दिया गया कथित वक्तव्य

श्री रा० की० अमीन (ढंढ़का) : मैं वैदेशिक-कार्य मंत्री का अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर ध्यान दिलाता हूँ और निवेदन करता हूँ कि वह उस बारे में वक्तव्य दें :

"कनाडा में भारतीय उच्च आयुक्त द्वारा दिया गया यह कथित वक्तव्य कि भारत में उच्च पदों पद आसीन बहुत से वयोवृद्ध व्यक्ति प्रभावहीन हो चुके हैं और इसलिये उन्हें हटा दिया जाना चाहिए।"

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : हमारा ध्यान उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसके बारे में कहा जाता है कि कनाडा में हमारे हाई कमिश्नर ने दिया था।

हमने अपने हाई कमिश्नर से पूछताछ की है जिन्होंने अपने प्रेस अधिकारी के साथ ही सवाल और जवाब नोट किए थे। सच्चाई यह है कि 8 नवम्बर को हाई कमिश्नर पिछले बीस वर्षों में भारत में हुई प्रगति के विषय पर रेजीना, कनाडा के सस्कात चे बान विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी संगठन के सम्मुख भाषण कर रहे थे। भारत की प्रगति की चर्चा करते हुए, उन्हें यह कहने का अवसर मिला कि देश के नौजवानों ने भारत के विकास में क्या-क्या काम किए हैं। जब वह बोल चुके तब उनसे भारत की युवा पीढ़ी के लिए अवसर के विषय पर दो सवाल पूछे गए। प्रश्न कर्ताओं ने श्री आर्थर डोमन द्वारा नई दिल्ली में हाल में प्रेषित एक समाचार की ओर ध्यान दिलाया जो 16 अक्तूबर 1967 के मॉंट्रियल स्टार नामक अखबार में छपा था और जिसमें उन्होंने यह कहा था कि भारत की युवा पीढ़ी के साथ जिम्मेदारी बटाने में कुछ आनाकानी की जाती है।

हाई कमिश्नर ने दोनों सवालों के जवाब में कहा कि नौजवानों को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बहुत-से अवसर उपलब्ध हैं और उनका अनुभव है कि जब कभी नौजवानों को अवसर दिया गया है, उन्होंने अच्छा काम किया है। खास तौर से आधुनिक तकनीकी विज्ञान युवकों में गतिशीलता की अपेक्षा करता है। पिछले आम चुनावों में भारत के मतदाताओं नें भी दिखा दिया था कि वे योग्यतापूर्वक मतदान करने में समर्थ हैं। नौजवानी ने वूढ़े लोगों का स्थान लिया और वे राजनीति में खूब हिस्सा ले रहे हैं। यह एक स्वस्थ परंपरा है जिसको झलक केन्द्र तथा राज्य, दोनों ही सरकारों की रचना में दिखाई देती है।

हाई कमिश्नर ने सवालों के जवाब में यह विचार व्यक्त कर के अपनी बात समाप्त की कि आधुनिक भारत में युवा पीढ़ी को बड़ा काम करना है और उन्हें बड़ी संख्या में आगे बढ़ना चाहिए और जिम्मेदारी निभानी चाहिए।

इसलिए यह स्पष्ट है कि भारत में प्रकाशित समाचार-पत्रों की रिपोर्टें, जिन्हें हमारे हाई कमिश्नर ने देख लिया है, संदर्भ से दूर हैं और झूठी हैं।

श्री रा० की० अमीन : मंत्री महोदय ने स्पष्टतः यह नहीं कहा है कि उन्होंने (जनरल चौधरी ने) ऐसा नहीं कहा। मंत्री जी ने केवल अन्य बातें कही हैं. किन्तु उन्हें साफ-साफ कहना चाहिए कि जो बात समाचारपत्रों में प्रकाशित हुई है, वह झूठी है, श्री चौधरी के वक्तव्य से, जो कि **हिन्दुस्तान टाइम्स** में प्रकाशित हुआ है, मुझे शंका है, क्योंकि उनका सम्बन्ध सेना से रहा है और इस समय केन्द्रीय सरकार बहुत कमजोर है और देश में जनतंत्र की दीवार हिल रही है, ऐसी स्थिति में हो सकता है, सैनिक शासन हो जाये, और उस हालत में यह भी संभव है कि हमारे दौत्य तानाशाह बन जाये, इसलिये मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूँगा कि वह ऐसे वक्तव्य न देने दें और इस बारे में पूरी जाँच भी की जाये। (अन्तर्बाधाएं)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि हिदायतें जारी की जायें कि ऐसा कोई भी वक्तव्य न दिया जाये, क्या मंत्री महोदय हिदायतें जारी करने के लिये तैयार हैं? वे क्या उत्तर चाहते हैं, मैं खुद नहीं समझा। (अन्तर्बाधाएं)।

अध्यक्ष महोदय : श्री गोयल।

Shri Srichand Goel (Chandigarh) : I would like to submit that Genl. Chaudhury commands respect in the hearts of all the people in the country. He has rendered a faithful service to the nation ; the victory of taking over Hyderabad within four days and also solving the Goa problem in three days go to his credit. Looking at the results of the fourth General

elections in which three big guns of the Congress, viz., Shri Kamraj, Shri Atulya Ghosh and Shri Patil fell down in the election battle and the growing unpopularity of the Congress party as a whole, he might have suggested to the Government to provide opportunities to the younger generation to advance and come forward in every sphere of life as they are not given a chance to play their role in national activities. I, would, therefore, like to know whether the Government of India will consider his suggestions.

अविश्वास के प्रस्ताव के बारे में

Re : Motion of No-Confidence

Shri Madhu Limaye (Mongyr) : Sir, the motion regarding no-confidence in the council of Ministers is before you and I request you, Sir, to take it up first.

अध्यक्ष महोदय : मैं उसे ले रहा हूँ, मैंने कल भी कहा था कि अविश्वास का एक प्रस्ताव है। मैं उसे ले नहीं सका क्योंकि वह मुझे 11.30 बजे अथवा 12 बजे मिला था। इसके अलावा, दस और प्रस्ताव आज सुबह मिले हैं। सरकार भी इस पर विचार-विमर्श करने के लिये तैयार है और जल्दी ही। इसलिये सभा यदि इसे स्वीकृत कर लेती है, तो उस पर विचार-विमर्श भी शीघ्र आरम्भ हो जायेगा (अन्तर्बाधाएं)। सामान्यतः हम इसे सभा-पटल पर पत्र रखे जाने के बाद ही लेते हैं। इसका मतलब होगा—केवल दो-तीन मिनट बाद।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : यह अध्यक्ष महोदय का अनुरोध हो सकता है किन्तु जहाँ तक नियम का सम्बन्ध है उसमें साफ कहा गया है कि प्रश्न काल के पश्चात् यदि कोई अविश्वास प्रस्ताव हो तो, उसे लिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं उस परम्परा की बात कर रहा हूँ जिसका हमने अनुसरण किया है। यदि सदस्य महोदय मुझसे नियमानुसार चलने को कहते हैं, तो नियम मेरे सामने हैं, और मैं स्पष्टीकरण के लिये सम्बन्धित नियम पढ़े देता हूँ।

कुछ माननीय सदस्य : हमें नियमों की जानकारी है। पहले सभा-पटल पर पत्र रखे जायें और फिर अविश्वास का प्रस्ताव लिया जाये।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TAALE

10 नवम्बर, 1967 को राज्यपालों के सम्मेलन में गृह मंत्री का भाषण

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : मैं 10 नवम्बर, 1967 को नई दिल्ली में हुए राज्यपाल सम्मेलन में अपने भाषण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०** 1658/67]

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत अधिसूचना

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री स० चु० जमीर) : (1) कर्मचारी

भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ :—

(एक) जी० एस० आर० 1226 जो दिनाँक 12 अगस्त, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा पटसन की गाठें बाँधना (बेलिंग) अथवा दबाना (प्रेसिंग) उद्योग को उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची में शामिल किया गया।

(दो) जी० एस० आर० 1530 जो दिनांक 14 अक्तूबर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा आतिशबाजी तथा समाघात-पिधान (परक्शन कैप) कार्य उद्योग को उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची में जोड़ा गया।

(2) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति:—

(एक) कर्मचारी भविष्य निधि (छठा संशोधन) योजना, 1967 जो दिनांक 26 अगस्त, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1268 में प्रकाशित हुई।

(दो) कर्मचारी भविष्य निधि (सातवाँ संशोधन) योजना, 1967 जो दिनांक 26 अगस्त 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1269 में प्रकाशित हुई।

(तीन) कर्मचारी भविष्य निधि (आठवाँ संशोधन) योजना, 1967 जो दिनांक 28 अक्तूबर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1631 में प्रकाशित हुई।

(चार) कर्मचारी भविष्य निधि (नवाँ संशोधन) योजना, 1967 जो दिनांक 4 नवम्बर 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1645 में प्रकाशित हुई। **(पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० 1659/67)**

व्यापारिक नौवहन अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत अधिसूचना

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव०) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:—

(१) व्यापारिक नौवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अन्तर्गत पालवाले जहाज (चालकवृन्द) नियम, 1967 की ए प्रति जो कदनांक 15 अप्रैल, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 533 में प्रकाशित हुए थे।

(2) बड़े पत्तन न्याम अधिनियम, 1963 की धारा 122 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति:—

(एक) पारादीप पत्तन न्यास (बोर्ड की बैठकों संबंधी प्रक्रिया) नियम, 1967 जो दिनांक 31 अक्तूबर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1669 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) पारादीप पत्तन न्यास (न्यासधारियों को फीस तथा भत्तों का भुगतान) नियम, 1967 जो दिनांक 31 अक्तूबर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1670 में प्रकाशित हुए थे। **(पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० 1660/67)**

राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् का वार्षिक प्रतिवेदन

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : मैं राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली, के 1966-67 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ [**पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० 1661/67**] ।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : मैं भी श्री विद्याचरण शुक्ल की ओर से केन्द्रीय सतर्कता आयोग के 1966-67 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ। [**पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० 1662/67**]

प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थान और अवशेष

अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत अधिसूचना

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शेर सिंह) : मैं प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थान और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 38 की उपधारा (4) के अन्तर्गत प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थान और अवशेष (संशोधन) नियम, 1967 की एक प्रति, जो दिनांक 13 मई, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 663 में प्रकाशित हुए थे। सभा-पटल पर रखता हूँ। [**पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० 1456/67**)

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

Committee on Private Member Bills and Resolution.

चौदहवाँ प्रतिवेदन

श्री खाडिलकर (खेड) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का चौदहवाँ प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूँ।

समिति के लिये निर्वाचन

Election to Committee

लोक लेखा समिति

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट): मैं प्रस्ताव करता हूँ "कि इस सभा के सदस्य, लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 309 के उपनियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उपनियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से, श्री मुहम्मद यूनस सलीम के स्थान पर, जो उपमंत्री नियुक्त हो जाने पर लोक लेखा समिति के सदस्य नहीं रहे हैं, 31 मार्च, 1968 को समाप्त होने वाली शेष अवधि के लिए लोक लेखा समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य चुनें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि इस सभा के सदस्य, लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 309 के उपनियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उप-

नियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से, श्री मुहम्मद यूनस सलीम के स्थान पर, जो उपमंत्री नियुक्त हो जाने पर लोक लेखा समिति के सदस्य नहीं रहे हैं, 31 मार्च, 1968 को समाप्त होने वाली शेष अवधि के लिए लोक लेखा समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य चुनें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was Adopted

मंत्रिमंडल में अविश्वास का प्रस्ताव

MOTION OF NO-CONFIDENCE IN THE COUNCIL OF MINISTERS

अध्यक्ष महोदय: अब हम अविश्वास का प्रस्ताव लेंगे।

यह प्रस्ताव जो मुझे कल मिला, इस प्रकार है:

''कि यह सभा वर्तमान मंत्रिमंडल में अविश्वास प्रकट करती है।'' आज मुझे दस और मिले हैं। क्या आप चाहते हैं कि वे नाम भी पढ़ दूँ?

कुछ माननीय सदस्य: जी हाँ।

अध्यक्ष महोदय: नाम इस प्रकार हैं: सर्वश्री प० राममूर्ति, समर गुह तथा अन्य, हेम बरुआ, स० मो० बनर्जी, श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी, वि० कृ० दास चौधरी, डाँगे तथा अन्य, ज्योतिर्मय बसु, देवेन सेन और मुहम्मद इस्माइल।

श्री मधु लिमये का प्रस्ताव केवल एक पंक्ति का है। मैं सर्वप्रथम उसे लूंगा। क्या मैं उन सदस्यों से, जो मंत्रि परिषद् में अविश्वास-प्रस्ताव पेश करने के लिये श्री मधु लिमये को अनुमति दिये जाने के पक्ष में हैं, अपने-अपने स्थान पर खड़े होने के लिये कह सकता हूँ? मैं देखता हूँ कि प्रस्ताव के पक्ष में 50 से अधिक सदस्य हैं। इसलिये प्रस्ताव पेश करने की अनुमति दी जाती है।

क्या सरकार बता सकती है कि इसे कब लिया जा सकता है?

संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): आज दो बजे।

अध्यक्ष महोदय: अच्छा ठीक, है, हम इसे छः बजे तक निपटा दगे।

कुछ माननीय सदस्य: नहीं, नहीं।

Shri Madhu Limaye (Monghyr): It requires a discussion at least for days (अन्तर्बाधाएं)

अध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति। इतने सदस्य एक साथ नहीं। मैं उनमें से सबको मौका दूंगा। श्री अटल बिहारी वाजपेयी।

Shri A. B. Vajpayee (Balrampur): Sir, this motion is a one-line motion and no specific reason has been mentioned. So this discussion is not confined to the situation prevailing in a particular State. So, it is a censure motion and we will have an opportunity to discuss the entire aspect of the political morality of the Government. It should be discussed giving time to all the parties and views. I, therefore, suggest that we must have a minimum of at least three days.

श्री रंगा (श्री काकुलम): इस प्रस्ताव का चर्चा-क्षेत्र बहुत व्यापक है। हरयाना तथा बंगाल में व्याप्त स्थिति के अतिरिक्त कई ऐसे प्रश्न हैं जिनके सम्बन्ध में सरकार पर हमारा विश्वास नहीं रहा, उन पर यहाँ विचार-विमर्श करना जरूरी है। यह निश्चित रूप से सरकार की सभी गतिविधियों

के सम्बन्ध में उसके विरुद्ध अविश्वास-प्रस्ताव है। इसलिये इस सम्बन्ध में पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए ताकि अन्य सभी प्रश्नों पर जिसमें देश में व्याप्त भीषण आर्थिक स्थिति भी शामिल है, उचित रूप से विचार किया जा सके।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर पूर्व): यदि राजनैतिक नैतिकता का कोई स्थान होता, तो इस सरकार को एक मिनट में हटाया जा सकता था। इस सम्बन्ध में चर्चा के लिये कम से कम तीन दिन का समय निर्धारित किया जाना नितान्त आवश्यक है क्योंकि इस सरकार के ऊपर पापों का बोझ इतना बढ़ गया है कि उसका समुचित संसदीय तरीके से निपटारा करना जरूरी है।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : मैं श्री बाजपेयी जी के सुझाव का समर्थन करता हूँ। ऐसी बात नहीं है, जैसा कि संसद-कार्य तथा संचार मंत्री समझते हैं कि इस पर जल्दी से चर्चा करके उसे मतदान के लिये रखा जायेगा। देश में जो हालत बिगड़ रही है उसके विरुद्ध यह प्रस्ताव है। सत्तारूढ़ दल की राजनैतिक नैतिकता के समूचे पहलू पर विचार-विमर्श किया जायेगा जिसमें सभी दलों को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिलना जरूरी है। इसलिये इस प्रयोजन के लिये पर्याप्त समय की व्यवस्था की जानी चाहिये।

श्री प० राममूर्ति (मदुरै) : सरकार की मूल नीतियों यथा आर्थिक, राजनैतिक तथा सामाजिक नीतियों पर, जिनका वह अनुसरण कर रही है, चर्चा करना आवश्यक है और प्रत्येक दल को पर्याप्त समय दिया जाना जरूरी है। इसलिये यह नितान्त आवश्यक है कि इसके लिये कम से कम तीन दिन का समय निश्चित किया जाये।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : यही बात मैं कहने वाला था। नियमों में व्यवस्था है कि अविश्वास प्रस्ताव के सम्बन्ध में समय निश्चित करने के लिये अध्यक्ष सभा के नेता तथा अन्य दलों के नेताओं के साथ परामर्श करने के समय लेता है। किन्तु इस बारे में यहीं पर तथा अभी निश्चय कर लिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : वह तो सरकार का सुझाव था कि इस पर आज शाम तक बहस समाप्त कर दी जाये, अब हमें निर्णय लेना है।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी: इसलिये कम से कम तीन दिन आवश्यक हैं। यदि तीन दिन का समय न दिया गया, तो इस प्रस्ताव के प्रति अन्याय होगा।

डा० कर्णी सिंह (बीकानेर) : मैं भारतीय संसदीय दल की ओर से इस अनुरोध का तहे दिल से समर्थन करता हूँ कि इस महत्वपूर्ण विषय पर विचार-विमर्श करने के लिये तीन दिन का समय दिया जाये।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम (विशाखापतनम) : इस प्रस्ताव के लिये कम से कम तीन दिन का समय मिलना जरूरी है। इसके साथ-साथ मेरा आप से यह अनुरोध भी है, कि आप इस विशेष अवसर पर प्रत्येक सदस्य को, जो कि बोलने का इच्छुक हो, अवसर दें।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : Sir, to our utter surprise, unexpected developments are taking place in the country now and if given a chance to discuss the entire aspect of the situation, I am sure, it would make an impact on the future of the nation. So I would submit that we must have a minimum of three days.

डा० राम सुभग सिंह : हम एक मिनट में सरकार छोड़ने के लिये तैयार हैं, जैसा कि श्री ही० ना० मुकर्जी ने कहा है। लेकिन उस एक मिनट का उपयोग निर्णय लेने में किया जाना चाहिए,

मैं महसूस करता हूँ कि इस पर चर्चा आज ही समाप्त हो जानी चाहिए, यदि आप चाहें, हम इस पर अभी वहस आरम्भ कर सकते हैं और देर तक बैठ भी सकते हैं। समय निश्चित करने के बारे में, मैं पूर्णतः आपके अधीन हूँ।

अध्यक्ष महोदय: मैं इस सुझाव से निश्चित रूप से सहमत हूँ कि इसके लिये कुछ अधिक समय सीमा निश्चित करना जरूरी है। केवल बंगाल का मामला ही नहीं, अपितु अन्य मामले भी उठाये जा सकते हैं। मैं यह सुझाव दूंगा कि हम इस पर आज और कल चर्चा करेंगे और फिर यथास्थिति आगे भी समय बढ़ा सकते हैं। हम इस अविश्वास प्रस्ताव को 2 बजे (मध्यांहोपरान्त) लेंगे।

शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन और शिक्षा सम्बन्धी संसत्सदस्यों की समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—जारी

MOTION RE. REPORT OF EDUCATION COMMISSION AND REPORT OF COMMITTEE OF MEMBERS OF PARLIAMENT ON EDUCATION—Contd.

श्री मुहम्मद इमाम (चित्रदुर्ग): मैंने शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन को भी पढ़ा है और शिक्षा सम्बन्धी संसत्सदस्यों की समिति के प्रतिवेदन को भी पढ़ा है और इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन में तो बहुत अच्छे सुझाव दिये गये हैं जबकि समिति के प्रतिवेदन आयोग में केवल भ्रम ही है। सरकार ने अपने लिये अन्य समस्याओं के साथ एक भाषा की समस्या भी पैदा कर ली है।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

[Mr. Deputy Speaker in the Chair.]

डा० सेन के अनुसार हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनानी है। उनके अनुसार सारे देश में अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी और प्रत्येक राज्य में प्रादेशिक भाषा होनी चाहिए। इससे उनके अनुसार राष्ट्रीय और भावात्मक एकता उत्पन्न होगी। परन्तु मेरा ऐसा विचार है कि इसका बिल्कुल विपरीत परिणाम होगा। यह ठीक है कि हमें एक अच्छी राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनानी चाहिये परन्तु वह ऐसी नीति कौन सी हो सकती है। मेरे विचार से राष्ट्रीय नीति ऐसी होनी चाहिये जिससे देश की एकता बढ़े न कि कम हो। दूसरे, शिक्षा ऐसी होनी चाहिये जिससे देश की वैज्ञानिक और तकनीकी की प्रगति कम न हो। तीसरे, यह नीति ऐसी होनी चाहिये कि उसे सभी लोग स्वीकार करें और उनपर भाषा थोपी नहीं जानी चाहिये। मेरी चौथी बात यह है कि यह बात राज्यों पर छोड़ दी जानी चाहिये कि अपनी परिस्थितियों के अनुसार जिस भाषा को वे चाहें अपना सकते हैं। मेरा पाँचवाँ सुझाव यह है कि प्रत्येक अभिभावक और विद्यार्थी को अपनी भाषा का चयन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिये। मेरे अनुसार राष्ट्रीय भाषा में उपर्युक्त बातें अवश्य होनी चाहिये।

स्वतंत्रता से पहले भाषा की कोई समस्या नहीं थी। भाषा और शिक्षा की जिम्मेदारी राज्यों की थी। उन्होंने न केवल अपनी प्रादेशिक भाषाओं के विकास पर महत्व दिया बल्कि शिक्षा के सभी स्तरों पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। उन्होंने अंग्रेजी को स्वयं अपनाया था, यह उनपर थोपी नहीं गई थी क्योंकि वे लोग समझते थे कि अंग्रेजी को अपनाने से वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र

उनके लिये खुल सकते हैं। हमें यह स्वीकार करना चाहिये कि अंग्रेजी को अपनाने से ही वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में अधिक प्रगति हुई है। हमें यह भी मान लेना चाहिये कि पहली बार अंग्रेजी सारे देश की सम्पर्क भाषा बनी। उससे पहले कोई ऐसी भाषा नहीं थी जो सारे देश में बोली जाती थी। अतः मैं कह रहा था कि यह भाषा की समस्या स्वतंत्रता के बाद ही उत्पन्न हुई है। यह इसलिये उत्पन्न हुई क्योंकि किसी विविशिष्ट समुदाय के लोगों ने यह महसूस करना आरम्भ किया कि अंग्रेजी एक विदेशी भाषा है इसलिये अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी लाने का प्रयास किया गया। भाषा की समस्या तब से उत्पन्न हो गई है। दूसरी ओर एक ऐसा समुदाय है जो यह चाहता है कि अंग्रेजी ही रहनी चाहिये। वे यह कहते है कि अंग्रेजी विदेशी भाषा नहीं है क्योंकि यह हमारे देश में लगभग दो सौ वर्षों से चल रही है। मैं भी यहीं महसूस करता हूँ कि अंग्रेजी राष्ट्रीय भाषा ही है। 1964 में श्री छागला ने अपने विनिर्णय में कहा था कि अंग्रेजी एक भारतीय भाषा है। श्री नेहरू ने भी यही कहा था कि अंग्रेजी एक महत्वपूर्ण भाषा है और हम इसका त्याग नहीं कर सकते हैं। अतः हमें इसका त्याग करके दूसरी प्रादेशिक भाषायें अपनाने से बहुत जोखिम का सामना करना पड़ सकता है।

मान लीजिये प्रत्येक विश्वविद्यावय अपना अपना शिक्षा का माध्यम अपना लेता है उस सूरत में देश में इतनी किस्मों के स्नातक हो जायेंगे जितनी देशमें भाषाई राज्य हैं। दूसरी कठिनाई यह है प्रादेशिक भाषाओं में पाठ्य पुस्तकों की कमी है। उन्हें तैयार करना कोई आसान बात नहीं है। इसके अलावा जब तक पाठ्य पुस्तकें तैयार की जाती है तब तक उनकी कोई उपयोगिता नहीं रहती क्योंकि वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में दिन-प्रति-दिन विकास होता रहता है। हमें यह मान लेना चाहिये कि हम पाश्चात्य सभ्यता पर निर्भर हैं। उसके बिना और उनकी भाषा के बिना हमारा देश उन्नति नहीं कर सकता।

मेरा निवेदन यह कि देश के हित को ध्यान में रहते हुए भावात्मक विचारों की ओर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिये। हमें भाषा के मामले में तेजी से काम नहीं लेना चाहिये। हिन्दी को थोपने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिये। यदि हमें देश के हितको ध्यान में रखना है तो हमें प्रत्येक विश्वविद्यालय में अंग्रेजी को अनिवार्य विषय बनाना पड़ेगा।

डा० मैत्रयी बसु ((दार्जिलिंग) : यह बात मेरी समझ में नहीं आई है कि शिक्षा प्रणाली पर चर्चा करने के बजाये हम हिन्दी और अंग्रेजी के मतभेद के चक्कर में पड़ गये हैं। दूसरी बात यह है कि यदि शिक्षा प्रणाली पर थोड़ी बहुत चर्चा हुई भी है तो हमने विश्वविद्यालय स्तर और उच्च स्तर पर ही चर्चा की है। हम स्कूल में न जाने वाले बच्चों और प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को तो बिल्कुल ही भूल गये हैं। इसी तरह से महिलाओं की शिक्षा और पिछड़ी जातियों की शिक्षा पर भी कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। मेरे विचार से भाषा तो एक साधन है जिसके माध्यम से शिक्षा दी जाती है। इसका कोई इतना महत्व नहीं है कि हम किस भाषा में शिक्षा लेते है। हमें शिक्षा लेने के लिये उस भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिये जिसमें शिक्षा ली जाये।

जहाँ तक प्रादेशिक भाषा का सम्बन्ध है हमें उस सम्बन्ध में बहुत ध्यान देना चाहिये क्योंकि हमारे देश में 15 प्रादेशिक भाषायें हैं। इन भाषाओं के अलावा कुछ राज्यों में ऐसी भाषायें भी हैं जो केवल बोली जाती हैं। उदाहरण के तौर पर मैं बंगाल को लेता हूँ। बंगाल में हिमालय के उप-घाटीय क्षेत्र की भाषा बंगाली की बजाय नेपाली है। उनकी उस कठिनाई को भी ध्यान में रखा जाना चाहिये। यदि विश्वविद्यालय स्तर पर बंगाली को शिक्षा का माध्यम रखा जायेगा तो इन लोगों को कितनी कठिनाई होगी।

आयोग के प्रतिवेदन में दी गई बहुत सी बातों की ओर यहाँ पर ध्यान नहीं दिया गया है। आयोग ने स्कूल जाने से पहले की बच्चे की शिक्षा का उल्लेख किया है। उसने इसके लिये तीन वर्ष की अवधि दी है। परन्तु शिक्षा प्रणाली क्या होगी तथा बच्चों को कैसे पढ़ाया जायेगा उस पर विस्तार से चर्चा नहीं की गई है। उस पर अवश्य चर्चा की जानी चाहिये थी क्योंकि सब से महत्व-पूर्ण चीज तो वही है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप अपना भाषण कल जारी कर सकती हैं।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2 बजे म० प० पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha re-assembled after lunch at Fourteen of the Clock.

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

Mr. Deputy Speaker in the Chair.

———

मंत्रिपरिषद् में अविश्वास प्रस्ताव—जारी

MOTION OF NO-CONFIDENCE IN THE COUNCIL OF MINISTERS—Contd.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I beg to move :

"That this House expresses its want of confidence in the council of Ministers ."

Mr., Deputy Speaker, Sir, although this motion was to come in this House on the 1st. day of the Session but we thought that an opportunity should be given to the Government to refrain from going on the wrong path. That is why discussion was raised here regarding Haryana we expected that this discussion would have a good effect on the Government here and that they would refrain from taking any other undemocratic steps. But the dismissal of the non-Congress Government in West has belied our hopes. The argument that was given for dismissing the Ministry in Haryana was that the legislators were changing their party loyalties. But for the same thing in Bengal the gift of the Government has been made to the defectors. Thus it is quite evident that when defections take place from the congress side Government does not like it but when defections take place from the oppositon side Government like that.

To day we find that the provisions of the Constitution are not being followed. The State Government are denied their rights. The status of States has been reduced to that of the municipalities. Thus we see that if the Congress Government at the centre is not dislodged it would continue to conspire the toppling of the non-Congreess Governments in the States.

Mr. Deputy Speaker, Sir, about nine or ten years back the same kind of dirty politics had prevailed in Pakistan also. The result was that the Army had to take over the administration in its own hands. In India also the use of the army from time to time against the citizens of India has already made our army conscious in that direction. Hence I would like to warn the Congress Government that if they do not stop their efforts to topple non-Congress Ministries the day will soon come when not only the Congress Government but also the non-Congress Governments will have to lose their positions and thus the democracy in our country will come to an end for good.

When Shri Chavân speakes of continuous changes in party affiliations he forgets that the ball was set rolling by his own party. He should not forget what had happened in Rajasthan in 1952. Had there been no changes in party affiliation in Rajasthan in 1952, the Congress Government would not have been there then. Similarly in Madhya Pradesh in 1962 the Congress Government was formed on account of changes in party affiliations. In the same way after the fourth elections this tendency was developed by the Congress party.

Sir, just as our Government has destroyed democracy and the Constitution in the same manner they have destroyed the economy of the country whether it was agriculture or industry. Now, since Shri Ashoka Mehta has gone in the Congress Party and has become the Deputy Chairman of the Planning Commission we find that the position has become from bad to worse. The Fourth Five Year Plan is no where in sight and it appears that we will not have this Plan at all and instead we will be having yearly plans. During the Third Plan, not even half of the targets have been achieved. The reasons that has been advanced for this bad economy is that on account of aggression by the neighbouring countries like China the burden has been imposed on the country. But by looking at the statistics we find that even before Chinese aggression our economic progress had started taking a downward trend. By the Chinese aggressions the things had become bad to worse.

There is an unholy alliance between the Ministers, bureaucrats and capitalists. The steps that are taken for setting into order the economic maladies are taken not for the benefit of the common man but to favour the millowners. Now I would like to prove it by giving examples in that regard. The policy of the Government for decontrolling 40 per cent sugar production will benefit sugar millowners to the tune of Rs. 40 crores. In this way the distributors will also get an opportunity to exploit the consumers. It has been said that a sum of rupees 25 lakhs was passed on to the Government circles for pursuing that policy. Similarly we take the case of cement. In that case also Government had not lifted the quota which it had reserved for itself. The result was that the millowner had sold it at much higher rates.

We find that till 1962 a propaganda was done made that the Congress has enhanced the prestige of the country in the international field. But when China launched an attack in 1962 on our country that myth was blown up. Even about the India-Pakistan confiict of 1965 it was said in foreign countries that when both sides exhausted their ammunition they come to the conference table. This is the prestige that we enjoy in the international field.

The Indian territory which was given to other countries has not been given by Shri Ramamurti or Shri Gopalan. There is hardly any government anywhere in the world which remained in power even after it failed to protect her territory, but here in our country this process is continuously going on.

A few days ago, Shri Morarji Desai gave a statement regarding two China Policy, from which it appeared that they are coming to right path but from the statement of Shrimati Indira Gandhi it appears that good sense cannot come to them.We have no policy regarding recognition to any country. We recognise Israel and East Germaay but we are not prepared to establish diplomatic relations with them. The best policy should be to recognise Formosa as well as China, East Germany as well as West Germany, Israel as well as Arab countries and North Korea as well as South Korea.

The Government should not have expressed any opinion on the question of Vietnam but the Prime Minister gave three different statements on the question of Vietnam in Kalicut, Washington and Moscow. It appears that the Government have no principle in the matter of foreign policy. Any foreign policy, which does not establish coordination between the interests of mankind and interest of the country, cannot be successful. On the question of Tibet the opinion of Russian leaders is undergoing a change but our Govemrment is still not prepared to regard Tibet as autonomous. The Government is not prepared to reconsider her old policy on the question of Tibet.

Any matter of dispute with Pakistan cannot be settled if it is isolated. There should be discussion with Pakistan on all the matters of dispute together so that a single defence policy, foreign policy and transportation and traffic policy could be determined. The Government also discard the policy of opportunism and a decisive and concrete policy regarding the promises and assurances given to Khan Abdul Ghaffar Khan should be formulated.

Bhoodan and **Gramdan** movements of Acharya Vinoba Bhave was launched to solve internal land problem but this Government appears to be so much influenced by his ideas that it has begun to make a unilateral **Gramdan** and **Bhoodan** to China and Pakistan. This Government never resolved to oppose tooth and nail any aggressor on our soil.

Our patriots are rotting in Portuguese jail and the Government has made no attempt to get them released. On the other hand they released unconditionally the Portuguese prisoners in India. The Government has made no efforts to implement our anti-imperialism policies in the matters of Rhodesia, South Africa, Mozambique and Angola.

I do not insist that we must produce nuclear weapons right now but we must safeguard this right for the coming generations. In the matter of foreign policy India has not taken any initiative for the last fifteen or twenty years. The Government have neglected the agricultural field ever since 1947, as a result of which our country, instead of being self-sufficient in foodgrains, has to look to others. In order to give incentive to produce more many non-Congress Governments took a step in the right direction and exempted land revenue but our Finance Minister did not like it. There cannot be any increase in agricultural produce unless arrangements for irrigation are made through the mediums of minor irrigation, tubewells or diesel or electric motors.

The Government has been following a totally wrong policy regarding backward class, Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The question of reorganisation of States has not been settled so far. All these failures on the part of the Government have led us to bring this censure motion against the Government.

Shri Shashi Ranjan (Pipri) : This no-confidence motion was brought mainly due to the change of Government in West Bengal but all the old matters have been repeated since those who brought this no-confidence motion do not have sufficient material on the question of West Bengal. Shri Madhu Limaye has repeated the things which were said during no-confidence motions introduced before. While criticizing the Congress Governments, he has said nothing about non-Congress Governments. The reason is apparent since he is aware that the state of affairs in non-Congress States is worse still.

He has referred to the rise in prices. It is the duty of all of us to see that the prices do not rise further. If the Congress Governments in different States fail in their duty, it does not mean that the non-Congress Governments should do likewise It is rather all the more necessary for them that they should have done something more effective in this regard.

It has also been said that the Ministers have share in business interests or other works carried on illegally. I tried to ascertain about it but I failed to find any instance before but now after the formation of non-Congress ministry in Bengal I have been convinced that the ministers have shares in such businesses.

In West Bengal, the Governor, on being told that a change had taken place regarding party position in the Assembly, asked the Chief Minister to summon the Assembly at an early date and seek the verdict of the Assembly. That is the constitutional method of assessing the party position in the Assembly. At the same time it was also the constitutional duty of the Governor to see that the State has the backing of a majority in the Assembly. The Chief Minister did not accept this position and in those circumstances the Governor was left with no alternative but to dissolve the Ministry and appoint a new Chief Minister. All this was constitutional.

I would like to draw the attention of the House to the situation in Bihar. There is no rule n Bihar and the situation in that State is deteriorating. The non-Congress Government ihas been in office for the last seven months and during this period there have been three big riots in that State. The affected persons have not been rehabilitated, because the State Government itself is not serious about it. They are, instead, inciting the people against the Centre. It is necessary for the House to think as to what should be done about such States which are not running the administra tion in a proper manner.

श्री रंगा (श्री काकुलम) : मैं प्रसन्न हूँ कि मेरे मित्र श्री मधु लिमये ने अपने आरोपों को सरकार द्वारा अपनी कार्यवाही द्वारा उत्पादित संकट तक सीमिति न रखकर बड़े पैमाने पर सरकार के विरुद्ध आरोप लगाये हैं।

[**श्री गु० सिंह ढिल्लों** पीठासीन हुए

[**Shri G. S. Dhillon in the Chair**]

मुझे प्रसन्नता है कि यह अविश्वास प्रस्ताव सामान्य प्रस्ताव के रूप में सभा में प्रस्तुत किया गया है। मैं समझता हूँ कि इस प्रस्ताव से हमें सरकार की गतिविधियों, कार्यक्रमों और विभिन्न नीतियों पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्राप्त हुआ है। खाद्यान्न के मोर्चे में हम बुरी तरह असफल हुए हैं। इसका प्रमाण यह है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 20 वर्ष बाद भी हमें एक करोड़ टन अनाज का आयात करना पड़ता है। इन सब के बावजूद भी हम मूल्यों पर नियंत्रण रखने में असफल रहे हैं। क्या यह सच नहीं है कि सरकार की नीतियों के कारण ही हम जनसंख्या के अनुसार खाद्य उत्पादन में वृद्धि नहीं कर सके। अतः इस बारे में हम सरकार की निन्दा करते हैं।

गत आठ वर्षों से हमारे दल द्वारा विरोध किये जाने के बावजूद सरकार ने खाद्य के क्षेत्रीय नियंत्रण तथा अलाभप्रद मूल्यों या अनिवार्य वसूली को समाप्त नहीं किया और इस प्रकार देश की आर्थिक एकता को समाप्त किया गया है।

प्रधान मंत्री की हाल ही की मास्को यात्रा का हम विरोध करते हैं। रूस के साम्यवादी दल की 50वीं वर्षगाँठ पर प्रधान मंत्री की यात्रा का कोई कारण नहीं था। यदि वह रूस की सरकार तथा उनके दल के साथ अपनी सद्भावना दिखाना चाहते थे तो श्री कामराज वहाँ पर जा सकते थे। इस मामले पर भी हम सरकार की निन्दा करते हैं।

[**श्री एस० एम० जोशी** पीठासीन हुए

[**Shri S. M. Joshi in the Chair**]

जहाँ तक सरकार की पश्चिम एशिया नीति का सम्बन्ध है रूस और अमरीका संयुक्त अरब गणराज्य और अन्य अरब देशों को इजरायल के स्थायित्व तथा युद्ध न करने की बात को स्वीकार करने को कह रहे थे परन्तु हमारी सरकार केवल इसरायल को आक्रमक ठहराने पर ही जोर दे रही थी और इस प्रकार अरबों द्वारा इसरायल के स्थायित्व को स्वीकार करने के मार्ग में बाधा डाल रही थी। जबकि रूस इस मामले पर स्वतन्त्र और उदार नीति का अनुसरण कर रहा था हम उसी की पुरानी नीति को अपना रहे थे। अतः हम इस मामले में भी सरकार की निन्दा करते हैं।

मन्दी का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। देश के प्रत्येक भाग में लाखों मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं। अधिकतम औद्योगिक संयत्र धीमे काम करने के लिए बाध्य हैं। एक ओर तो वित्त मंत्री कहते हैं कि वह घाटे की अर्थ-व्यवस्था नहीं चाहते परन्तु दूसरी ओर उद्योग मंत्री कहते है कि घाटे की

अर्थव्यवस्था अनिवार्य है और ऐसा करना अच्छा भी है। मुद्रास्फीति बढ़ती जा रही है।

कर बढ़ते जा रहे हैं। कम से कम बिहार, आँध्रप्रदेश और उड़ीसा में अकाल, तूफान और सूखाग्रस्त लोगों को करों से छूट दी जानी चाहिए। राज्यों के मुख्य मंत्री यह शिकायत कर रहे हैं कि वित्त मंत्री उनको धन नहीं दे रहे जिस कारण वे अपने आधे भूखे लोगों को तुरन्त सहायता देने में असमर्थ हैं। सरकार ने आज इस दशा में सरकार को ला कर खड़ा कर दिया है।

ऐसा विचार था कि सरकार गत चुनाव से कुछ सबक लेगी और अपनी नीतियों का पुनर्विलोकन करेगी। परन्तु ऐसा नहीं हुआ।

अभी-अभी एक माननीय मित्र ने कहा कि कुछ लोगों द्वारा दल बदल लेने के कारण पंजाब का वर्तमान मंत्रिमंडल भी समाप्त हो रहा है।

जैसा कि मैंने कल कहा मैं चाहता था कि पश्चिम बंगाल सरकार को हटा दिया जाये क्योंकि वह राज्य विधि व्यवस्था को बनाये रखने और मजदूरों और उद्योगों की सुरक्षा करने में असफल रही है। वामपंथी साम्यवादियों ने इसे अपने दल के हितों के लिये प्रयोग करना चाहा था। परन्तु जिस प्रकार केन्द्रीय सरकार द्वारा हरियाना सरकार और सभा को समाप्त किया गया है उसी प्रकार पश्चिमी बंगाल की विधान सभा को भी समाप्त किया जाना चाहिए था। परन्तु यह बड़े खेद की बात है कि ऐसा नहीं किया गया है। क्या हमारे ही एक व्यक्ति को मुख्य मंत्री की उपेक्षा कॉंग्रेस दल के लिये स्वयं मंत्रिमण्डल बना कर विधान सभा का सामना करना उचित नहीं था। परन्तु उनमें उतना नैतिक उत्साह नहीं है। इस लिये मैं चाहता हूँ कि यदि जनता के हित को देखते हुए वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाये तो कोई हानि नहीं है। लोगों को विचार करने के लिये एक अन्य अवसर दिया जाये।

कई वर्षों से मैं यह सुझाव दे रहा हूँ कि ऐसे राज्यों में जहाँ लोकतन्त्र प्रिय लोगों द्वारा मंत्रिमंडल बनाना असम्भव है सभी दलों की सरकार बना दी जाये। इससे एक अच्छी ईमानदार और लाभदायक सरकार बन सकेगी। लोग चाहते भी यही हैं। इस प्रकार की सरकार बिहार में बनी भी है। इस सरकार ने वहाँ पर लाखों लोगों को राहत भी दी है।

यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल की सरकार को हटाकर ठीक कार्य किया है क्योंकि वह एक साम्यवादी सरकार बन कर रह गई थी परन्तु इस बात की क्या गारंटी है कि अन्य राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और मद्रास में यह चाल नहीं चली जायेगी और वहाँ की सरकारों को नहीं हटाया जायेगा।

काँग्रेस से बहुत से लोग निकल गए हैं और उन्होंने क्रान्ति दल नाम का एक अलग दल बनाया है। और भी कई लोग काँग्रेस से निकल कर अन्य दलों में शामिल होना चाहते हैं। परन्तु जब तक ऐसे लोग जनता से पुनः चुन कर नहीं आते हम उनको अपने दल में शामिल नहीं करेंगे।

यह बात रिकार्ड पर है कि इस सरकार और कांग्रेस दलने हमारी राजनैतिक नैतिकता और राजनैतिक स्टैंडर्ड को कम किया तथा हानि पहुँचाई है। अतः हम इस सरकार और इस दल की निन्दा करते हैं।

श्री विक्रम चन्द महाजन (चम्बा): सभापति महोदय, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए वर्तमान प्रस्ताव की कोई आवश्यकता नहीं थी। जिन राज्यों में सरकारों को हटाया गया है वहाँ

पर प्रशासन पूर्णतया भंग हो गया था। इसलिये भी यह प्रस्ताव अनुचित है। जहाँ तक हरियाना का सम्बन्ध है राज्यपाल के प्रतिवेदन से यह बात स्पष्ट है कि वहाँ पर प्रशासन पूर्णतया भंग हो चुका था और जूनियर अधिकारी ऐसे काम कर रहे थे जिनकी सामान्य परिस्थितियों में उनसे आशा नहीं की जा सकती। इसी प्रकार बंगाल में प्रशासन भंग हो चुका था और विधि व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब थी कि एक साधारण नागरिक के लिये अपनी सामान्य गतिविधियों को जारी रखना कठिन हो रहा था।

विरोधी दलों में मेरे मित्रों द्वारा प्रायः यह कहा गया है कि वह बहुमत का प्रशासन चाहते हैं। परन्तु राज्यों में बहुमत की सरकारें स्थापित करने के लिये उनकी अल्प-संख्यक सरकारों को हटाया जाता है तो वही मित्र इसका विरोध करते हैं। मुख्य मंत्रियों को हटाने से पूर्व जब यह कहा जाता है कि वह विधान सभा का सत्र बुलाकर यह सिद्ध करें कि बहुमत उनके साथ है तो वह यह उत्तर देते हैं कि वह अपनी सुविधा के अनुसार ही ऐसा करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने विधान सभा का सत्र बुलाने से इंकार कर दिया था। अतः लोकतंत्र के हित में राज्यपाल को वहाँ की अल्प-संख्यक सरकार को हटाना पड़ा।

स्वतंत्र पार्टी के महान नेता ने कहा है कि कांग्रेस लोगों को दल बदलने के लिए आकर्षित करती है और दल बदलने वालों का समर्थन करती है तो उस समय वह यह भूल जाते हैं कि वह स्वयं जब कांग्रेस से निकल कर संयुक्त मोर्चा बनाने वालों का समर्थन करते हैं तो शायद वह उस समय देश की कोई बड़ी सेवा करते हैं। परन्तु कांग्रेस दल परिवर्तन का समर्थन करती है तो वह पाप हो जाता है। अतः यदि दल बदलना बुरा है तो सभी के लिये और ऐसा करना सभी स्थानों पर बुरा है चाहे वह उत्तर प्रदेश हो, बंगाल हो अथवा बिहार। इसलिए जहाँ तक दल बदलने के लिए श्री रंगा के भाषण का सम्बन्ध है यह बहुत ही अनुचित है।

यह भी कहा गया है कि हमारे देश की नीति साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का समर्थन करती है। मेरा निवेदन है कि हमारी नीति सदा इन दोनों चीजों के विरुद्ध रही है। संयुक्त राष्ट्र में हमारे प्रतिनिधियों ने सदा दक्षिण अफ्रीका और रोडेशिया के दबे हुए लोगों का समर्थन किया है। इस समय भी वहाँ पर एक संकल्प प्रस्तुत किया गया है।

यह भी कहा गया है कि भारत की वैदेशिक नीति सुविधा की नीति है। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि हमारी नीति देश की आर्थिक नीति सुधारने, व्यापार बढ़ाने और अधिक मित्र बनाने की है। अतः इससे अच्छी नीति नहीं अपनाई जा सकती।

जहाँ तक चीनी सम्बन्धी नीति का सम्बन्ध है वर्तमान परिस्थितियों में यही नीति ठीक है। इसका एक कारण यह है कि इस समय देश में चीनी पर नियंत्रण है और इस प्रकार गन्ने पर भी नियंत्रण है। जब किसान यह देखते हैं कि उनको गन्ने की तुलना में अन्य नकदी फसलें उगाने से अधिक दाम मिल सकते हैं तो वह उन्हीं फसलों को उगाते हैं जिसके फलस्वरूप बहुत कम भूमि पर गन्ना उगाया जाता है। इस समय देश के समक्ष चीनी का संकट है। इसीलिये सरकार गन्ना उत्पादकों और चीनी उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये गन्ने के मूल्यों में वृद्धि भी की थी। परन्तु इससे पता चला कि किसान अपने गन्ने का गुड़ बना रहे हैं जिसके मूल्यों पर कोई नियंत्रण नहीं है। अतः चीनी के कारखानों को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार को चीनी से नियंत्रण हटाना पड़ा। परन्तु गरीबों पर इसका प्रभाव न पड़े सरकार ने चीनी की कुछ मात्रा को नियंत्रित दामों पर बेचने का काम जारी रखा है। अतः चीनी पर आंशिक रूप से नियंत्रण हटाया गया है।

इसलिए यह आरोप लगाना गलत है कि कुछ मुनाफाखोरों को लाभ पहुँचाने के लिये चीनी से नियंत्रण हटाया गया है। अतः मैं निवेदन करूँगा कि अविश्वास के इस प्रस्ताव को पूर्णतया रद्द कर दिया जाये।

Shri Jagannath Rao Joshi (Bhopal) : I rise to support the no-confidence motion. It would have been better had some ministers been present in the House. What to talk of other ministers even the Minister of State in the Ministry of Home Affairs is not present in the House at this time. Perhaps they do not want to listen the opposition.

The Government should have learnt some lesson from the 1967 general elections wherein the people have expressed their lack of confidence in the present Government.

So far as defections are concerned they are not always bad. If the defections are for the good we must praise them. Change is the law of nature and it is the only permanent thing in the world. There were group defections and loyalties were changed from one group to another earlier also.

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

[**Mr. Deputy Speaker** *in the Chair*]

Even when there was one party rule, there used to be changes in the Ministries and consequently change in the policies. In Kerala, several Congress Ministries had to go. There used to be group defections in the same party. When Shri D. P. Mishra had left Congress in 1951, he criticised Pandit Jawahar Lal Nehru like anything. He used very objectionable lauguage during the course of this criticism. But he was taken back in the Congress and he became head of Madhya Pradesh State. Similarly Shri Mauli Chandra Sharma, the Ex-President of Jan Sangh was also prevailed upon to quit Jan Sangh party and join Congress party. He was given Congress ticket to fight elections from Gurgaon. In other words the ruling party itself has been encouraging defections. Atleast they should act in more responsible manner. The ruling party has tried to retain power in Rajasthan. In fact they should have allowed the opposition to form Government there. Uptil now the opposition has learnt to critise only. They should have been given chance to work in more responsible manner.

People were having high ambitions and hopes from Congress but they have been disappointed badly. Wherever Communist party has come in power, it has not harmed Congress party only but they have hurt the feelings of general public also. Whether one believes in democracy or not but when it has been decided to work within the frame work of a given constitution and with the idea of a democratic tendency here then it is not proper to do anything against it. There is no agrarian problem in the Naxalbari. It was within the purview of the State Government to enact suitable legislation and to give proper relief to the peasantry so much so that Naxalbari situation gets putting Radio Peking. We cannot tolerate all this. If a responsible leader says that the High Court Judge should be gheraoed, it is the last word of wisdom. If industrial unrest is to be removed, gherao is no remedy. In fact Congress party has encouraged communism. We want that our border areas should remain safe. Right from the deepest seas of the south to the highest peaks of the Himalayas the whole country is one and indivisible. But it is a matter of concern that we have not yet learnt the lesson even after Chinese aggression in 1962. We could face China in a better manner and with greater force but we do not know how to make an intelligent use of our own population. Before finalising any policy, we are anxious to know the reactions of U.S.A. and U. S. S. R. If we finalise a paln we look to others for help. In spite of this position we do not learn to stand on our legs.

It is very painful that Shri Mohan Ranade, who had played a leading part in our freedom struggle, is still undergoing sentence in a Portugese Jail. Ten years have already passed, but no sincere steps have been token to get him released. In spite of Tashkent Declaration, Pakistan is still withholding our cargo. But the trouble is that we do not learn any lesson from these incidences. If we cannot get our colleague released, how can we claim that our foreign policy is successful. At the time of Chinese invasion we had said that we shall not sit peacefully until the last solder is driven out. But this thing has not been materialised. China continues to be in the illegal possession of our territory.

During the last 20 years this Government has been encouraging separatist tendencies in the country. Even after the achievement of independence Goa has been kept as a separate unit. Separate units are being formed just as Naga Land and still there is another demand for a separate Federal Government of Naga Land. The Government have been negotiating with the underground Nagas for the last three years but without any result.

When we believe that whole country is one then it is not proper that in one State rice is cheaper and in other State the same is costly. The main reason is that Government is not aware of the exact quantity of production of foodgrains in different States, In fact food zones should be abolished as they have created artificial scarcity. If the foodgrains produced by the farmer belong to the whole country, then there should be a national food policy and the former should get market price for his produce. The Government can supply foodgrains at subsidised rates to the public.

With these observations I support the no-confidence motion.

Shri Bhola Nath (Alwar) : I oppose the no-confidence motion. One of the reasons of my opposing the motion is that the opposition parties had no common policy or programme. They have been criticising one another. They have become together for the purposes of this motion. I may tell them for their information that in so far as Rajasthan is concerned, the Congress Government has done lot of good to the farmers. It has introduced lot of land reforms and the farmers have been benefited by them. On the contrary the Swatantra Party is working against the interests of the farmers.

The oposition parties have chagred that production has fallen. But either communists or Samyukt Vidhayak Dal Governments are responsible for this fall. The policy followed by West Bengal Government is responsible for fall in production. They had persued the policy of Gherao there and as a result thereof suspicions have been created in the minds of industrialists and no new industries could be established there. Therefore Government of West Bengal are themselves responsible for such a situation.

The disease of defection is spreading and it appears that there is no other party but Congress which can run administration. It has been said that there has been crisis of rice shortage in West Bengal. Rice which used to sell at the rate of Rs. 1.50 per kilo when the Congress party was in power, is now available at Rs. 5.00 or Rs. 6.00 per kilo in that State. Opposition parties are expressing self-contradictory views. The Governments of Samyukt Vidhayak Dal are, therefore, falling. It is the Congress party which could conduct four general elections in an impartial manner after the achievements of independence. As a result of these elections opposition parties have been provided with the opportunities of forming Government. But when they have failed in running the administration they have moved no-confidence motion against the Central Government.

With these words I oppose this no-Confidence motion vehemently.

श्री श्री० अ० डांगे (बम्बई-मध्य दक्षिण) : जब राज्यपाल को पता चला था कि पश्चिम बंगाल विधान सभा के 17 सदस्यों ने दल बदल लिया है और यदि उन्हें इस बात का विश्वास भी था कि संयुक्त मोर्चा सरकार का बहुमत नहीं रहा, तो राज्यपाल को उस मंत्रिमंडल को बरखास्त कर देना चाहिये था और दूसरी सब से बड़ी पार्टी को अर्थात् कांग्रेस को सरकार बनाने के लिये कहना चाहिये था। परन्तु उन्होंने ऐसा न करके एक ऐसे व्यक्ति को सरकार बनाने के लिये कहा जिसका विधान सभा में समर्थन करने वाले केवल 15 सदस्य हैं। यह कैसा लोकतंत्र है?

यदि सरकार ने कानून और व्यवस्था के आधार पर राज्य के मंत्रिमंडल को अपदस्थ किया होता तो वह बात समझ में आ सकती थी। परन्तु इस आधार पर वह ऐसा कर नहीं सकते थे क्योंकि राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल ठीक थी। वास्तव में वहाँ की परिस्थितियों में सुधार हो रहा था क्योंकि मालिकों, जमींदारों तथा अन्य लोगों ने यह महसूस करना आरम्भ कर दिया था कि उनको जनता की कुछ माँगों को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। इसी उद्देश्य से औद्योगिक सम्बन्धों के बारे में एक त्रिपक्षीय बैठक करने पर विचार किया जा रहा था। इतना ही नहीं आगामी फसल की स्थिति को देखते हुए खाद्य स्थिति में भी सुधार होने की आशा थी। परन्तु इसी-लिये केन्द्रीय सरकार डर गई थी कि उचित वसूली आदि के कार्यक्रम द्वारा यदि इस समस्या का समाधान कर लिया गया तो फिर वे कभी भी सत्ता नहीं सम्भाल सकेंगे। इसीलिये उन्होंने अपनी मनमानी करके मंत्रिमंडल को अपदस्थ कर दिया। उन्होंने अपनी इस कार्यवाही को उचित सिद्ध करने के लिये ही हरियाणा मंत्रिमंडल को भी अपदस्थ कर दिया जिससे कोई व्यक्ति यह न कह सके कि उन्होंने एक ऐसी सरकार को अपदस्थ किया है जो कर्मचारी वर्ग, किसानों और मध्यवर्ग की पक्षपाती थी। ऐसी बात नहीं थी। यह सरकार संयुक्त विधायक दल की थी। हाँ यह ठीक है कि इस मंत्रिमंडल में साम्यवादी तत्वों की प्रधानता थी और इसलिए उस सरकार को कर्म-चारी वर्ग, किसानों और मध्यवर्ग की ओर झुकी हुई सरकार कहा जा सकता है। अब वस्तु-स्थिति यह है कि कुछ राज्यों में गैर-कांग्रेसी मंत्रिमंडल बन गए हैं और ये उन्हें अपदस्थ कर रहे हैं।

गैर-कांग्रेसी सरकारों का बनना कांग्रेस के 20 वर्षीय शासन की समाप्ति का ऐतिहासिक तथ्य है। गैर-कांग्रेसी सरकारें क्यों बनीं इसका मुख्य कारण यह है कि लोगों ने सामूहिक रूप से कांग्रेस की आलोचना करनी आरम्भ कर दी और उन्होंने यह अनुभव किया कि गत बीस वर्षों में कांग्रेस ने जो वचन दिये थे, वह उन्हें पूरा करने में बुरी तरह विफल रही है। कांग्रेस राज्य के पतन का श्रेय किसी राजनैतिक दल जैसा कि साम्यवादी दल, समाजवादी दल, जनसंघ अथवा स्वतंत्र पार्टी को नहीं है, अपितु मतदाता की इस भावना को है कि गत बीस वर्ष के अपने राजकाल में कांग्रेस उन नीतियों को क्रियान्वित करने में पूर्णतया असफल रही है जिनका उसने वचन दिया था। इसलिए भारत के मतदाताओं ने अन्य पार्टियों को परीक्षा देने का अवसर दिया है। यही कारण है कि नौ राज्यों में कांग्रेस के विरुद्ध मत दिए गए हैं और उनमें गैर कांग्रेसी सरकारें बनी हैं।

कांग्रेस की जो आलोचना आरम्भ हुई उसका मुख्य कारण यह है कि उसने जनता को अनेक वचन दिए थे। समाजवाद की स्थापना का वचन दिया गया था। समाजवाद की व्याख्या के बारे में हमारे और कांग्रेस के बीच चाहे मतभेद क्यों न हों,—हम उसकी व्याख्या चाहे कार्ल मार्क्स के अनुसार करें और वे उसकी व्याख्या चाहे गाँधी जी अथवा जवाहरलाल जी के अनुसार करें

परन्तु स्वतंत्रता के बाद इस देश में इस बात पर सहमति प्रकट की गई कि हमारी नीतियाँ पश्चिमी साम्राज्यवादियों की भाँति एकाधिकार तथा जमींदारों के हित को बढ़ावा देने वाली नहीं होंगी, अपितु उनका उद्देश्य जनसाधारण की भलाई होगा। यह निश्चित करने के उपरान्त आरम्भ में राष्ट्रीयकरण के कुछ उपाय किए गए। परन्तु उनके कुछ हितों को धक्का लगा। हमने उन उपायों की आलोचना की क्योंकि उनके द्वारा जो धन कमाया गया था, वह किसानों, श्रमिकों तथा मध्यवर्ग के व्यक्तियों को प्राप्त नहीं हुआ। तथापि सरकारी क्षेत्र की अर्थ व्यवस्था स्थापित करने की दशा में कुछ कदम उठाए गए, जमींदारी खत्म करने के बारे में कुछ काम किए गए, किराये और लगान में कुछ कमी की गई, तथा जो वचन दिए गए थे उनकी क्रियान्विति की जाने लगी। जैसा कि स्वाभाविक था पूंजीवाद ने दबाव डाला और एकाधिकार को बढ़ावा मिला। हमने इसकी आलोचना की। काँग्रेस दल ने एकाधिकार आयोग नियुक्त किया तथा डा० हजारी को प्रतिवेदन पेश करने को कहा गया। परन्तु इससे क्या सिद्ध हुआ ? एकाधिकार आयोग की रिपोर्ट से यही सिद्ध हुआ है कि आप की नीतियाँ गलत रही हैं क्योंकि एकाधिकार को बढ़ावा मिला है और इस देश के जीवन के संसाधन कुछ व्यक्तियों के हाथ में चले गए हैं। योजना आयोग के प्रतिवेदन से यह सिद्ध होता है कि भूमि सुधार नहीं किया गया था इसके परिणामस्वरूप हमारे खाद्यान्न के उत्पादन में कमी हुई और सरकार पी० एल० 480 के फन्दे में फँस गई। ज्यों ज्यों अधिक विदेशी गेहूँ मिलता गया हमारा किसान पिसता गया तथा हमारी कृषि की दुर्दशा होती गई। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि समाजवाद की डींग हाँकने के बावजूद एकाधिकार ने इतना जोर पकड़ा कि देश की 50 प्रतिशत पूंजी केवल 75 व्यापार गृहों के हाथ में चली गई। जन साधारण के हाथ कुछ नहीं लगा। उसे लगातार धोका दिया जाता रहा। लगातार धोका दिए जाने के परिणामस्वरूप जनसाधारण क्षुब्ध हो उठा और उसने कांग्रेस के विरुद्ध मत दिया। मैं यह नहीं कहता कि जनसाधारण ने कांग्रेस के पक्ष में मत दिया ही नहीं, क्योंकि केन्द्र में आपको जो बहुमत प्राप्त है, वह केवल जन साधारण के मतों पर है तथा पहले निर्वाचनों में आपकी जो सब राज्यों में सरकारें बनीं थीं, वह जनसाधारण के मतों पर बनीं थी, परन्तु अब की बार उनमें यह व्यापक भावना थी कि काँग्रेस राज को खत्म किया जाये और उस कारण से उन्होंने काँग्रेस के विरुद्ध मत दिया, जिस के परिणामस्वरूप 9 में गैर-काँग्रेमी सरकारें बनीं। विभिन्न राजनीतिक दलों में चाहे कितनी ही आपसी मेतभेद हों, पर वे इस बात पर सहमत थे कि कांग्रेस को हराया जाये। जनसाधारण ने उनका साथ दिया। जनसाधारण ने उनका साथ क्यों दिया ? जनसाधारण ने उनका साथ इसलिये दिया क्योंकि अभी तक एकाधिकार का बोलबाला है, जमींदार का हित सुरक्षित है तथा लगान को खत्म नहीं किया गया है।

एकाधिकार तथा पूँजी का कुछ हाथों में चला जाना भ्रष्टाचार की जड़ है। चाहे जितनी नैतिक शिक्षा दी जाये, भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं किया जा सकता—चाहे यह भ्रष्टाचार सामूहिक हो अथवा व्यक्तिगत, मंत्रीय स्तर पर हो अथवा किसी अन्य स्तर पर। इसलिये एकाधिकार ने निर्णय किया कि गैर-काँग्रेसी सरकारों को समाप्त किया जाये। स्वाभाविक था कि जिनके पास कोई कार्यक्रम नहीं है, जिनकी कोई कल्पना नहीं है तथा जिनकी इस बात में आस्था नहीं है कि देश में समाजवाद की स्थापना की जाये, उन्हें खरीदा जा सकता था। इसलिये लोगों को खरीदा जाने लगा और दल बदली की बाढ़ सी आ गई। मैं दल बदली के विरुद्ध हूँ, क्योंकि ईमानदार व्यक्ति केवल निर्वाचन के पहले ही दल बदली करता है। निर्वाचन के बाद केवल वही दल बदली करता है, जिसे खरीदा जाये। यदि दल बदली के परिणामस्वरूप मुझे बहुमत भी प्राप्त हो, तो भी मैं इसका

समर्थन नहीं करूँगा। मैं दल बदली के विरुद्ध हूँ। मैं दल बदलीका सर्मथन नहीं करता, बल्कि मैं इस बात में आस्था रखता हूँ कि हमारा कोई कार्यक्रम होना चाहिये, जन साधारण का कोई कार्यक्रम होना चाहिये। इसी बात को ध्यान में रखकर हमने संयुक्त विधायक दल बनाये थे। पहले लोगों को इस बात पर हंसी आई थी कि संयुक्त विधायक दलों का कार्यक्रम हो ही नहीं सकता, परन्तु अब यह सिद्ध हो गया है कि संयुक्त विधायक दल जनता की भलाई का काम कर सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि केवल साम्यवादी दल का राज स्थापित किया जाये। इसका कारण यह नहीं है कि साम्यवादी दल के पास कोई कार्यक्रम नहीं है। साम्यवादी दल के पास कार्यक्रम है, परन्तु जनता अभी तक उस बात को नहीं समझ सकी है, कि केवल साम्यवादी दल का कार्यक्रम ही सही कार्यक्रम है। इसलिए हम जनता की आलोचना के सामने झुक गए और संयुक्त विधायक दलों में शामिल हुए।

मेरे इस वक्तव्य को कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का भी घेराव करना पड़ेगा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण समझा गया है। न्यायपालिका कोई अमूर्त वस्तु नहीं है तथा कोई कानून अमूर्त्त नहीं होता। समाज में अमूर्त कानून नाम की कोई वस्तु नहीं है। कानून केवल उस वर्ग की अभिव्यक्ति है, जो शासन करता है तथा यह न्यायाधीशों की ईमानदारी की अभिव्यक्ति नहीं है। मनु स्मृति में लिखा है कि ब्राह्मण की गवाही पर कभी सन्देह नहीं किया जाना चाहिये। ब्राह्मण की गवाही को सर्व सत्य समझा जाना चाहिये। क्षत्री की गवाही को कुछ छानबीन करने के पश्चात् स्वीकार किया जाना चाहिये, वैश्य की गवाही पर हमेशा सन्देह होना चाहिये और शूद्र को गवाही देने का हक ही नहीं होना चाहिये। शूद्र की गवाही तभी ली जा सकती थी, यदि उस की आयु 80 वर्ष से अधिक हो। इसका अर्थ यह हुआ कि शूद्र को गवाही देने का हकदार होने के लिए शासक वर्ग को 80 वर्ष तक शासक वर्ग में अपनी निष्ठा का प्रमाण देना पड़ता था। अब वह समय बदल गया है, परन्तु भावना वही है। आज यदि कोई धनी व्यक्ति गवाही देने जाता है तो न्यायाधीश द्वारा पूछा जाता है कि उसका स्वास्थ्य कैसा है और यदि वह कहता है कि वह अस्वस्थ है तो उसे बैठने के लिये कुर्सी दी जाती है। इसके विपरीत यदि कोई श्रमिक फटे कपड़ों में गवाही देने जाता है तो उससे पूछा जाता है कि वह वहाँ क्यों आया है और उसके यह कहे जाने पर कि वह गवाही देने आया है, सन्तरी उस पर चिल्लाता है कि सीधे खड़े हो जाओ। मैं 40 वर्ष तक देश के श्रमिक का काम करता रहा हूँ तथा मुझे पता है कि न्यायालयों में श्रमिकों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। मैं समझता हूँ यह निष्पक्ष न्याय नहीं है। इसके अतिरिक्त संविधान में अन्तर्निहित सम्पत्ति सम्बन्धी कुछ कारणों से न्यायाधीश बंधे हुए हैं। अतः यदि श्रमिकों के पक्ष को न्याय नहीं मिलता तथा यदि उच्च न्यायालय यह आदेश देता है कि निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत श्रमिकों को गिरफ्तार किया जाये, तो मैं समझता हूँ कि न्यायाधीश भी शासन वर्ग का वैसा ही अंग है, जैसे अन्य व्यक्ति और इसलिए हमें अधिकार है कि उनका घेराव किया जाये।

यद्यपि नक्सलबाड़ी में जो कुछ हुआ मैं उसका समर्थक नहीं हूँ. तथापि मैं बताना चाहता हूँ कि नक्सलबाड़ी में मूल समस्या यह थी कि लोगउस भूमि का कब्जा चाहते थे, जिनसे उन्हें बेदखल कर दिया गया था, परन्तु उनकी माँग की पूर्ति नहीं की गई। यह भी कहा गया कि नक्सल-बाड़ी को पेकिंग रेडियो का समर्थन प्राप्त है। पेकिंग रेडियो उसके पक्ष में प्रचार कर रहा है। परन्तु इससे क्या होता है? पेकिंग रेडियो तो बहुत कुछ कहता है। क्या पेकिंग रेडियो के प्रचार के बावजूद भारत के लोगों ने वर्ष 1962 में देश की रक्षा नहीं की थी? क्या साम्यवादियों ने देश की रक्षा में भाग नहीं लिया था? वास्तविकता यह थी कि नक्सलबाड़ी में गड़बड़ी फैला कर आप उसे

विधि और व्यवस्था की समस्या बनाना चाहते थे तथा वहाँ की सरकार को खत्म करना चाहते थे, परन्तु आप सफल नहीं हुए। हम हमेशा से श्रमिकों के हित में कार्य करते रहे हैं। वहाँ किसानों को उनके हक से वंचित रखा जा रहा था। इसलिए हमने किसानों की सहायता की। बंगाल में श्रमिक की मजूरी बम्बई से कम है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि कलकत्ता में अभी कर्मिक संघ इतने सुसंगठित नहीं हैं। हमने बम्बई और महाराष्ट्र में कर्मिक संघों का संगठन किया है तथा हम वहाँ श्रमिकों को देश के अन्य भागों की अपेक्षा अधिक मजूरी दिलाने में सफल हुए हैं। पंजाब और कलकत्ता में कार्मिक संघ कांग्रेस के हाथ में रहे हैं, इसलिए वहाँ श्रमिकों को कुछ भी प्राप्त नहीं हो सका है। हमने श्रमिकों की जो हड़तालें करवाई हैं, वे सफल रही हैं और श्रमिक अपना हक प्राप्त करने में सफल रहे हैं। हम इस बात को बार-बार कहते रहे हैं कि शलाका के आधार पर कार्मिक संघों को मान्यता दी जानी चाहिये। परन्तु इस बात पर सदा आपत्ति उठाई जाती रही है। जब हम शलाका के आधार पर मंत्री, मुख्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री का चुनाव कर सकते हैं तो कार्मिक संघ का चुनाव क्यों नहीं कर सकते। दस वर्षों के लगातार परिश्रम तथा बहुत से बलिदानों के बाद हम दुर्गापुर और बम्बई में आई० एन० टी० यू० सी० को मान्यता प्राप्त कराने में सफल हुए हैं।

बंगाल सरकार को अब खत्म कर दिया गया है, परन्तु आप अपने उद्देश्य में सफल नहीं होंगे। बंगाल के लोग इस अन्यायपूर्ण कार्यवाही को सहन नहीं करेंगे। आज आप कलकत्ता जा कर देखिए। वहाँ पूर्ण हड़ताल है। सब कुछ बिल्कुल बन्द है। बंगाल के लोग आपके इस अन्याय के विरुद्ध हैं। लोगों की एकता के सामने कोई तानाशाह सरकार नहीं टिक सकती। यदि सरकार यह समझती है कि वह सेना के बल पर स्थिति को काबू में कर सकती है, तो यह उसकी भूल है, क्योंकि उसे यह नहीं भूलना चाहिये कि सैनिक भी किसान की औलाद हैं और वह एक दिन उसके विरुद्ध हो जायेगी और आप समझते हैं कि निर्णय हमेशा सेनापति द्वारा किया जाता है, परन्तु मैं कहता हूँ कि वह भी समय आ सकता है, जब सेनापति की बजाये सैनिक निर्णय देगा। आप इस कथन के लिये मेरे दल को दोषी ठहरा सकते हैं, परन्तु मुझे विश्वास है कि हमारा दल समाप्त नहीं होगा, चाहे आप जितने साम्यवादियों को जेलों में भिजवायें और गोली से उड़वायें। भविष्य में संसार हमारा होगा, न कि आपका और पूँजी का एकाधिकार खत्म हो कर रहेगा।

अवमूल्यन के बारे में विख्यात अर्थशास्त्रियों द्वारा कहा गया था कि उससे हमारी अर्थ व्यवस्था सुदृढ़ होगी। अवमूल्यन से निर्यात और आयात में वृद्धि होगी। परन्तु हुआ क्या? हमारे निर्यात में कमी आई। हमारे आयात में कमी आई और हमारी अर्थ व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई। इसके बाद मजूरी वृद्धि पर रोक लगाने की बात की जाने लगी। कहा गया कि सबकी वेतन वृद्धि पर रोक लगाई जाये तथा सबसे पहले यह रोक सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगी और बाद में धीरे-धीरे सब पर लागू होगी। इस देश में 75 निदेशकों को प्रतिवर्ष तीन लाख रुपया मिलता है, परन्तु वित्त मंत्री ने एक बार भी नहीं कहा कि निदेशकों की फीस कम की जायेगी। अवमूल्यन का प्रस्ताव विश्व बैंक से आया था और वेतन वृद्धि का ब्रिटेन से। इन दोनों ने मिलकर हमारे रुपए को नष्ट कर दिया है। वेतन वृद्धि का सिद्धान्त मुझे मान्य नहीं है। ब्रिटेन ने उसको स्वीकार किया है। आपने देख लिया उसका क्या परिणाम हुआ? ब्रिटेन में इस समय नौ लाख बेरोजगार हैं, यह कोई छोटी बात नहीं है और अन्ततः उन्हें अपने पौंड का अवमूल्यन करना पड़ा। यदि आप वेतन-वृद्धि पर रोक लगाना चाहते हैं, तो लगायें, परन्तु मैं चेतावनी देता हूँ कि इससे देश की अर्थ व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो जायेगी।

सरकारों को खत्म किया जाना अभी जारी है। कुछ राज्य ऐसे हैं जिनकी सरकारों को खत्म करना आपके लिये बहुत कठिन कार्य है। उदाहरण के लिए मैं कहता हूँ कि केरल की सरकार को खत्म करना आपके लिए आसान बात नहीं है। वर्ष 1957 में भी जब हमारा वहाँ बहुमत था, तो आप हममें से केवल दो सदस्यों को भी नहीं खरीद सके थे। पुलिस महानिरीक्षक द्वारा आपने दो सदस्यों को खरीदने के लिए दो लाख रुपए पेश किए थे, ताकि सरकार को खत्म किया जा सके। इस अवसर पर मैं स्वर्गीय जवाहर लाल जी की प्रशंसा करना चाहता हूँ। मेरा उनके साथ कई बातों पर मतभेद अवश्य था, परन्तु उनकी प्रजातंत्र में आस्था थी। उस समय निर्वाचन के पहले श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ने कहा था कि यदि हमें निर्वाचन में अल्प बहुमत प्राप्त होता है तो हमें सरकार बनाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। निर्वाचन में हमें दो सदस्यों का बहुमत प्राप्त हुआ था। श्री जवाहर लाल ने हमें सरकार बनाने की अनुमति दी, क्योंकि उनकी प्रजातंत्र में आस्था विश्वविख्यात थी। हमारी सरकार 28 महीने चली थी, इसके बाद विधि और व्यवस्था की समस्या पैदा कर दी गई तथा तरह-तरह की बातें बना कर लोक मुक्ति अभियान आरम्भ किए गए और हमारी सरकार खत्म कर दी गई। अतः यह उदाहरण दे कर मैं डी० एम० के० पार्टी के अपने मित्रों को सचेत करना चाहता हूँ कि वह यह न समझे कि क्योंकि उनका बहुमत है, इसलिए उनकी सरकार को खत्म नहीं किया जायेगा। मैं उन्हें चेतावनी देता हूँ कि उनकी सरकार को भी खत्म किया जा सकता है। डी० एम० के० के साथ-साथ मैं उड़ीसा और केरल के लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि वे सचेत रहें।

इस सरकार ने विभिन्न समस्याओं के बारे में जिस नीति का पालन किया है, वह यह है कि यह समस्यायें सुलझाने की बजाये समस्यायें पैदा करती हैं। यह एक समस्या पैदा कर देती है और फिर लोगों को लड़ता छोड़ देती है तथा जब वह समस्या हल होती दिखाई देती है, तो दूसरी समस्या खड़ी कर देती है। उदाहरण के लिये पंजाब की समस्या को देखिए। पंजाब की समस्या को हल करने के लिये पंजाब और हरियाणा दो राज्य बनाये गए, परन्तु इन्होंने चण्डीगढ़ को बीच में छोड़ दिया ताकि लोग सदा-सदा के लिए लड़ते रहें। महाराष्ट्र, मैसूर तथा केरल के सीमा विवाद के सम्बन्ध में भी यही नीति अपनाई जा रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस नीति से कोई लाभ नहीं होगा। आप किसी समस्या का हल नहीं कर सके हैं। नागालैंड की समस्या को हल करने में सरकार असफल रही है। अब मिज़ो खासी तथा मिकरी लोग भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं, जिसपर नागा लोग चलते आये हैं। सरकार आदिवासियों की समस्या को हल करने में असफल रही है, क्योंकि उसने उनपर पूंजीवादी प्रणाली तथा अपने विचार थोपने का प्रयत्न किया है। आप समझते हैं कि एक राज्य में एक राज्यपाल अवश्य होना चाहिये, सात मंत्री अवश्य होने चाहिये तथा एक बड़ी घोड़ागाड़ी होनी चाहिये जिसमें अध्यक्ष जा सके। इन सब बातों की उन्हें आवश्यकता नहीं है। पहाड़ी क्षेत्र के लोग हमारे अपने लोग हैं। आदिमजातीय कबीले हमारे अपने हैं। क्या हम इस प्रकार इस समस्या को हल नहीं कर सकते कि उनकी स्वायत्ता भी बनी रहे और उस समस्या का भी समाधान हो सके। एक ओर तो देशभक्ति की बात कही जाती है किन्तु दूसरी ओर सब अपने-अपने स्वार्थों की सिद्धि में लगे हुए हैं। आज देश में अशान्ति का सबसे बड़ा कारण समाज में विद्यमान असमानता है। देश के प्रतिभाशाली कलाकार लोगों को उचित सम्मान नहीं दिया जाता है। अतः जब तक देश में तथा समाज में समानता नहीं लाई जाती तब तक देश में अशान्ति ही रहेगी।

सरकार की बुनियादी नीतियाँ ही गलत हैं। जब तक इन नीतियों में परिवर्तन नहीं किया जाता, तब तक इस समस्या का हल नहीं हो सकता है। इन नीतियों के कारण ही जनता क्रान्ति की श्रोर अग्रसर हो रही है। आज हम प्रजातंत्र का अपमान कर रहे हैं। इसका परिणाम यह होगा कि लोगों में प्रजातंत्र के प्रति कोई आदर नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति में सरकार कानून और व्यवस्था का आश्रय लेगी किन्तु देश में जनता की आवाज को इस प्रकार कानून से दबाया नहीं जा सकता है। देश में शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने के लिये आज आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे प्रजातंत्रात्मक तरीके अपनाये जायें जिससे एक ऐसा वातावरण पैदा किया जा सके जिससे जनता का सरकार में विश्वास हो। जनता को अपने द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों में विश्वास हो इसके लिए निष्पक्ष कानून होना चाहिए जिसके अन्तर्गत यह व्यवस्था हो कि यदि जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों में मतदाताओं का विश्वास न रहे तो इन मतदाताओं को इन प्रतिनिधियों के स्थान पर अन्य प्रतिनिधि चुनने का अधिकार हो। इसका परिणाम यह होगा कि जनता के प्रतिनिधि सच्चाई और ईमानदारी से अपने कर्त्तव्य का पालन कर सकेंगे जिससे प्रजातंत्र सुव्यवस्थित ढंग से चल सकेगा।

यह दुख की बात है कि राज्यों में शक्ति का प्रयोग करके सरकारें बनाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। इस प्रकार के अप्रजातंत्रीय प्रथाएं बन्द की जानी चाहिये। प्रजातांत्रिक ढंग से सरकारें बनाई जानी चाहिये। मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि बंगाल आदि राज्यों में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएँ हो रही हैं और वहाँ पर जो दमन नीति अपनाई जा रही है वह प्रजातंत्र के लिए शोभा की बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि सरकार इस प्रकार जनता को दबा कर उसे उसके अधिकारों से वंचित नहीं कर सकती है। जनता इसका विरोध करती रहेगी।

मैं जनता में व्याप्त असंतोष का एक उदाहरण सामने रखना चाहता हूँ। अभी हाल में रुड़की में दीक्षान्त समारोह के अवसर पर वहाँ इंजीनियरी कालेज के स्नातकों ने प्रधान मंत्री के भाषण का यह कह कर बहिष्कार कर दिया था कि उन्हें नौकरी चाहिए, भाषण नहीं, और वे समारोह से उठकर चले गये थे। आज देश में कारखाने हैं और मशीनें हैं किन्तु इन कारखानों में कार्य नहीं हो रहा है जिससे बेरोजगारी बढ़ रही है। इससे लोगों में असंतोष है। सरकार उन्हें रोजगार देने में असमर्थ है। सरकार इन समस्याओं का हल बल का प्रयोग करके करना चाहती है किन्तु मैं समझता हूँ इससे समस्या हल होने के बजाय और अधिक गंभीर होती जा रही है। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह इस सम्बन्ध में समझदारी से काम ले और प्रजातंत्रीय ढंग से सोच-समझ कर समस्याओं का समाधान करे।

अतः मैं आशा करता हूँ कि सरकार तानाशाही का मार्ग नहीं अपनायेगी और अपने वचनों से विमुख नहीं होगी तथा देश को अवनति की ओर नहीं जाने देगी।

श्री हनुमन्तैया (बंगलौर) : इस प्रस्ताव पर बोलते हुए साम्यवादी दल के सदस्यों ने साम्यवाद का जोरदार शब्दों में समर्थन किया है। वे चाहते हैं कि देश में साम्यवाद की स्थापना हो जाये। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि विरोधी दल के सदस्य अपनी बात पर ही अड़े रहते हैं चाहे उसका परिणाम देश के लिये हितकर हो या अहितकर। माननीय सदस्यों को सदैव ऐसी बातें कहनी चाहिये जो देश के लिए हितकर हों और जिनसे देश उन्नत बने।

पिछले दिन रूस की पचासवीं वर्ष गाँठ के सम्बन्ध में वहाँ पर हुई प्रगति के बारे में भी माननीय सदस्यों ने बड़ी प्रशंसा की थी। ठीक है कि रूस में इन पचास वर्षों में बहुत उन्नति हुई

है किन्तु यह यह उन्नति एकांगी है। कई मामलों में रूस अभी तक पिछड़ा हुआ है। वहाँ भी अभी तक गरीबी है। वहाँ पर खाने की भी कमी है। लोगों रहन सहन का स्तर भी ऊँचा नहीं है। यदि रहन सहन के स्तर से देखा जाये तो यूरोप में डेनमार्क, नार्वे और स्वीडन सबसे उन्नत देश हैं। एशिया में इस दृष्टि से जापान सबसे उन्नत कहा जा सकता है। इस प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत करके मेरा तात्पर्य रूस आदि किसी देश की बुराई करना नहीं है। मैं केवल माननीय सदस्यों के सामने रख रहा हूँ। आज वस्तु-स्थिति यह है कि रूस आदि देशों ने अपने को आर्थिक दृष्टि से उन्नत बनाने की अपेक्षा आधुनिकतम सैनिक साज-सामान बनाने में अपने संसाधनों का उपयोग किया। अमरीका भी आधुनिकतम हथियार बनाने में रूस से पीछे नहीं है।

श्री डाँगे ने साम्यवाद की प्रशंसा करते हुए उसका समर्थन किया है और ब्राह्मणों की निन्दा की है। मैं इस सम्बन्ध में केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि साम्यवादी देशों में जनता की स्थिति अच्छी नहीं है। केवल कुछ सत्तारूढ़ लोगों का सारे देश पर एकाधिपत्य है। जनता को नागरिक अधिकार तक साम्यवादी देशों में प्राप्त नहीं है। श्री डाँगे ने साम्यवाद का प्रचार करके सेना के जवानों को अपने अधिकारियों के विरुद्ध भड़काने का प्रयत्न किया है क्योंकि वह प्रचार द्वारा तो देश में साम्यवाद की स्थापना करने में असमर्थ रहे हैं अब वे इस मार्ग को अपना कर देश में क्रान्ति कराना चाहते हैं। हमें साम्यवादियों की इस प्रकार की गतिविधियों से सावधान रहने की आज आवश्यकता है। आज मैं सभी दलों से अनुरोध करता हूँ कि वे इन साम्यवादियों का सामना करने के लिए एक हो जायें। यह हम सबके लिए चेतावनी है। यदि साम्यवादी अपने उद्देश्य में सफल हो गए तो देश की दुर्दशा हो जायेगी। ये लोग नागालैंड तथा अन्य पहाड़ी क्षेत्रों की जनता को कांग्रेस के विरुद्ध भड़का कर तोड़फोड़ की कार्यवाही करवाते हैं जो देश के लिए खतरनाक बात है। अतः आज हमें इन सब बातों को ध्यान में रख कर विवेक से कार्य करना है।

श्री डाँगे ने अपने भाषण के दौरान संयुक्त दल की सरकारों की बात की है। इस सम्बन्ध में में मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि साम्यवादी किसी दल के साथ मिल कर सरकार चलाने के पक्ष में बिल्कुल नहीं हैं। वे संयुक्त दल की सरकारों की आड़ में अपना एकाधिपत्य चाहते हैं और देश में अशान्ति पैदा करना चाहते हैं। वास्तविकता यह है कि इन लोगों को प्रजातंत्र में कतई विश्वास नहीं है। किसी देश का नाम प्रजातंत्रात्मक गणतंत्र होने से ही वहाँ पर प्रजातंत्रीय सरकार होना आवश्यक नहीं है। उदाहरण के लिए पूर्वी जर्मनी को ही लीजिए।

भारत की जनता समझदार है। इसीलिए वह साम्यवाद नहीं चाहती है। साम्यवादियों ने देश में साम्यवाद की स्थापना का भरसक प्रयत्न किया है किन्तु वे अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाये हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि इसका आधार प्रजातंत्र नहीं है। इसमें नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त नहीं हैं। साम्यवादी लोग अपने विचार स्वतंत्रतापूर्वक व्यक्त नहीं कर सकते हैं। आज कोई भी व्यक्ति सरकार की जिस रूप में चाहे स्वतंत्रतापूर्वक आलोचना कर सकता है और अपने विचारों का प्रचार कर सकता है क्योंकि प्रजातंत्र में उसे ये सब अधिकार प्राप्त हैं। किन्तु साम्यवादी देशों में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है। बंगाल में साम्यवादियों ने जो कुछ किया है वह सभी को पता है। संसद् सदस्य श्री बिमलकान्ति घोष को पीटा गया था। यदि यही घटना किसी विरोधी दल के सदस्य के साथ होती तो यह सब भली भाँति जानते हैं कि इसका क्या परिणाम होता। हमने इन बातों को सहन किया क्योंकि कांग्रेस में आत्मसंयम और धैर्य से काम लेना सिखाया जाता है। कलकत्ता में सचिवालय की इमारत में बंगाल के मुख्य

मंत्री को भी थप्पड़ मारा गया था। वहाँ पर इस प्रकार की संयुक्त दल की सरकार चल रही है। इन सब बातों को देख कर काँग्रेस इस निर्णय पर पहुँची है कि वहाँ पर सरकार ठोस निर्णय लेकर अपराधियों को दण्ड देने में हिचकिचाती है। हमारा यह कर्त्तव्य हो जाता है कि कमजोर व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा करें। आज इसी सिद्धान्त के कारण काँग्रेस जीवित है।

इस सम्बन्ध में मैं कलकत्ता में हुई एक घटना का, जो मेरे सामने हुई थी, उल्लेख करना चाहता हूँ, फलों की टोकरी ले जाते हुए एक व्यक्ति को एक भीड़ ने रोक लिया था और उससे पूछा कि तुम्हारे परिवार में कितने सदस्य हैं। उस व्यक्ति ने अपने परिवार के सदस्यों की संख्या पाँच बताई तो भीड़ ने उस व्यक्ति को पाँच फल देकर शेष फल स्वयं ले लिए। इस प्रकार की खेद जनक घटनाएँ वहाँ पर हो रही हैं। हम इस प्रकार की बातों को सहन नहीं कर सकते हैं। हमने अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़कर स्वतंत्रता प्राप्त की। हम इस प्रकार धमकियों से भयभीत होने वाले नहीं हैं। हम प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं और हम उसकी पूरी तरह रक्षा करेंगे। यह सभी दलों के लिए चेतावनी है कि उन्हें मिलकर इस साम्यवाद का सामना करना है।

बंगाल और हरियाणा का मामला ही लीजिए

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य विषय के अनुसार बोल रहे हैं।

श्री हनुमन्तैया : सामान्यतः मैं आपकी बात का विरोध नहीं करता हूँ किन्तु मैं आपकी इस टिप्पणी का विरोध करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य थोड़ा रुक कर मेरी बात सुनें।

श्री हनुमन्तैया : विरोधी दल के सदस्यों की बात तो आप ध्यानपूर्वक सुनते हैं और कांग्रेस दल के सदस्यों को बोलते समय आप हस्तक्षेप कर रहे हैं। मैं इसका विरोध करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य को बोलने के लिए और समय देने के लिये तैयार हूँ। माननीय सदस्य श्री डाँगे की बात का उत्तर देते जा रहे थे किन्तु अब वह वास्तविक विषय पर आ गए हैं। मैंने माननीय सदस्य को बोलने को पूरा समय न देने की कोई बात नहीं कही है। अब छः बज चुके हैं। अतः माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

अब सभा कल ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

इसके पश्चात् लोक-सभा गुरुवार 23 नवम्बर, 1967/2 अग्रहायण 1889 (शक) तक के लिए स्थगित ई।

The Lok-Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, November 23, 1967/Agrahayana 2, 1889 (Saka).

Printed by Job Printers, 119, Swami Vivekanand Marg, Allahabad.